



सत्यमेव जयते

वित्त लेखे

(खण्ड - I)

2019-20



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest



झारखण्ड सरकार

वित्त लेखे

(खण्ड - I)

2019-20

झारखण्ड सरकार

विषय-सूची

खण्ड - I

विषय		पृष्ठ
● विषय-सूची	i - iii
● भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र	iv - vi
● वित्त लेखे की मार्गदर्शिका	vii - xiii
1 : वित्तीय स्थिति का विवरण	1 - 3
2 : प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण अनुबंध - रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश	4 - 9
3 : प्राप्तियों का विवरण (समेकित निधि)	10 - 14
4 : व्यय का विवरण (समेकित निधि)	15 - 20
5 : प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण	21 - 27
6 : उधार एवं अन्य दायित्वों का विवरण	28 - 31
7 : सरकार द्वारा दिए गए कर्जे और पेशगियों का विवरण	32 - 42
8 : सरकार के निवेशों का विवरण	43
9 : सरकार द्वारा दिए गए गारंटियों का विवरण	44
10 : सरकार द्वारा दिए गए सहायक अनुदान का विवरण	45 - 47
11 : दत्तमत और प्रभारित व्यय का विवरण	48 - 49
12 : राजस्व लेखे से भिन्न व्यय के लिए निधियों के स्रोतों एवं उपयोग का विवरण	50 - 54
13 : समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा के अन्तर्गत शेषों का सारांश	55 - 58
● लेखे पर टिप्पणियाँ	59 - 98

खण्ड - II

भाग I

14	:	लघु शीर्षवार राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण	99 - 146
15	:	लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण	147 - 208
16	:	लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण	209 - 354
17	:	उधार एवं अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण	355 - 373
18	:	सरकार द्वारा दिए गए कर्जे और पेशगियों का विस्तृत विवरण	374 - 401
19	:	सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण	402 - 430
20	:	सरकार द्वारा दिए गए गारंटियों का विस्तृत विवरण	431 - 432
21	:	आकस्मिकता निधि तथा अन्य लोक लेखा लेन-देनों का विस्तृत विवरण	433 - 442
22	:	कर्णांकित निधियों के निवेशों पर विस्तृत विवरण	443

भाग II

I	:	वेतन पर तुलनात्मक व्यय	444- 451
II	:	सब्सिडी पर तुलनात्मक व्यय	452 - 480
III	:	राज्य सरकार द्वारा दिए गए सहायक/सहायता अनुदान (संस्थावार और योजनावार)	481 - 502
IV	:	बाह्य सम्पोषित परियोजनाओं का विवरण	503 - 504
V	:	योजनागत योजना पर व्यय क- केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्र प्रायोजित स्कीम तथा केन्द्रीय सेक्टर स्कीम) ख- राज्य योजनागत योजनाएं	505 - 517
VI	:	राज्य में क्रियान्वित करने वाले अभिकरणों को केन्द्रीय योजना के लिए निधियों का सीधा अन्तरण (राज्य बजट से बाह्य निधियां) (अअंकेक्षित आंकड़े)	518 - 522
VII	:	शेषों की स्वीकार्यता एवं मिलान (जैसा कि विवरण संख्या 18 एवं 21 में दर्शाया गया है)	523 - 529

VIII	:	सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम	530 - 535
IX	:	सरकार की वचनबद्धता-अधूरे पूंजीगत कार्यों की सूची	536 - 581
X	:	पृथक किये गए वेतन एवं गैर-वेतन मद के साथ अनुरक्षण व्यय	582 - 585
XI	:	वर्ष के दौरान सरकार के मुख्य नीतिगत निर्णयों अथवा बजट में प्रस्तावित नई योजनाएं	586
XII	:	सरकार की वचनबद्ध देयताएँ	587
XIII	:	राज्य का पुनर्गठन-वैसे मदों जिनके शेषों का बंटवारा राज्यों के बीच/मध्य नहीं हुआ है	588 - 592

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र

इस संकलन में 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे समाहित हैं, जो वर्ष के लिए सरकार की प्राप्तियों एवं संवितरणों के लेखाओं सहित वित्तीय स्थिति प्रस्तुत करता है। इन लेखाओं को दो खंडों में प्रस्तुत किया गया है, खंड-I में राज्य के वित्त की समेकित स्थिति समाविष्ट है और खंड-II लेखाओं को विस्तृत रूप में दर्शाता है। अनुदानों और प्रभारित विनियोगों हेतु वर्ष के लिए सरकार के विनियोग लेखाओं को पृथक संकलन में प्रस्तुत किया जाता है।

वित्त लेखे, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार मेरे पर्यवेक्षण में तैयार किये गये हैं तथा इन्हें झारखण्ड सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले एवं ऐसे लेखाओं के रखरखाव के लिए उत्तरदायी कोषागारों, कार्यालयों तथा विभागों द्वारा प्रस्तुत किए गए वाउचरों, चालानों एवं प्रारम्भिक तथा सहायक लेखाओं और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त हुए विवरणों से संकलित किया गया है। इस संकलन के विवरणों (8, 9, 10 (ii), 17(ख) (i), 17 (ग)(i) तथा 19), व्याख्यात्मक टिप्पणियों विवरण संख्या 5 का (7) एवं विवरण संख्या 14 का व्याख्यात्मक टिप्पणी (III) और परिशिष्टों को (V, VIII (i), VIII (ii), IX तथा X) झारखण्ड सरकार/निगमों/कम्पनियों/समुदायों से प्राप्त हुई सूचना से सीधे तैयार किया गया है, जो ऐसी सूचना की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है।

झारखण्ड सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले कोषागार, कार्यालय तथा/अथवा विभाग मुख्यतः प्रारम्भिक एवं सहायक लेखाओं को तैयार करने और इनकी परिशुद्धता के साथ-साथ इन लेखाओं तथा संव्यवहारों से संबंधित लागू कानूनों, मानकों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार संव्यवहारों की नियमितता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। मैं वार्षिक लेखाओं को तैयार करने तथा उन्हें राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हूँ। लेखाओं को तैयार करने के मेरे उत्तरदायित्व का निर्वहन प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 एवं 151 तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय के माध्यम से, इन लेखाओं पर अपना मत व्यक्त करने के लिए की जाती है, जो लेखापरीक्षा के परिणामों पर अधारित होता है। ये कार्यालय स्वतंत्र संस्थाएँ हैं, जिनका अपना अलग संवर्ग, पृथक उत्तरदायी पदानुक्रम तथा प्रबंधन ढाँचा है।

लेखापरीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की गई थी। इन मानकों द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि लेखे महत्वपूर्ण त्रुटियों से मुक्त हैं, इस पर यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हम योजना बनाकर लेखापरीक्षा करें। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटनों से संबंधित साक्ष्यों की नमूना आधार पर जाँच भी सम्मिलित है।

मेरे अधिकारियों द्वारा प्राप्त की गई अपेक्षित सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर तथा लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, अपनी सम्पूर्ण जानकारी के अनुसार और दिए गए स्पष्टीकरणों पर विचार करते हुए मैं अपनी सम्पूर्ण जानकारी और विश्वास के साथ यह प्रमाणित करता हूँ कि लेखाओं पर व्याख्यात्मक टिप्पणियों के साथ पठित वित्त लेखे 2019-20 वर्ष के लिए झारखण्ड सरकार की वित्तीय स्थिति तथा प्राप्तियों एवं संवितरणों की सही एवं निष्पक्ष प्रस्तुति करते हैं।

इन लेखाओं के अध्ययन तथा वर्ष के दौरान अथवा विगत वर्षों के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा से उदभूत महत्वपूर्ण मुद्दे 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पृथक रूप से प्रस्तुत किये जाने वाले झारखण्ड सरकार पर मेरे वित्तीय, अनुपालन एवं निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल हैं।

अतिमहत्वपूर्ण बातें

मैं निम्नलिखित अर्थपूर्ण विषयों / मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ जो कि इन लेखाओं की शुद्धता, पारदर्शिता और पूर्णता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है तथा लोक वित्त पर विधायी नियंत्रण बनाए रखते हैं।

1. राज्य के सत्रह विभागों ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 330 संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों के विरुद्ध सरकारी लेखों से ₹ 2,168 करोड़ का आहरण किया, लेकिन वित्तीय वर्ष के समाप्त होने से पहले ₹ 1,607.34 करोड़ की राशि के 300 विस्तृत आकस्मिक विपत्रों को जमा नहीं किया। इस सम्बन्ध में ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया कि ₹ 1,607.34 करोड़ की राशि वास्तव में वित्तीय वर्ष के दौरान उस प्रयोजन के लिए व्यय किया गया जिसके लिए इसे विधानमंडल द्वारा स्वीकृत / अधिकृत किया गया था। यह वर्ष 2019-20 में व्यय का संभावित अधिकथन है।

इसके अतिरिक्त वर्ष 2018-19 तक कुल ₹ 4,837.10 करोड़ की राशि का 17,919 संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र, 31 मार्च 2020 तक बकाया था। आहरित अग्रिमों, जिसे लेखाबद्ध नहीं किया गया, अपव्यय / दुर्विनियोजन / भ्रष्टाचार आदि की संभावना को बढ़ाता है।

2. वर्ष 2019-20 के दौरान अठारह विभागों द्वारा प्रदान किये गए सहायक अनुदान के विरुद्ध ₹ 17,435.44 करोड़ की राशि का बकाया 4,483 उपयोगिता प्रमाणपत्रों को राज्य के निकायों और प्राधिकरणों द्वारा समर्पित नहीं किया गया। इस संबंध में ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया कि ₹ 17,435.44 करोड़ की राशि वास्तव में वित्तीय वर्ष के दौरान उस प्रयोजन के लिए व्यय किया गया जिसके लिए इसे विधानमंडल द्वारा स्वीकृत / अधिकृत किया गया था।

इसके अतिरिक्त 24,875 उपयोगिता प्रमाणपत्रों से संबंधित ₹ 52,267.55 करोड़ की राशि वर्ष 2018-19 तक प्रस्तुति हेतु 31 मार्च 2020 को बकाया था। इस प्रकार मार्च 2020 तक ₹ 69,702.99 करोड़ की राशि का कुल 29,358 उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुति के लिए बकाया था। उपयोगिता प्रमाणपत्रों का अधिक संख्या में लम्बित रहना निधि का दुर्विनियोजन एवं भ्रष्टाचार की संभावना को बढ़ाता है।

3. ₹ 1,800 करोड़ की सहायता अनुदान अव्ययित शेष जो पिछले वर्षों से संबंधित था, वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य सरकार द्वारा व्यय शीर्ष के लेखा में व्यय में कमी के बदले प्राप्ति के लेखाशीर्ष के अंतर्गत लघुशीर्ष 913- सहायता अनुदान के अव्ययित शेष की वसूली के अन्तर्गत जमा किया गया, जो लेखांकन नियमों के विपरीत था। राज्य सरकार के डिजिटल डेटा में विवरण उपलब्ध नहीं होने के कारण केन्द्र प्रायोजित योजनाओं और राज्य योजनाओं के बीच का अव्ययित शेषों का विभाजन नहीं किया जा सका।

उपरोक्त मामलों पर लेखापरीक्षा अवलोकनों का 31मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में विस्तृत विवरण दिया गया है।



(गिरीश चंद्र मुर्मू)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

दिनांक : 8 मार्च 2021
नई दिल्ली

वित्त लेखे की मार्गदर्शिका

क. सरकारी लेखे की संरचना का विहंगावलोकन

1. **झारखण्ड राज्य** के वित्त लेखे, वर्ष के लिए सरकार के प्राप्तियों एवं व्ययों का लेखा, राजस्व तथा पूँजी लेखे पर आधारित वित्तीय परिणामों के साथ, लोक ऋण एवं दायित्वों तथा परिसम्पत्तियों का लेखा जैसा कि लेखे में दर्ज शेषों से निकाला गया, को प्रस्तुत करता है।

2. **सरकार के लेखे निम्नलिखित तीन भागों में रखे जाते हैं:-**

भाग I : समेकित निधि : इस निधि में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, राज्य सरकार द्वारा उगाहे गए सभी ऋण (बाजार ऋण, बॉण्ड्स, केन्द्रीय सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थानों से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि इत्यादि को निर्गत विशेष प्रतिभूतियाँ), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विस्तारित अर्थोपाय अग्रिम तथा ऋणों के पुनर्भुगतान में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त की गई सभी राशियाँ सम्मिलित हैं। विधि के अनुसार तथा उद्देश्यों के लिए एवं भारत के संविधान में बताए गए तरीकों को छोड़कर इस निधि से किसी भी राशि का विनियोग नहीं किया जा सकता है। निर्दिष्ट वर्गों के व्यय (उदाहरणस्वरूप संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन, ऋण का पुनर्भुगतान इत्यादि) राज्य के समेकित निधि पर प्रभार स्वरूप होते हैं (प्रभारित व्यय) जिस पर विधायिका के मत की आवश्यकता नहीं है। अन्य सभी व्यय (मतदेय व्यय) विधायिका के द्वारा मत प्राप्त हैं।

समेकित निधि में दो अनुभाग समाविष्ट हैं : राजस्व तथा पूँजी (लोक ऋण, उधार तथा अग्रिम सहित)। इन्हें पुनः 'प्राप्तियाँ' तथा 'व्यय' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। राजस्व प्राप्तियाँ अनुभाग को तीन खण्डों में विभाजित किया गया, जैसे 'कर राजस्व', 'करेतर राजस्व' तथा 'सहायता अनुदान तथा अंशदान'। इन तीन खण्डों को पुनः 'आय तथा व्यय पर कर', 'राजकोषीय सेवाएँ' इत्यादि जैसे उप-खण्डों में विभाजित किया गया है। पूँजी प्राप्तियाँ अनुभाग किसी खण्ड या उप-खण्ड में विभाजित नहीं है। राजस्व व्यय अनुभाग को चार खण्डों जैसे 'सामान्य सेवाएँ', 'सामाजिक सेवाएँ', 'आर्थिक सेवाएँ' एवं 'सहायता अनुदान तथा अंशदान' में विभाजित किया गया है। राजस्व व्यय अनुभाग के इन खण्डों को पुनः 'राज्य के अंग', 'शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति' इत्यादि जैसे उप-खण्डों में विभाजित किया गया है। पूँजी व्यय अनुभाग को आठ खण्डों जैसे 'सामान्य सेवाएँ', 'सामाजिक सेवाएँ', 'आर्थिक सेवाएँ', 'लोक ऋण', 'उधार तथा अग्रिम', 'अंतर्राज्यीय परिशोधन' एवं 'आकस्मिकता निधि को अंतरण' में उप विभाजित किया गया है।

भाग II : आकस्मिकता निधि : विधायिका, विधिसम्मत एक आकस्मिकता निधि, जो कि अग्रदाय प्रकृति की है, की स्थापना कर इसे राज्यपाल के अधीन निष्पादन हेतु इस अधिकार के साथ रखा जाता है कि वे वैसे आकस्मिक व्यय से निपटने हेतु अग्रिम प्रदान कर सकें, जिस व्यय को राज्य विधानमंडल के द्वारा अधिकृत किया जाना लम्बित है। राज्य के समेकित निधि के संबंधित कार्यात्मक मुख्य शीर्ष में व्यय को नामे द्वारा इस निधि की प्रतिपूर्ति की जाती है। 2019-20 के लिए झारखण्ड सरकार के आकस्मिकता निधि ₹ 5,00.00 करोड़ की है।

भाग III : लोक लेखा : सरकार के द्वारा या सरकार की तरफ से प्राप्त किए गए अन्य सभी लोक धन, जिसके लिए सरकार एक बैंकर या ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है, को लोक लेखा में जमा के रूप में दर्ज किया जाता है। लोक लेखे में वापसियों जैसे लघु बचत तथा भविष्य निधि, जमा (ब्याजदेय तथा अब्याजदेय), अग्रिम, आरक्षित निधियाँ (ब्याजदेय तथा अब्याजदेय), प्रेषण एवं उचंत शीर्ष (इनमें से दोनों ट्राँजिट शीर्ष, अंतिम

रूप से दर्ज होने तक) सम्मिलित है। सरकार को उपलब्ध निवल रोकड़ शेष भी लोक लेखे के अंतर्गत शामिल है। लोक लेखे में छह खण्ड, जैसे 'लघु बचत, भविष्य निधि आदि', 'आरक्षित निधियाँ', 'जमा तथा अग्रिम', 'उचत तथा विविध', 'प्रेषण' एवं 'रोकड़ शेष' होते हैं। इन खण्डों को पुनः उप-खण्डों में विभाजित किया गया है। लोक लेखा, विधायिका के मतों के अधीन नहीं होता है।


3. सरकारी लेखे एक छह स्तरीय वर्गीकरण के अंतर्गत प्रस्तुत किए जाते हैं, जैसे मुख्य शीर्ष (चार अंकों का), उप-मुख्य शीर्ष (दो अंकों का), लघु शीर्ष (तीन अंकों का), उप शीर्ष (दो अंको), विस्तृत शीर्ष (दो या तीन अंकों का) तथा वस्तु शीर्ष (दो अंकों का)। मुख्य शीर्ष सरकार के कार्य प्रकृति को, उप मुख्य शीर्ष उप कार्य प्रकृति को, लघु शीर्ष कार्यक्रम/गतिविधियों को, उप शीर्ष योजनाओं को, विस्तृत शीर्ष उप-योजनाओं को तथा वस्तु शीर्ष उद्देश्यों / व्यय की वस्तु इकाई को प्रस्तुत करता है।

4. लेखा में वर्गीकरण की मुख्य इकाई मुख्य शीर्ष होते हैं जो नीचे दिए गए कोडिंग पैटर्न के अनुसार हैं (मार्च 2020 तक संशोधित मुख्य तथा लघु शीर्षों की सूची के अनुसार)

0005 से 1606	राजस्व प्राप्तियाँ
2011 से 3606	राजस्व व्यय
4000	पूँजीगत प्राप्तियाँ
4046 से 7810	पूँजीगत व्यय (लोक ऋण, उधार तथा अग्रिम सहित)
7999	आकस्मिकता निधि को विनियोजन
8000	आकस्मिकता निधि
8001 से 8999	लोक लेखा

5. सामान्यतः वित्त लेखे (कुछ मामलों को छोड़ कर), लघु शीर्ष तक के लेनदेनों को दर्शाता है। वित्त लेखे निवल स्तर पर आकड़ों को दर्शाता है, उदाहरण स्वरूप वापसियों को व्यय से घटाकर लेखाकरण किया जाता है। विनियोग लेखे तथा विधायिका को प्रस्तुत किए जाने वाले अनुदानों के लिए माँग, जहाँ व्यय को सकल स्तर पर दर्शाया जाता है से भिन्न रूप में इसे प्रस्तुत किया जाता है।

6. सरकारी लेखे की संरचना का एक चित्रात्मक प्रस्तुतीकरण नीचे दिया गया है:



ख. वित्त लेखे में क्या अन्तर्विष्ट है

वित्त लेखे को दो खण्डों में प्रस्तुत किया जाता है।

खण्ड I में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र, वित्त लेखे की मार्गदर्शिका, 13 विवरणी जो राज्य सरकार के चालु वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय स्थिति तथा लेनदेनों का संक्षिप्त ब्यौरा एवं लेखे पर टिप्पणियाँ का एक परिशिष्ट दर्शाया जाता है। खण्ड I के 13 विवरणों का विस्तृत ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

- वित्तीय स्थिति का विवरण :** राज्य सरकार के परिसम्पत्तियों तथा दायित्वों की समेकित आंकड़े, जैसा कि वर्ष के अन्त में था, तथा विगत वर्ष के अन्त की स्थिति के साथ तुलनात्मक रूप में इस विवरण में दर्शाया जाता है।
- प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण:** इस विवरण में, तीनों भागों यथानामित समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखे के अंतर्गत जिसमें की सरकारी लेखे रखे जाते हैं, वर्ष के दौरान राज्य सरकार के सभी प्राप्तियों एवं व्ययों को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त इस विवरण में एक अनुबंध जो कि सरकार के लेखा शेषों (निवेश सहित) को दर्शाता है, सम्मिलित है। यह अनुबंध सरकार के अर्थोपाय स्थिति को विस्तृत रूप में दर्शाता है।

3. **प्राप्तियों का विवरण (समेकित निधि):** यह विवरण राज्य सरकार के राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियों तथा उधारों सरकार द्वारा दिए गए उधारों की वापसियाँ को दर्शाता है। यह विवरण वित्त लेखे के खण्ड-II में विस्तृत विवरण सं. 14, 17 तथा 18 के सदृश है।
4. **व्यय का विवरण (समेकित निधि):** वित्त लेखे के सामान्यतः लघु शीर्ष स्तर तक के प्रस्तुतीकरण से भिन्न इस विवरण में व्यय की प्रकृति तथा गतिविधि (व्यय का उद्देश्य) का विस्तृत विवरण भी प्रस्तुत किया जाता है। यह विवरण खण्ड II के विवरण सं. 15, 16, 17 एवं 18 के सदृश है।
5. **प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण :** यह विवरण खण्ड II के विस्तृत विवरण सं. 16 के सदृश है।
6. **उधार एवं अन्य दायित्वों का विवरण :** सरकार के उधार में, सरकार द्वारा उगाहे गए बाजार कर्जे (आन्तरिक ऋण) तथा भारत सरकार से प्राप्त 'कर्जे तथा अग्रिम' शामिल हैं। 'अन्य दायित्वों' में 'लघु बचत, भविष्य निधि इत्यादि', 'आरक्षित निधियाँ' तथा 'जमा' सम्मिलित हैं। इस विवरण में उधार-शोधन पर एक टिप्पणी सम्मिलित है तथा यह खण्ड II के विस्तृत विवरण सं. 17 के सदृश है।
7. **सरकार द्वारा दिए गए कर्जे और पेशगियों का विवरण:** यह विवरण राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणी के कर्जदारों जैसे कि सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्वायत्तशासी तथा अन्य निकायों/प्राधिकारों एवं व्यक्तिगत प्राप्तकर्ताओं (सरकारी सेवकों सहित) को दिए गए सभी उधार तथा अग्रिमों को दर्शाता है। यह विवरण खण्ड II के विस्तृत विवरण सं. 18 के सदृश है।
8. **सरकार के निवेशों का विवरण :** यह विवरण सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, अन्य संयुक्त स्टॉक कम्पनियों, सहकारी संस्थानों तथा स्थानीय निकायों के इक्विटी पूंजी (Equity capital) में राज्य सरकार के निवेश को दर्शाता है। यह विवरण खण्ड II के विस्तृत विवरण सं. 19 के सदृश है।
9. **सरकार द्वारा दिए गए गारंटियों का विवरण :** यह विवरण राज्य सरकार द्वारा सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थानों द्वारा उगाहे गए ऋणों के लिए मूलधन तथा ब्याज के पुनर्भुगतान पर दिए गए गारंटियों का संक्षिप्त ब्यौरा प्रस्तुत करता है। यह विवरण भाग II के विस्तृत विवरण सं. 20 के सदृश है।
10. **सरकार द्वारा दिए गए सहायक अनुदान का विवरण :** राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणियों के सहायता अनुदान प्राप्तकर्ताओं जैसे सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों स्वायत्तशासी तथा अन्य निकायों/प्राधिकरणों तथा व्यक्तियों को दिए गए सहायता अनुदानों को दर्शाता है। परिशिष्ट III में प्राप्तकर्ता संस्थानों का विस्तृत ब्यौरा दिया गया है।
11. **दत्तमत और प्रभारित व्यय का विवरण :** यह विवरण वित्त लेखे में दर्शाए गए निवल आँकड़ों को, विनियोग लेखे में दर्शाए गए सकल आँकड़ों के साथ होने वाले अनुरूपता के लिए सहायता करता है।
12. **राजस्व लेखे से भिन्न व्यय के लिए निधियों के स्रोतों तथा उपयोग का विवरण:** यह विवरण इस सिद्धांत पर आधारित है कि राजस्व व्यय को राजस्व प्राप्ति के अंतर्गत ही चुकाया जाना चाहिए, जबकि वर्ष के पूंजीगत व्यय को राजस्व अधिक्व, लोक लेखे में निवल जमा शेष, वर्ष के आरंभ में रोकड़ शेष तथा उधार के द्वारा किया जाना चाहिए।
13. **समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के अन्तर्गत शेषों का सारांश :** यह विवरण लेखे की शुद्धता को साबित करने में सहायता करता है। यह विवरण, खण्ड II के विस्तृत विवरण सं. 14,15,16,17,18 तथा 21 के सदृश है।

वित्त लेखे के खण्ड II में दो भाग समाहित हैं-भाग I में 9 विस्तृत विवरण तथा भाग II में 13 परिशिष्ट हैं

खण्ड II का भाग I

14. लघु शीर्षवार राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण : यह विवरण, वित्त लेखे के खण्ड I में संक्षिप्त विवरण सं. 3 के सदृश है।
15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण : यह विवरण, जो खण्ड I के संक्षिप्त विवरण सं. 4 के सदृश है, राज्य सरकार के योजनागत (राज्य योजना, राज्य योजना को केन्द्रीय सहायता, केन्द्र प्रायोजित योजनाओं तथा केन्द्रीय योजनागत योजनाओं) तथा गैर-योजना को दर्शाता है। प्रभारित एवं मतदेय व्ययों को पृथक रूप में प्रदर्शित किया जाता है।
16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण : यह विवरण जो खण्ड I के संक्षिप्त विवरण सं. 5 के सदृश है, योजनागत (राज्य योजना, राज्य योजना को केन्द्रीय सहायता, केन्द्र प्रायोजित योजनाओं तथा केन्द्रीय योजनागत योजनाओं) तथा गैर-योजना के अंतर्गत राज्य सरकार के पूंजीगत व्ययों (वर्ष के दौरान तथा समेकित रूप में) प्रदर्शित करता है। प्रभारित एवं मतदेय व्ययों के पृथक रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इसके अतिरिक्त विशिष्ट योजनाओं के मामलों में लघु शीर्ष के स्तर तक के पूंजीगत व्यय को विस्तृत रूप में प्रस्तुत किए जाने हेतु ये विवरण उपशीर्ष के स्तर तक को दर्शाता है।
17. उधार एवं अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण : यह विवरण, जो कि खण्ड I के संक्षिप्त विवरण सं. 6 के सदृश है, राज्य सरकार के द्वारा उगाहे गए सभी तरह के ऋणों (बाजार ऋण, बॉन्ड्स, केन्द्रीय सरकार के द्वारा ऋण, वित्तीय संस्थानों के द्वारा ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ इत्यादि) तथा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा विस्तारित अर्थोपाय अग्रिम का विस्तृत विवरण दर्शाता है। यह विवरण ऋण से संबंधित सूचनाओं को तीन स्तरों में प्रस्तुत करता है: (क) व्यक्तिगत ऋण का विस्तृत विवरण (ख) मैचुरिटी प्रोफाइल्स, तथा विभिन्न वर्षों में प्रत्येक कर्जे के विरुद्ध भुगतये राशि तथा (ग) बकाया ऋणों का ब्याज दर प्रोफाइल एवं बाजार कर्जे दर्शाये अनुबंध।
18. सरकार द्वारा दिए गए कर्जे और पेशगियों का विस्तृत विवरण : यह विवरण खण्ड I में संक्षिप्त विवरण सं. 7 के सदृश है।
19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण : यह विवरण निकाय-वार तथा मुख्य एवं लघु शीर्ष-वार विस्तृत निवेश, विवरण सं. 16 तथा 19 के बीच की विसंगति, यदि है, को दर्शाता है। यह विवरण खण्ड I के विवरण सं. 8 के सदृश है।
20. सरकार द्वारा दिए गए गारंटियों का विस्तृत विवरण : यह विवरण निकाय-वार सरकारी गारंटियों को विस्तार से दर्शाता है। यह विवरण खण्ड I के विवरण सं. 9 के सदृश है।
21. आकस्मिकता निधि तथा अन्य लोक लेखा लेन-देनों का विस्तृत विवरण : यह विवरण आकस्मिकता निधि के अन्तर्गत लघुशीर्ष स्तर पर अपरिशोधित राशियों का ब्यौरा, वर्ष के दौरान लोक लेखे के लेनदेनों की समेकित स्थिति, तथा वर्ष के अन्त में बकाया शेषों को दर्शाता है।
22. कर्णांकित निधियों के निवेशों पर विस्तृत विवरण : यह विवरण आरक्षित निधियों एवं जमा (लोक लेखा) से विस्तृत निवेश को दर्शाता है।

खण्ड II का भाग II

भाग II में, 13 परिशिष्ट समाहित है जिसमें, विभिन्न मदों, वेतन, सबसिडी, सहायक अनुदान, बाह्य पोषित परियोजनाएँ, मुख्य केन्द्रीय योजनाओं के संबंध में योजनावार तथा राज्य योजनागत योजनाओं इत्यादि पर व्यय दर्शाया गया है। यह विस्तृत विवरण लेखे के उप शीर्ष स्तर या उससे नीचे (लघु शीर्ष स्तर से नीचे) तक प्रस्तुत किया जाता है जिसके कारण सामान्यतः वित्त लेखे में उसे नहीं दर्शाया जाता है। परिशिष्टों की एक विस्तृत सूची खण्ड I एवं II में 'विषय-सूची' पर दर्शाया जाता है। यह विवरण परिशिष्टों के साथ पठित होने पर राज्य सरकार के वित्तीय स्थिति का सम्पूर्ण चित्रण प्रस्तुत करता है।

ग. सुलभ गणक

यह अनुभाग खण्ड I में दर्शाए गए संक्षिप्त विवरणों को खण्ड II में दर्शाए गए विस्तृत विवरणों तथा परिशिष्टों से जोड़ता है। (वैसे परिशिष्ट जिनका सीधा सम्पर्क संक्षिप्त विवरणों से नहीं है, उन्हें नीचे नहीं दर्शाया गया है)।

मानक	संक्षिप्त विवरण (खण्ड I)	विस्तृत विवरण (खण्ड II)	परिशिष्ट
राजस्व प्राप्तियाँ (प्राप्त अनुदानों सहित), पूँजी प्राप्तियाँ	2, 3	14	
राजस्व व्यय	2, 4	15	I (वेतन), II (सब्सिडी)
सरकार द्वारा दिए गए सहायक अनुदान	2, 10	---	III (सहायक अनुदान)
पूँजीगत प्राप्तियाँ	2, 3	14	
पूँजीगत व्यय	1, 2, 4, 5, 12	16	I (वेतन)
सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा अग्रिम	1, 2, 4, 7, 12, 13	18	
कर्ज की स्थिति / उधार	1, 2, 4, 6, 12, 13	17	
कम्पनियों / निगमों आदि में सरकार का निवेश	8	16, 19	
रोकड़	1, 2, 12, 13	---	
लोक लेखा का शेष तथा उसमें किए गए निवेश	1, 2, 6, 7, 12, 13	21, 22	
गारंटी	9	20	
योजनाएं	-	-	IV (बाह्य संपोषित परियोजनाएं), V (योजनागत योजना व्यय) VI (सीधा अन्तरण)

घ. आवधिक समायोजन तथा खाता समायोजन:

लेखे में दर्शाए गए कुछ लेनदेन रोकड़ के वास्तविक गतिविधि को, दर्ज किए जाने के समय सम्मिलित नहीं किया जाता है। इनमें से कुछ लेन देन लेखा प्रेषण इकाईयों (कोषागार, प्रमंडलों इत्यादि) के द्वारा शामिल किया जाता है। उदाहरण स्वरूप लेनदेनों में सम्मिलित सभी प्रकार की कटौतियों का समायोजन (सा.भ.नि., दिए गए अग्रिमों की वापसियाँ इत्यादि) कार्य प्रकृति के मुख्य शीर्षों को नामे (संबंधित विभाग के परिप्रेक्ष्य में) के द्वारा दर्ज कर वेतन से राजस्व/उधार/लोक लेखा को खाता समायोजन के द्वारा किया जाता है। उसी तरह 'शून्य' विपत्रों जहाँ, राशियों को समेकित निधि तथा लोक लेखे के बीच स्थानान्तरित किया जाता है, को लेखा प्रेषण इकाईयों के स्तर पर गैर रोकड़ लेनदेनों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त प्रधान महालेखाकार/महालेखाकर (ले. एवं हक.) के द्वारा राज्य सरकार के निम्नलिखित प्रकृति के आवधिक समायोजनों तथा खाता समायोजनों को क्रियान्वित किया जाता है, जिसका विस्तृत विवरण लेखे पर टिप्पणियों के परिशिष्ट (खण्ड 1) तथा तत्सम्बन्धी विवरणों के पाद टिप्पणियों में दर्शाया जाता है।

आवधिक समायोजनों तथा खाता समायोजनों के उदाहरण नीचे दिए गए हैं:-

1. लोक लेखे में निधियों का सृजन/निधियों को अंशदान का समायोजन, समेकित निधि को 'नामे', उदाहरण स्वरूप राज्य आपदा मोचन निधि, केन्द्रीय सड़क निधि, निक्षेप निधि इत्यादि के द्वारा किया जाता है।
2. लोक लेखे में जमा शीर्षों का लेखा को जमा, समेकित निधि को नामे के द्वारा किया जाता है।
3. सामान्य भविष्य निधि (सा.भ.नि.) तथा राज्य सरकार सामुहिक बीमा योजना, जहाँ ब्याज को मुख्य शीर्ष '2049- ब्याज' को नामे तथा मुख्य शीर्ष 8009- राज्य भविष्य निधि को जमा के द्वारा ब्याज का वार्षिक समायोजन किया जाता है।
4. केन्द्रीय वित्त आयोग के अनुशंसाओं पर आधारित भारत सरकार के योजनाओं के अन्तर्गत कर्ज माफी का समायोजन किया जाता है। उन समायोजनों (जहाँ केन्द्रीय ऋणों को मुख्य शीर्ष 0075- विविध सामान्य सेवाएँ को जमा तथा मुख्य शीर्ष 6004- केन्द्रीय सरकार के द्वारा ऋण तथा अग्रिम को कोन्ट्रा इन्ट्री के द्वारा बट्टे खाते में डाला जाता है), का प्रभाव राजस्व प्राप्तियों तथा लोक ऋण, दोनों शीर्षों पर पड़ता है।

ड. पूर्णांकन :

पूर्णांकित करने के कारण ₹ 0.01 लाख/करोड़ का अन्तर है।

1. वित्तीय स्थिति का विवरण

परिसम्पत्तियां ¹	संदर्भ (क्रम संख्या)		31 मार्च 2019 तक	31 मार्च 2020 तक
	लेखे पर टिप्पणियाँ	विवरणी		
(₹ करोड़ में)				
रोकड़				
(i) कोषागारों में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण		21	0.00	0.00
(ii) विभागीय शेष		21	39.05	46.84
(iii) स्थायी अग्रदाय		21	0.13	0.16
(iv) रोकड़ शेष निवेश		21	1,67.90	30,70.62
(v) भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा (यदि शेष जमा हो तो घटाव चिन्ह दें।)	परिच्छेद 2(ii)	21	1,88.30	(-)54.14
(vi) उद्दिष्ट निधियों का निवेश ²		22	4,00.00	4,00.00
पूँजीगत व्यय				
(i) कम्पनियों, निगमों आदि के शेयर में निवेश परिच्छेद	परिच्छेद 3(ix)	8, 16, 19	3,23.35	3,28.43
(ii) अन्य पूँजीगत व्यय ³		5, 16	7,73,49.96	8,72,23.59
(iii) अन्तर्राज्यीय परिशोधन			0.00	0.00 ⁴
आकस्मिकता निधि (अप्रतिपूरित)	परिच्छेद 3(vi)	21	0.00	0.00
कर्ज एवं पेशगियाँ	परिच्छेद 3(vii)	7, 18	2,07,29.99	2,08,46.24
विभागीय अधिकारियों के पास अग्रिम		21	6.28	7.14

¹ परिसम्पत्तियों तथा दायित्वों के आंकड़े इकठे हैं। कृपया अनुभाग “लेखे पर टिप्पणियाँ” का नोट 1 (ii) भी देखें।

² उद्दिष्ट निधियों में से किए गए कम्पनियों आदि का हिस्सा पूँजी में किये गए निवेश को पूँजीगत व्यय में न दर्शा कर “उद्दिष्ट निधियों से किये गए निवेशों” के अन्तर्गत दर्शाया गया है।

³ 2017-18 के दौरान बिहार भवन के विनिवेश से प्राप्त ₹25.09 करोड़ को परिसंपत्तियों और देयताओं की गणना के लिए पूँजीगत व्यय से समायोजित किया गया है।

⁴ वर्ष 2019-20 के दौरान अन्तर्राज्यीय परिशोधन के अन्तर्गत वास्तविक राशि केवल ₹ 5,357.74 था।

1. वित्तीय स्थिति का विवरण - क्रमशः

परिसम्पत्तियां ¹	संदर्भ (क्रम संख्या)		31 मार्च 2019 तक	31 मार्च 2020 तक
	लेखे पर टिप्पणियाँ	विवरणी		
				(₹ करोड़ में)
उच्चत एवं विविध शेष ⁵		21	5.42	0.00
प्रेषण शेष	परिच्छेद 3(xvi)	12, 21	0.00	0.00
प्राप्तियों पर व्यय का संचयी आधिक्य			0.00	0.00
जोड़			9,92,10.38	11,18,68.88

¹ परिसम्पत्तियों तथा दायित्वों के आंकड़े इकट्ठे हैं। कृपया अनुभाग "लेखे पर टिप्पणियाँ" का नोट 1 (ii) भी देखें।

⁵ इस विवरणी में लाईन मद "उच्चत एवं विविध शेष" में "रोकड़ शेष निवेश लेखा" को शामिल न कर उसे उपर अलग से दिखाया गया है। यद्यपि यह इसी खण्ड में इन लेखाओं में अन्यत्र शामिल किया गया है।

1. वित्तीय स्थिति का विवरण - क्रमांत

दायित्व	संदर्भ (क्रम संख्या)		31 मार्च 2019 तक	31 मार्च 2020 तक
	लेखे पर टिप्पणियाँ	विवरणी		
(₹ करोड़ में)				
उधार (लोक ऋण)				
(i) आंतरिक ऋण		6, 17	5,84,36.19	6,35,45.46
(ii) केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम				
(क) योजनेतर कर्ज	परिच्छेद 3(iv)(ग)(i)	6, 17	15.79	14.02
(ख) राज्य क्षेत्र की योजनागत योजनाओं के लिए कर्ज	परिच्छेद 3(iv)(ग)(i)	6, 17	23,23.28	25,77.50
(iii) अन्तर्राज्यीय परिशोधन			0.00	0.00
आकस्मिकता निधि (स्थाई काया)	परिच्छेद 3(vi)	21	5,00.00	5,00.00
लोक लेखा का दायित्व				
(i) अल्प बचत, भविष्य निधियाँ आदि		12, 17, 21	12,11.11	12,16.86
(ii) जमा	परिच्छेद 3 (iv)(क)	12, 17, 21	1,98,66.47	2,11,04.74
(iii) आरक्षित निधियाँ	परिच्छेद 3 (iv)(ख)(ग)	12, 21, 22	19,30.09	59,48.02
(iv) प्रेषण शेष		13	99.27	82.30
(v) उचंत और विविध शेष ⁶	परिच्छेद 3 (xvi)	12, 21	0.00	91.29
व्यय पर प्राप्तियों का संचयी आधिक्य ⁷			1,48,28.18	1,67,88.69
जोड़			9,92,10.38	11,18,68.88

⁶ ऊचंत एवं विविध शेष में रोकड़ शेष निवेश लेखा शामिल नहीं है।

⁷ प्राप्तियों पर व्यय अथवा व्यय पर प्राप्तियों का संचयी आधिक्य, चालू वर्ष के राजकोषीय/राजस्व घाटे से भिन्न है।

2. प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण

	प्राप्तियां		संवितरण		
	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	
भाग - I समेकित निधि					
अनुभाग - अ राजस्व					
(₹ करोड़ में)			(₹ करोड़ में)		
राजस्व प्राप्तियां (संदर्भ-विवरण 3 एवं 14)			राजस्व व्यय (संदर्भ-विवरण 4-क, 4-ख एवं 15)		
राज्य का निजी राजस्व	2,55,21.43	2,30,10.02			
(i) कर राजस्व (राज्य द्वारा उगाहा गया) (संदर्भ-विवरण 3 एवं 14)	1,67,71.45	1,47,52.04	वेतन ¹	1,27,82.34	1,20,91.42
(ii) करेतर राजस्व (संदर्भ-विवरण 3 एवं 14)	87,49.98	82,57.98	सहायक अनुदान ² (संदर्भ-विवरण 10 एवं परिशिष्ट -III)	1,91,91.46	1,79,75.81
			सब्सिडी (संदर्भ-परिशिष्ट -II)	42,74.87	20,92.03
ब्याज प्राप्तियां (संदर्भ-विवरण 3 एवं 14)	3,09.51	47.20	सामान्य सेवाएं (संदर्भ-विवरण 4-क, 4-ख एवं 15)	1,32,12.63	1,26,39.04
अन्य (संदर्भ-विवरण 3)	84,40.47	82,10.78	ब्याज की अदायगी तथा ऋण (संदर्भ-विवरण 4-क, 4-ख एवं 15)	53,07.71	48,51.97
			पेंशन (संदर्भ-विवरण 4-क, 4-ख एवं 15)	60,04.60	59,91.48
			अन्य (संदर्भ-विवरण 4-ख)	19,00.32	17,95.59

¹ वेतन, सब्सिडी एवं सहायता अनुदान के आंकड़ों का एक समेकित आंकड़ा प्रस्तुत करने के लिए सभी खण्डों को जोड़ दिया जाता है। इस विवरणी में "सामाजिक", "सामान्य" एवं "आर्थिक" सेवाओं में दिए गए व्यय के आंकड़ों में वेतन, आर्थिक सहायता एवं सहायक अनुदान की राशि सम्मिलित नहीं है। (पाद टिप्पणी -2 में स्पष्ट किया गया है।)

² सरकार द्वारा सहायता अनुदान संविधिक नियमों, कंपनियों, स्वायत्त निकायों, आदि को दिए जाते हैं जिन्हें एक लाइन मद में ऊपर दर्शाया गया है। ये अनुदान स्थानीय निकायों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति एवं करों, शुल्कों का समनुदेशन से भिन्न है तथा एक अलग लाइन मद "स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन" के अंतर्गत दर्शाया गया है।

2. प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण - क्रमशः

	प्राप्तियां		संवितरण	
	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
	(₹ करोड़ में)		(₹ करोड़ में)	
			सामाजिक सेवाएं (संदर्भ-विवरण 4-क एवं 15)	61,41.37 52,27.07
संघीय करों/शुल्कों का हिस्सा (संदर्भ-विवरण 3 एवं 14)	2,05,93.04	2,39,06.16	आर्थिक सेवाएं (संदर्भ-विवरण 4-क एवं 15)	8,52.74 6,05.36
केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान (संदर्भ-विवरण 3 एवं 14)	1,23,02.67	92,35.52	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन (संदर्भ-विवरण 4-क एवं 15)	1.22 0.00
कुल राजस्व प्राप्तियां	5,84,17.14	5,61,51.70	कुल राजस्व व्यय	5,64,56.63 5,06,30.73
राजस्व घाटा	0.00	0.00	राजस्व अधिशेष	19,60.51 55,20.97
अनुभाग - ब राजस्व				
पूँजीगत प्राप्तियां (संदर्भ-विवरण 3 एवं 14)	0.00	0.00	पूँजीगत व्यय ³ (संदर्भ-विवरण 4-क, 4-ख एवं 16)	
			सामान्य सेवाएं (संदर्भ-विवरण 4-क एवं 16)	12,39.17 7,91.04
			सामाजिक सेवाएं (संदर्भ-विवरण 4-क एवं 16)	14,30.31 16,15.45
			आर्थिक सेवाएं (संदर्भ-विवरण 4-क एवं 16)	72,09.23 83,05.22
कुल पूँजीगत प्राप्तियां	0.00	0.00	कुल पूँजीगत व्यय	98,78.71 1,07,11.71
कर्जे एवं पेशगियाँ की वापसी (संदर्भ-विवरण 3,7 एवं 18)	49.19	47.57	संवितरित कर्जे एवं पेशगियाँ (संदर्भ-विवरण 4-क, 7 एवं 18)	
			सामाजिक सेवाएं (संदर्भ-विवरण 4-क, 7 एवं 18)	23.59 23.23
			आर्थिक सेवाएं (संदर्भ-विवरण 4-क, 7 एवं 18)	89.32 14,15.48
			अन्य (संदर्भ-विवरण 7)	52.52 46.88
कुल कर्जे एवं पेशगियाँ की वापसी	49.19	47.57	कुल संवितरित कर्जे एवं पेशगियाँ	1,65.43 14,85.59

³ वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत 'वेतन' व्यय के रूप में मुख्य शीर्षों '4515' एवं '5054' के अंतर्गत ₹ 46.60 करोड़ एवं ₹ 49.35 करोड़ शामिल हैं। इसमें अन्य व्यय एवं यात्रा व्यय भी शामिल हैं।

2. प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण - क्रमशः

	प्राप्तियां		संवितरण		
	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	
	(₹ करोड़ में)		(₹ करोड़ में)		
लोक ऋण प्राप्तियां (संदर्भ-विवरण 3, 6 एवं 17)			लोक ऋण का पुनर्भुगतान (संदर्भ-विवरण 4-क, 6 एवं 17)		
आन्तरिक ऋण (बाजार कर्ज, राष्ट्रीय अल्प बचत निधियां आदि) (संदर्भ-विवरण 3, 6 एवं 17)	91,67.14	75,30.52	आन्तरिक ऋण (बाजार कर्ज, राष्ट्रीय अल्प बचत निधियां आदि) (संदर्भ-विवरण 4-क, 6 एवं 17)	40,57.86	28,93.42
भारत सरकार से कर्ज (संदर्भ-विवरण 3, 6 एवं 17)	4,25.98	2,72.91	भारत सरकार से कर्ज (संदर्भ-विवरण 4-क, 6 एवं 17)	1,73.54	1,66.68
कुल लोक ऋण प्राप्तियां	95,93.12	78,03.43	कुल लोक ऋण का पुनर्भुगतान	42,31.40	30,60.10
अन्तर्राज्यीय परिशोधन का निवल	0.00	0.00	अन्तर्राज्यीय परिशोधन का निवल	0.00	0.00
कुल पूंजीगत प्राप्तियां	96,42.31	78,51.00	कुल पूंजीगत व्यय	1,42,75.54	1,52,57.40
कुल प्राप्तियां समेकित निधि (संदर्भ-विवरण 3)	6,80,59.45	6,40,02.70	कुल व्यय समेकित निधि (संदर्भ-विवरण 4)	7,07,32.17	6,58,88.13
समेकित निधि में कमी	26,72.72	18,85.43	समेकित निधि में अधिशेष	0.00	0.00
भाग- II आकस्मिकता निधि					
आकस्मिकता निधि (संदर्भ-विवरण 21)	0.00	0.00	आकस्मिकता निधि (संदर्भ-विवरण 21)	0.00	0.00

2. प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण - क्रमशः

	प्राप्तियां		संवितरण	
	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
	(₹ करोड़ में)		(₹ करोड़ में)	
भाग III - लोक लेखा ⁴				
अल्प बचत, भविष्य निधि इत्यादि (संदर्भ-विवरण 21)	11,75.37	11,20.04	अल्प बचत, भविष्य निधि इत्यादि (संदर्भ-विवरण 21)	11,69.63 10,51.11
अनारक्षित एवं शोधन निधियां (संदर्भ-विवरण 21)	43,79.02	4,21.00	आरक्षित एवं शोधन निधियां (संदर्भ-विवरण 21)	3,61.09 41.95
जमा (संदर्भ-विवरण 21)	1,58,32.84	1,28,79.34	जमा (संदर्भ-विवरण 21)	1,45,94.56 1,13,82.74
पेशगियाँ (संदर्भ-विवरण 21)	4,89.40	3,03.10	पेशगियाँ (संदर्भ-विवरण 21)	4,90.27 3,03.61
उचंत एवं विविध ⁵ (संदर्भ-विवरण 21)	6,39,28.70	3,29,15.53	उचंत एवं विविध ⁵ (संदर्भ-विवरण 21)	6,67,42.53 3,26,03.30
प्रेषण (संदर्भ-विवरण 21)	1,11,06.53	1,06,47.59	प्रेषण (संदर्भ-विवरण 21)	1,11,23.50 1,05,87.99
कुल प्राप्तियां लोक लेखा (संदर्भ-विवरण 21)	9,69,11.86	5,82,86.60	कुल व्यय लोक लेखा (संदर्भ-विवरण 21)	9,44,81.58 5,59,70.70
लोक लेखा में कमी	0.00	0.00	लोक लेखा में अधिशेष	24,30.28 23,15.90
अथ रोकड़ शेष	1,88.30	(-)2,42.16	अंत रोकड़ शेष	(-)54.14 1,88.30
रोकड़ शेष में वृद्धि	0.00	4,30.46	रोकड़ शेष में कमी	2,42.44 0.00

4 विस्तृत ब्योरे के लिए कृपया खण्ड II में विवरणी सं. 21 देखें।

5 "उचंत एवं विविध में" "अन्य लेखे" जैसे रोकड़ शेष निवेश लेखा (मुख्य शीर्ष 8673) इत्यादि शामिल है। इन "अन्य लेखों" के आंकड़ों के चलते आंकड़े बहुत बड़ा दिखाता है। विस्तृत ब्योरे कृपया विवरणी सं. 21 में देखा जाए।

2. प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण- क्रमशः

विवरण संख्या - 2 का अनुबंध रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेषों का निवेश

	31 मार्च 2019 तक	31 मार्च 2020 तक
(₹ करोड़ में)		
(क) सामान्य रोकड़ शेष		
(1) रिजर्व बैंक के पास जमा ¹	1,88.30	(-)54.14
(2) रोकड़ शेष निवेश लेखा में किया गया निवेश	1,67.90	30,70.62
जोड़ - (क)	3,56.20	30,16.48
(ख) अन्य रोकड़ शेष और निवेश² -		
(1) विभागीय अधिकारियों अर्थात् वन और लोक-निर्माण विभाग के अधिकारियों के पास रोकड़	39.05	46.84
(2) विभाग के अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी अग्रिम राशियाँ	0.13	0.16
(3) कर्नान्कित निधियों का निवेश	4,00.00	4,00.00
जोड़ - (ख)	4,39.18	4,47.00
जोड़ - (क) और (ख)	7,95.38	34,63.48

¹ शीर्ष 'रिजर्व बैंक में जमा' के अंतर्गत शेष, 10 अप्रैल 2020 तक भारतीय रिजर्व बैंक को दिए गए परामर्श के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 से संबंधित अन्तर्शासकीय मौद्रिक समायोजन को लेखे में समाविष्ट करने के पश्चात् ही निकला जा सकता है।

'रिजर्व बैंक के पास जमा' के संबंध में लेखे में परिलक्षित आँकड़े (₹41.69 करोड़ नामे) और रिजर्व बैंक द्वारा सूचित किये गए आँकड़े (₹ 54.14 करोड़ जमा) के बीच ₹ 12.45 करोड़ (निवल नामे) का अंतर था जो रोकड़ शेष में सम्मिलित है। वर्ष 2019-20 के लिए ₹ 40.08 करोड़ के विसंगति विवरण भारतीय रिजर्व बैंक, पटना को मिलान करने एवं भारतीय रिजर्व जमा शेष में आवश्यक सुधार करने हेतु भेज दिया गया है तथा अक्टूबर 1987 के पूर्व अवधि के लिए शेष ₹ 1.61 करोड़ (नामे) का अंतर समाधान के अधीन है।

² इस रोकड़ शेष स्थिति में, बैंक खाते में स्थानांतरित अव्ययित शेष शामिल नहीं है।

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ :-

- (क) **रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य** : कोषागारों में रोकड़ तथा भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य बैंकों में जमा एवं पारगमन हेतु प्रेषण, जैसा कि नीचे उल्लेखित है, 'रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य' का निर्माण करते हैं। शीर्ष 'रिजर्व बैंक में जमा' के अंतर्गत शेष वर्ष के अंत में समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखे का सम्मिलित शेष बतलाते हैं। सम्पूर्ण रूप से रोकड़ की स्थिति को जानने के लिए, रोकड़ शेषों/आरक्षित निधियों इत्यादि में से कोषागारों, विभागों एवं निवेशों के रोकड़ शेष, को 'भारतीय रिजर्व बैंक में जमा' के शेष में जोड़ा जाना चाहिए।
- (ख) **दैनिक रोकड़ शेष** : भारतीय रिजर्व बैंक के साथ किये गए करार के अंतर्गत राज्य सरकार को प्रत्येक दिन बैंक के पास ₹ 0.45 करोड़ का न्यूनतम रोकड़ शेष रखना होता है। यदि किसी भी दिन रोकड़ शेष इस न्यूनतम राशि से कम पड़ जाता है, तो इस कमी को समय-समय पर साधारण एवं विशेष अर्थोपाय अग्रिम/ओभरड्राफ्ट्स लेकर पूरा किया जाता है।

2. प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण- क्रमांत

विवरण संख्या - 2 का अनुबंध

रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेषों का निवेश - क्रमांत

अर्थोपाय अग्रिम/ओभरड्राफ्ट्स स्वीकृत करने हेतु दैनिक रोकड़ शेष³ ज्ञात करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक धारित 14 दिनों का कोषागार विपत्रों सहित लेन-देनों के रिपोर्ट (भारतीय रिजर्व बैंक के काउंटर्स पर, अन्तर्शासकीय लेन-देन तथा एजेंसी बैंकों के द्वारा रिपोर्ट किए गए कोषागारों के लेन-देन) के साथ उस दिन के लिए मूल्यांकन करता है। इस प्रकार से ज्ञात किए गए रोकड़ शेष में, 14 दिनों के कोषागार विपत्रों की परिपक्वता, यदि कोई हो, को जोड़ा जाता है और अधिक शेष यदि कोई हो, तो न्यूनतम रोकड़ शेष को पूरा करने के बाद, कोषागार विपत्रों में पुननिवेश किया जाता है।

जब रोकड़ शेष इस न्यूनतम शेष या जमा शेष से कम पड़ जाता है और यदि उस दिन कोई भी 14 दिनों का कोषागार विपत्र परिपक्व नहीं हो रहा है, तब भारतीय रिजर्व बैंक, धारित 14 दिनों का कोषागार विपत्र पर पुनः छूट देती है, ताकि काम को पूरा किया जा सके, यदि उस दिन कोई भी धारित 14 दिनों का कोषागार विपत्र नहीं है, तब राज्य सरकार अर्थोपाय अग्रिम/विशेष अर्थोपाय अग्रिम/ओभरड्राफ्ट्स के लिए आवेदन करती है।

(ग) दिनांक 1 फरवरी 2016 से प्रभावी राज्य सरकार को दिए जाने वाले साधारण अर्थोपाय अग्रिम की सीमा ₹ 7,20.00 करोड़ थी। सरकार की प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर उसके बदले विशेष अर्थोपाय अग्रिम दिए जाने पर बैंक ने भी अपनी सहमति दी। विशेष अर्थोपाय अग्रिम की सीमा को बैंक द्वारा समय-समय पर पुनरीक्षित किया जाता है। वर्ष 2019-20 के दौरान सरकार ने रिजर्व बैंक के साथ जिस सीमा तक न्यूनतम शेष बरकरार रखा, वह नीचे दिया गया है :-

(i) दिनों की संख्या, जिसमें बिना कोई अग्रिम लिए न्यूनतम शेष बरकरार रखा गया	350
(ii) दिनों की संख्या, जिसमें साधारण अर्थोपाय अग्रिम लेकर न्यूनतम शेष बरकरार रखा गया	16
(iii) दिनों की संख्या, जिसमें विशेष अर्थोपाय अग्रिम लेकर न्यूनतम शेष बरकरार रखा	शून्य
(iii) दिनों की संख्या, जिसमें उपरोक्त अग्रिम लेने के बाद भी न्यूनतम शेष से कम था लेकिन कोई ओभरड्राफ्ट्स नहीं लिया गया।	शून्य
(iv) दिनों की संख्या, जिसमें ओभरड्राफ्ट्स लिया गया था।	शून्य

(घ) राज्य सरकार द्वारा ₹ 14,72.13 करोड़ अर्थोपाय अग्रिम 2019-20 में लिया गया था एवं इस राशि को इसी वित्तीय वर्ष के दौरान वापस कर दिया गया है। अर्थोपाय अग्रिम प्राप्त होने पर उसे 6003-110 शीर्ष के अंतर्गत जमा किया गया एवं उसका पुनर्भुगतान करने के पश्चात 'घटाएँ-जमा' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। इसलिए अर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत कोई राशि नहीं दिखाया गया है। यद्यपि लिए गए अर्थोपाय अग्रिम के लिए वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 3.95 करोड़ का ब्याज भुगतान किया गया है।

(ङ) ₹ 30,70.62 करोड़ का निवेश रोकड़ शेष से अन्य राज्य सरकारों के प्रतिभूतियों में किया गया। रोकड़ शेष निवेश लेखा में किया गया निवेश पर ₹ 147.42 करोड़ का ब्याज मिला।

(च) राज्य सरकार द्वारा अपनी प्रतिभूतियों में कोई निवेश नहीं किया था।

(छ) उद्विष्ट निधियों में से किए गए निवेशों का ब्योरा विवरण संख्या 22 में दिया गया है।

³ उपरोक्त रोकड़ शेष (भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा) 31 मार्च को वर्ष के अंत रोकड़ शेष को दर्शाते हैं, किन्तु इसे 16 अप्रैल तक निकाल जाता है, जो साधारणतः 31 मार्च का दैनिक शेष नहीं है।

**3. प्राप्तियों का विवरण
(समेकित निधि)**

विवरण	वास्तविकी	
	2019-20	2018-19
I. राजस्व प्राप्तियाँ		
		(₹ करोड़ में)
क कर राजस्व	3,73,64.49	3,86,58.20
क.1 निजी कर राजस्व	1,67,71.45	1,47,52.04
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	84,17.72	82,00.84
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	39,96.33	34,74.96
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	20,09.27	10,82.82
वाहन कर	11,28.98	8,63.94
स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	5,60.33	4,51.04
भू-राजस्व	3,37.98	3,89.38
विद्युत कर तथा शुल्क	2,36.24	2,09.07
आय पर अन्य कर तथा व्यय	83.93	78.61
वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	0.66	1.38
सेवा कर	0.01	0.00
कृषि आय पर कर	0.00	0.00
होटल प्राप्तियाँ	0.00	0.00
माल तथा यात्री कर	0.00	0.00
क.2 संघीय करों एवं शुल्कों के निवल आगमों का हिस्सा	2,05,93.04	2,39,06.16
निगम कर	70,21.40	83,13.36
केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर	58,43.70	59,00.18
आय पर निगम कर से भिन्न कर	55,01.74	61,22.43
सीमा शुल्क	13,05.32	16,94.50
संघ उत्पाद शुल्क	9,07.52	11,26.11
वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	13.04	12.34
धन कर	0.32	3.05
सेवा कर	0.00	2,19.99
आय पर अन्य कर तथा व्यय	0.00	43.30
एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर	0.00	4,70.90
जोड़ क	3,73,64.49	3,86,58.20

**3. प्राप्तियों का विवरण - क्रमशः
(समेकित निधि)**

विवरण	वास्तविकी	
	2019-20	2018-19
I. राजस्व प्राप्तियाँ - क्रमशः		
	(₹ करोड़ में)	
ख. करेतर राजस्व	87,49.98	82,57.98
अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	54,61.36	59,34.64
शहरी विकास	5,28.84	2,65.34
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	4,68.71	5,89.92
मुख्य सिंचाई	4,23.73	3,20.51
सिविल आपूर्ति	4,19.74	5.67
ब्याज प्राप्तियाँ	3,09.51	47.20
फसल कृषि - कर्म	1,60.40	15.23
अन्य सामान्य सेवाएं	1,39.79	36.87
सड़क तथा सेतु	1,06.49	1,43.31
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	89.28	69.91
सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	84.61	8.46
उर्जा	83.15	42.47
अन्य सामाजिक सेवाएं	82.53	1,76.80
श्रम तथा रोजगार	79.88	85.98
डेयरी विकास	42.33	1,37.55
पुलिस	38.25	51.08
मध्यम सिंचाई	30.52	21.05
अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	30.38	27.05
अन्य उद्योग	24.93	1.79
पर्यटन	18.72	0.88
वानिकी तथा वन्य जीवन	17.59	14.79
सहकारिता	16.40	1.64
ग्राम तथा लघु उद्योग	14.85	78.86

**3. प्राप्तियों का विवरण - क्रमशः
(समेकित निधि)**

विवरण	वास्तविकी	
	2019-20	2018-19
I. राजस्व प्राप्तियाँ - क्रमांत		
	(₹ करोड़ में)	
पशुपालन	13.75	2.33
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	12.25	9.47
जल पूर्ति तथा सफाई	11.89	8.45
चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	8.75	25.98
मछली पालन	8.49	5.83
पेंशन तथा अन्य सेवानिवृति लाभों का अंशदान तथा वसूलियां	5.99	5.22
लोक निर्माण कार्य	5.78	9.55
आवास	3.23	50.39
जेल	2.87	6.10
लघु सिंचाई	2.42	3.27
उद्योग	1.47	38.41
अन्य कृषि कार्यक्रम	0.88	0.00
नगर विमानन	0.14	0.34
आपूर्ति एवं निस्तारण	0.05	0.10
सूचना एवं प्रसार	0.01	0.01
परिवार कल्याण	0.01	0.03
जन सेवा आयोग	0.00	15.48
सड़क परिवहन	0.00	0.01
भूमि सुधार	0.00	0.00
सामग्री एवं मुद्रण	0.00	0.01
अन्य राजकोषीय सेवाएं	0.00	0.00
लाभांश और मुनाफा	0.00	0.00
जोड़ ख	87,49.98	82,57.98

**3. प्राप्तियों का विवरण - क्रमशः
(समेकित निधि)**

विवरण	वास्तविकी	
	2019-20	2018-19
II. भारत सरकार से अनुदान प्राप्त		
	(₹ करोड़ में)	
ग केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान	1,23,02.67	92,35.52
ग. 1 योजनेतर अनुदान	0.00	0.00
	संविधान के अन्तर्गत अनुदान (राजस्व आज़ा का वितरण)	0.00
	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक के अन्तर्गत अनुदान	0.00
	राज्य आपदा मोचन निधि के लिए अंशदान हेतु अनुदान	0.00
	राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि के अंतर्गत अनुदान	0.00
	अन्य अनुदान	0.00
ग. 2 राज्य/संघक्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान	0.00	0.00
	ब्लॉक अनुदान (बाह्य सम्पौषित परियोजना सहित)	0.00
	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक के अन्तर्गत अनुदान	0.00
	केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान	0.00
	अन्य अनुदान	0.00
ग. 3 केन्द्रीय योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान	0.00	0.00
ग. 4 केन्द्र द्वारा समर्थित योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान	0.00	0.00
ग. 5 विशेष योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान	0.00	0.00
ग. 6 केन्द्रीय योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान	73,39.05	69,96.85
ग. 7 वित्त आयोग अनुदान	31,54.60	10,59.89
ग. 8 अन्य अंतरण/राज्यों को अनुदान	18,09.01	11,78.78
	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक के अंतर्गत अनुदान	1,11.66
	केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान	1,37.67
	जीएसटी लागू करने के कारण हुए राजस्व घाटे का हर्जाना	15,31.82
	केन्द्रीय बिक्री कर के चरणबद्ध तरीके से हटाने के कारण हुए राजस्व घाटे का हर्जाना	0.00
	अन्य अनुदान	27.86
जोड़ ग	1,23,02.67	92,35.52
जोड़ राजस्व प्राप्तियां (क+ख+ग)	5,84,17.14	5,61,51.70

**3. प्राप्तियों का विवरण - क्रमांत
(समेकित निधि)**

विवरण	वास्तविकी	
	2019-20	2018-19
III. पूंजी, लोक ऋण एवं अन्य प्राप्तियाँ		
(₹ करोड़ में)		
घ. पूंजी प्राप्तियाँ		
विनिवेश	0.00	0.00
अन्य	0.00	0.00
जोड़ घ	0.00	0.00
ड. लोक ऋण प्राप्तियाँ	95,93.12	78,03.42
ड 1 राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण	91,67.14	75,30.51
बाजार कर्ज	75,00.00	55,09.00
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से कर्ज	14,33.24	17,64.26
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से कर्ज	3.42	0.00
अन्य संस्थाओं से कर्ज	2,30.48	2,57.26
राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रभूतियाँ	0.00	0.00
क्षतिपूर्ति एवं अन्य बंधपत्र	0.00	0.00
अर्थोपाय अग्रिम	0.00	0.00
ड 2 केन्द्र सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	4,25.98	2,72.91
योजनेतर कर्ज	0.00	0.00
राज्य की योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज	4,25.98	2,72.91
केन्द्रीय योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज	0.00	0.00
केन्द्रीय प्रायोजित योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज	0.00	0.00
जोड़ ड	95,93.12	78,03.43
च. राज्य सरकार के द्वारा कर्ज तथा अग्रिमों की (वसुलियाँ¹)	49.19	47.57
छ. अन्तर्राज्यीय परिशोधन	0.00	0.00
कुल प्राप्तियाँ समेकित निधि (क+ख+ग+घ+ड+च+छ)	6,80,59.45	6,40,02.70

¹खंड -I के विवरण सं. 7 एवं खंड -II के विवरण सं. 18 में विस्तृत विवरण देखें।

4. व्यय का विवरण
(समेकित निधि)

विवरण	राजस्व	पूँजी	ऋण एवं अग्रिम	कुल
क. कार्यात्मक व्यय				
(₹ करोड़ में)				
क सामान्य सेवाएँ				
क. 1 राज्य के अंग				
संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडल	91.94	0.00	0.00	91.94
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति/ राज्यपाल/ संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	10.11	0.00	0.00	10.11
मंत्री परिषद	15.35	0.00	0.00	15.35
न्याय प्रशासन	4,55.63	0.00	0.00	4,55.63
निर्वाचन	3,51.24	0.00	0.00	3,51.24
क. 2 राजकोषीय सेवाएँ				
भू-राजस्व	3,63.68	0.00	0.00	3,63.68
स्टाम्प एवं पंजीकरण	24.90	0.00	0.00	24.90
राज्य उत्पाद शुल्क	30.53	0.00	0.00	30.53
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	80.26	0.00	0.00	80.26
वाहन कर	7.29	0.00	0.00	7.29
वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	1.69	0.00	0.00	1.69
अन्य राजकोषीय सेवाएँ	2.63	62.79	0.00	65.42
ब्याज अदायगियाँ	53,07.71	0.00	0.00	53,07.71
क. 3 प्रशासनिक सेवाएँ				
लोक सेवा आयोग	18.86	0.00	0.00	18.86
सचिवालय - सामान्य सेवाएँ	1,04.19	0.00	0.00	1,04.19
जिला प्रशासन	3,95.67	0.00	0.00	3,95.67
खजाना एवं लेखा प्रशासन	25.41	0.00	0.00	25.41
पुलिस	49,01.01	8,06.63	0.00	57,07.64
जेल	1,63.59	0.00	0.00	1,63.59
लेखन सामग्री एवं मुद्रण	1.64	0.00	0.00	1.64
लोक निर्माण कार्य	1,32.66	3,66.15	0.00	4,98.81
अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	2,21.25	3.60	0.00	2,24.85
क. 4 पेंशन एवं विविध सामान्य सेवाएँ				
पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभ	60,04.60	0.00	0.00	60,04.60
विविध सामान्य सेवाएँ	2.02	0.00	0.00	2.02
जोड़ सामान्य सेवाएँ	1,87,13.85	12,39.17	0.00	1,99,53.02

4. व्यय का विवरण - क्रमशः
(समेकित निधि)

विवरण	राजस्व	पूँजी	ऋण एवं अग्रिम	कुल
क. कार्यात्मक व्यय- क्रमशः				
(₹ करोड़ में)				
ख. सामाजिक सेवाएँ				
ख.1 शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति				
सामान्य शिक्षा	93,05.71	0.00	0.00	93,05.71
तकनीकी शिक्षा	3,71.73	2,33.24	0.00	6,04.97
खेलकूद एवं युवा सेवाएँ	55.40	24.62	0.00	80.02
कला एवं संस्कृति	14.15	0.27	0.00	14.42
ख.2 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण				
चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	27,87.39	3,47.69	0.00	31,35.08
परिवार कल्याण	3.41	0.00	0.00	3.41
ख.3 जल पूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास				
जल पूर्ति एवं सफाई	6,55.47	5,38.73	0.00	11,94.20
आवास	12.79	92.84	0.00	1,05.63
शहरी विकास	25,16.93	0.00	23.59	25,40.52
ख.4 सूचना एवं प्रसारण				
सूचना तथा प्रचार	1,94.73	8.81	0.00	2,03.54
ख.5 अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण				
अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	12,05.41	1,65.36	0.00	13,70.77
ख.6 श्रमिक एवं श्रम कल्याण				
श्रम तथा रोजगार	1,24.73	0.00	0.00	1,24.73
ख.7 समाज कल्याण एवं पोषण				
सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	35,11.26	0.86	0.00	35,12.12
पोषण	4,36.15	0.00	0.00	4,36.15
प्राकृतिक आपदा के कारण राहत	2,21.24	0.00	0.00	2,21.24
ख.8 अन्य				
अन्य सामाजिक सेवाएँ	0.66	17.88	0.00	18.54
सचिवालय - सामाजिक सेवाएँ	30.74	0.00	0.00	30.74
जोड़ सामाजिक सेवाएँ	2,14,47.88	14,30.31	23.59	2,29,01.78

4. व्यय का विवरण - क्रमशः
(समेकित निधि)

विवरण	राजस्व	पूँजी	ऋण एवं अग्रिम	कुल
क. कार्यात्मक व्यय - क्रमशः				
(₹ करोड़ में)				
ग आर्थिक सेवाएँ				
ग.1 कृषि तथा संबद्ध कार्यकलाप				
फसल कृषि कर्म	18,90.37	0.08	0.00	18,90.45
मृदा एवं जल संरक्षण	35.25	61.68	0.00	96.93
पशुपालन	2,06.60	5.07	0.00	2,11.67
डेयरी विकास	58.79	0.00	0.00	58.79
मछलीपालन	58.69	38.67	0.00	97.36
वानिकी एवं वन्य जीवन	5,61.85	0.00	0.00	5,61.85
खाद्य संग्रहण एवं भंडारण	0.00	0.38	0.00	0.38
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	1,24.97	0.00	0.00	1,24.97
सहकारिता	63.17	47.98	0.00	1,11.15
अन्य कृषि कार्यक्रम	5.91	0.00	0.00	5.91
ग.2 ग्राम विकास				
ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	6,07.69	0.00	0.00	6,07.69
ग्राम रोजगार	34,95.94	0.00	0.00	34,95.94
अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	37,69.15	19,91.11	0.00	57,60.26
ग.3 सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण				
मुख्य सिंचाई	1,59.12	4,15.13	0.00	5,74.25
मध्यम सिंचाई	1,51.18	7,49.34	0.00	9,00.52
लघु सिंचाई	75.33	1,58.85	0.00	2,34.18
कमान क्षेत्र विकास	0.00	0.00	0.00	0.00
बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकास	0.00	5.47	0.00	5.47
ग.4 ऊर्जा				
बिजली	28,44.93	0.00	89.32	29,34.25
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	1,55.00	0.00	0.00	1,55.00
ग.5 उद्योग तथा खनिज				
ग्रामीण एवं लघु उद्योग	1,60.42	0.00	0.00	1,60.42
उद्योग	1,08.40	0.00	0.00	1,08.40
अलौह खनन और धातु कर्म उद्योग	55.00	0.00	0.00	55.00
उद्योगों तथा खनिज पर अन्य परिव्यय	0.00	4.00	0.00	4.00

**4. व्यय का विवरण - क्रमशः
(समेकित निधि)**

विवरण	राजस्व	पूँजी	ऋण एवं अग्रिम	कुल
क. कार्यात्मक व्यय - क्रमांत				
(₹ करोड़ में)				
ग.6 परिवहन				
नगर विमानन	5.11	3.41	0.00	8.52
सड़क एवं सेतु	2,42.43	36,74.33	0.00	39,16.76
सड़क परिवहन	0.03	9.20	0.00	9.23
अन्य परिवहन सेवाएँ	1,67.00	0.00	0.00	1,67.00
ग.7 सामान्य आर्थिक सेवाएँ				
सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	57.90	0.00	0.00	57.90
पर्यटन	70.76	44.46	0.00	1,15.22
जनगणना सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी	31.87	0.00	0.00	31.87
सामान्य वित्तीय एवं ट्रेडिंग संस्थानों में निवेश	0.00	0.08	0.00	0.08
सिविल पूर्ति	11,27.34	0.00	0.00	11,27.34
अन्य आर्थिक सेवाएँ	3.47	0.00	0.00	3.47
जोड़ आर्थिक सेवाएँ	1,62,93.67	72,09.24	89.32	2,35,92.23
घ. ऋण, सहायता अनुदान एवं अंशदान				
स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	1.22	0.00	0.00	1.22
ङ. सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्ज				
सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्ज	0.00	0.00	52.52	52.52
च. लोक ऋण				
राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण	0.00	0.00	40,57.86	40,57.86
केंद्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	0.00	0.00	1,73.54	1,73.54
छ. अन्तर्राज्यीय परिशोधन				
अन्तर्राज्यीय परिशोधन	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल ऋण, सहायता अनुदान एवं अंशदान	1.22	0.00	42,83.92	42,85.14
जोड़ समेकित निधि व्यय	5,64,56.63	98,78.71	43,96.83	7,07,32.17

4. व्यय का विवरण (समेकित निधि) - क्रमशः

व्यय का उद्देश्य	2017-18			2018-19			2019-20		
	राजस्व	पूँजी	कुल	राजस्व	पूँजी	कुल	राजस्व	पूँजी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ख. व्यय की प्रकृति									
(₹ करोड़ में)									
1 वेतन	1,11,74.50	46.36	1,12,20.86	1,20,91.42	46.60	1,21,38.02	1,27,82.34	49.35	1,28,31.69
2 सहायक अनुदान (गैर-वेतन)	1,23,26.11	0.00	1,23,26.11	87,27.35	0.00	87,27.35	1,07,25.29	0.00	1,07,25.29
3 मुख्य कार्य (राज्य योजना)	0.00	1,11,14.84	1,11,14.84	0.88	99,96.48	99,97.36	0.40	92,28.85	92,29.25
4 पूँजीगत परिसम्पत्ति के लिए सहायक अनुदान	64,41.73	0.00	64,41.73	73,71.03	0.00	73,71.03	70,79.39	0.00	70,79.39
5 पेंशन प्रभार ¹	59,13.24	0.00	59,13.24	59,91.48	0.00	59,91.48	60,04.60	0.00	60,04.60
6 ब्याज अदायगियाँ	46,61.68	0.00	46,61.68	48,51.97	0.00	48,51.97	53,07.71	0.00	53,07.71
7 सहायक अनुदान (वेतन)	19,46.15	0.00	19,46.15	18,77.41	0.00	18,77.41	13,86.79	0.00	13,86.79
8 उधार का पुनर्भुगतान	0.00	29,49.50	29,49.50	0.00	30,60.09	30,60.09	0.00	42,31.40	42,31.40
9 आपूर्ति एवं सामग्रियाँ	8,40.07	68.25	9,08.32	8,76.10	63.42	9,39.52	8,22.69	51.48	8,74.17
10 ऋण एवं अग्रिम	0.00	18,51.67	18,51.67	0.00	14,85.59	14,85.59	0.00	1,65.43	1,65.43
11 अन्य व्यय	7,40.11	5,30.51	12,70.62	7,99.67	3,78.48	11,78.15	7,06.45	3,84.07	10,90.52
12 छात्रवृत्ति/ वृत्ति	5,27.82	0.00	5,27.82	4,65.89	0.00	4,65.89	4,73.85	0.00	4,73.85
13 एक मुश्त	1,11.67	71.21	1,82.88	1,72.88	38.03	2,10.91	3,57.00	65.21	4,22.21
14 अनुरक्षण एवं मरम्मत	5,60.82	0.10	5,60.92	4,95.40	15.86	5,11.26	3,70.97	0.00	3,70.97
15 नकद राहत	15,71.69	17.81	15,89.50	16,44.11	29.87	16,73.98	26,84.29	17.75	27,02.04
16 मानदेय	3,40.97	0.00	3,40.97	3,89.17	0.00	3,89.17	4,99.82	0.00	4,99.82
17 सब्सिडी	14,39.76	0.00	14,39.76	20,92.03	0.00	20,92.03	42,74.87	0.00	42,74.87
18 कार्यालय व्यय	1,18.99	2.18	1,21.17	1,54.84	2.00	1,56.84	3,82.93	0.47	3,83.40
19 अंशदान	3,89.16	51.04	4,40.20	5,25.53	36.00	5,61.53	5,94.82	0.00	5,94.82
20 मजदूरी	2,69.67	0.00	2,69.67	2,61.70	0.00	2,61.70	3,75.32	0.00	3,75.32
21 यात्रा व्यय	1,63.92	0.11	1,64.03	1,61.79	0.18	1,61.97	2,57.93	0.31	2,58.24
22 व्यावसायिक सेवाएं	1,52.79	23.59	1,76.38	1,65.56	24.49	1,90.05	2,27.50	19.20	2,46.70
23 मशीन एवं उपस्कर	1,48.50	0.84	1,49.34	1,17.51	7.46	1,24.97	1,24.95	6.46	1,31.41
24 मेडिकल स्टोर आपूर्ति	26.80	0.00	26.80	27.56	0.00	27.56	21.97	0.00	21.97
25 मोटर गाड़ी	90.62	10.53	1,01.15	95.11	12.24	1,07.35	1,23.00	9.23	1,32.23
26 सविदा भत्ता	1,77.07	0.14	1,77.21	1,99.42	0.04	1,99.46	2,09.74	0.00	2,09.74
27 बिजली व्यय	61.24	0.02	61.26	86.05	0.01	86.06	52.86	0.01	52.87
28 वर्दी	37.30	0.05	37.35	32.64	0.04	32.68	38.21	0.05	38.26

¹ वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान मुख्य शीर्ष '2071-पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ' के अंतर्गत बिहार को पेंशन प्रभार के रूप में क्रमशः ₹ 2,00.00 करोड़ एवं ₹ 5,57.13 करोड़ शामिल है।

4. व्यय का विवरण (समेकित निधि) - क्रमांत

व्यय का उद्देश्य	2017-18			2018-19			2019-20		
	राजस्व	पूंजी	कुल	राजस्व	पूंजी	कुल	राजस्व	पूंजी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ख. व्यय की प्रकृति - क्रमांत									
(₹ करोड़ में)									
29 राशन की लागत	40.21	0.00	40.21	46.13	0.00	46.13	60.86	0.00	60.86
30 विज्ञापन एवं प्रचार	1,43.86	0.09	1,43.95	89.68	0.00	89.68	1,41.37	0.26	1,41.63
31 प्रशिक्षण भत्ता	10.05	1.78	11.83	3.96	0.50	4.46	3.95	0.22	4.17
32 अन्य प्रशासनिक व्यय	12.74	1.26	14.00	18.57	1.55	20.12	15.67	2.02	17.69
33 सेमिनार, प्रदर्शनी एवं प्रचार	96.79	0.77	97.56	77.80	0.05	77.85	89.30	0.23	89.53
34 केन्द्र प्रायोजित योजना का राज्य हिस्सा	3,20.70	0.00	3,20.70	5,38.54	1.77	5,40.31	3,34.35	0.00	3,34.35
35 सूचना, संचार एवं संचरण सेवाएँ (आई.सी.टी.)	81.77	0.07	81.84	1,23.80	0.02	1,23.82	1,42.85	0.03	1,42.88
36 प्रशिक्षण व्यय	35.71	1.77	37.48	28.60	1.43	30.03	24.90	2.90	27.80
37 किराया, दरें एवं कर/ कर शुल्क का हिस्सा	43.74	0.26	44.00	30.63	0.51	31.14	28.81	0.09	28.90
38 नई मोटर गाड़ी का क्रय	8.99	1.60	10.59	6.65	0.52	7.17	6.53	9.26	15.79
39 अन्य (प्रत्येक वस्तु शीर्ष के अन्तर्गत ₹10 करोड़ से कम व्यय शामिल है)	34.29	7.53	41.82	33.82	54.17	87.99	83.44	31.26	1,14.70
सकल व्यय	5,10,61.23	1,67,53.88	6,78,15.11	5,06,72.68	1,52,57.40	6,59,30.08	5,68,17.72	1,42,75.54	7,10,93.26
घटाएँ- वापसियाँ	1,09.16	0.00	1,09.16	41.95	0.00	41.95	3,61.09	0.00	3,61.09
निवल व्यय	5,09,52.07	1,67,53.88	6,77,05.95	5,06,30.73	1,52,57.40	6,58,88.13	5,64,56.63	1,42,75.54	7,07,32.17

5. प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण

मुख्य शीर्ष	विवरण	2018-19 के दौरान व्यय	2018-19 के अंत तक प्रगामी व्यय	2019-20 के दौरान व्यय	2019-20 के अंत तक प्रगामी व्यय	वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ ह्रास (-)
1	2	3	4	5	6	7
		(₹ करोड़ में)				
क-	सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा					
4047-	अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	54.66	1,94.98	62.79	2,57.77	14.87
4055-	पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	4,63.20	20,65.28	8,06.63	28,71.91	74.14
4059-	लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	2,69.05	19,96.57	3,66.15	23,62.72	36.09
4070-	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4.13	88.01	3.60	91.61	(-)12.83
	जोड़ - क - सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा	7,91.04	43,44.84	12,39.17	55,84.01	56.65
ख-	सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा					
(क)	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति का पूंजीगत लेखा					
4202-	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	3,56.38	26,21.75	2,58.13	28,79.87	(-)27.57
	जोड़ (क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति का पूंजीगत लेखा	3,56.38	26,21.75	2,58.13	28,79.87	(-)27.57
(ख)	स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण का पूंजीगत लेखा					
4210-	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	2,73.39	29,39.66	3,47.69	32,87.35	27.18
	जोड़ (ख) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण का पूंजीगत लेखा	2,73.39	29,39.66	3,47.69	32,87.35	27.18

5. प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण - क्रमशः

मुख्य शीर्ष	विवरण	2018-19 के दौरान व्यय	2018-19 के अंत तक प्रगामी व्यय	2019-20 के दौरान व्यय	2019-20 के अंत तक प्रगामी व्यय	वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ ह्रास (-)
1	2	3	4	5	6	7
		(₹ करोड़ में)				
ख-	सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः					
(ग)	जल पूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा					
4215-	जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	4,00.12	39,76.07	5,38.73	45,14.80	34.64
4216-	आवास पर पूंजीगत परिव्यय	1,36.70	6,74.10	92.84	7,66.95	(-)32.08
4217-	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	30.00	13,78.95	0.00	13,78.95	(-)100.00
	जोड़ (ग) जल पूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा	5,66.82	60,29.12	6,31.57	66,60.70	11.42
(घ)	सूचना एवं प्रचार का पूंजीगत लेखा					
4220-	सूचना एवं प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय	12.83	33.58	8.81	42.39	(-)31.33
	जोड़ (घ) सूचना एवं प्रचार का पूंजीगत लेखा	12.83	33.58	8.81	42.39	(-)31.33
(ङ)	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण का पूंजीगत लेखा					
4225-	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	3,94.59	24,63.26	1,65.36	26,28.62	(-)58.09
	जोड़ (ङ) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण का पूंजीगत लेखा	3,94.59	24,63.26	1,65.36	26,28.62	(-)58.09

5. प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण - क्रमशः

मुख्य शीर्ष	विवरण	2018-19 के दौरान व्यय	2018-19 के अंत तक प्रगामी व्यय	2019-20 के दौरान व्यय	2019-20 के अंत तक प्रगामी व्यय	वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ ह्रास (-)
1	2	3	4	5	6	7
						(₹ करोड़ में)
ख-	सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमांत					
(छ)	समाज कल्याण तथा पोषण का पूंजीगत परिव्यय लेखा					
4235-	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	5,95.31	0.87	5,96.18	100.00
	जोड़ (छ) समाज कल्याण तथा पोषण का पूंजीगत परिव्यय लेखा	0.00	5,95.31	0.87	5,96.18	100.00
(ज)	अन्य समाज कल्याण सेवाओं का पूंजीगत लेखा					
4250-	अन्य समाज कल्याण सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	11.44	1,20.10	17.88	1,37.98	56.29
	जोड़ (ज) अन्य समाज कल्याण सेवाओं का पूंजीगत लेखा	11.44	1,20.10	17.88	1,37.98	56.29
ग-	जोड़ ख सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा	16,15.45	1,48,02.78	14,30.31	1,62,33.09	(-)11.46
(क)	आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा					
4401-	कृषि तथा संबद्ध कार्यकलापों का पूंजीगत लेखा	0.00	97.18	0.08	97.24	100.00
4402-	फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय	2,60.41	10,57.41	61.68	11,19.09	(-)76.31
4403-	मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय	8.97	50.38	5.06	55.45	(-)43.59
	पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय					

5. प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण - क्रमशः

मुख्य शीर्ष	विवरण	2018-19 के दौरान व्यय	2018-19 के अंत तक प्रगामी व्यय	2019-20 के दौरान व्यय	2019-20 के अंत तक प्रगामी व्यय	वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ ह्रास (-)
1	2	3	4	5	6	7
		(₹ करोड़ में)				
ग-	आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः					
(क)-	कृषि तथा संबद्ध कार्यकलापों का पूंजीगत लेखा - क्रमांत					
4404-	डेरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	53.06	0.00	53.06	0.00
4405-	मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय	51.49	2,19.53	38.67	2,58.21	(-)24.90
4406-	वानिकी तथा वन्य प्राणियों पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	29.30	0.00	29.30	0.00
4408-	खाद्य भण्डारण तथा भण्डागार पर पूंजीगत परिव्यय	3.86	1,13.74	0.38	1,14.11	(-)90.16
4425-	सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय	65.60	3,14.30	47.98	3,62.29	(-)26.86
	जोड़ (क) कृषि तथा संबद्ध कार्यकलापों का पूंजीगत लेखा	3,90.33	19,34.90	1,53.85	20,88.75	(-)60.58
(ख)	ग्राम विकास का पूंजीगत लेखा					
4515-	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	24,60.88	1,76,22.68	19,91.11	1,96,13.78	(-)19.09
	जोड़ (ख) ग्राम विकास का पूंजीगत लेखा	24,60.88	1,76,22.68	19,91.11	1,96,13.78	(-)19.09
(घ)	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा					
4700-	मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	4,37.10	39,61.56	4,15.13	43,76.69	(-)5.03
4701-	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	7,09.17	40,99.90	7,49.34	48,49.24	5.66

5. प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण - क्रमशः

मुख्य शीर्ष	विवरण	2018-19 के दौरान व्यय	2018-19 के अंत तक प्रगामी व्यय	2019-20 के दौरान व्यय	2019-20 के अंत तक प्रगामी व्यय	वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ ह्रास (-)
1	2	3	4	5	6	7
		(₹ करोड़ में)				
ग-	आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः					
(घ)	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा - क्रमांत					
4702-	लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	3,11.96	24,14.86	1,58.85	25,73.70	(-49.08
4711-	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	18.23	1,90.89	5.47	1,96.35	(-69.99
	जोड़ (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा	14,76.46	1,06,67.21	13,28.79	1,19,95.98	(-10.00
(ङ)	ऊर्जा का पूंजीगत लेखा					
4801-	बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	2,03.23	0.00	2,03.23	0.00
	जोड़ (ङ) उर्जा का पूंजीगत लेखा	0.00	2,03.23	0.00	2,03.23	0.00
(च)	उद्योग तथा खनिजों का पूंजीगत लेखा					
4853-	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	7.38	0.00	7.38	0.00
4875-	अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	6.50	16.00	0.00	16.00	(-100.00
4885-	उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय	0.00	20.00	4.00	24.00	100.00
	जोड़ (च) उद्योग तथा खनिजों का पूंजीगत लेखा	6.50	43.38	4.00	47.38	(-38.46

5. प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण - क्रमशः

मुख्य शीर्ष	विवरण	2018-19 के दौरान व्यय	2018-19 के अंत तक प्रगामी व्यय	2019-20 के दौरान व्यय	2019-20 के अंत तक प्रगामी व्यय	वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ ह्रास (-)
1	2	3	4	5	6	7
		(₹ करोड़ में)				
ग-	आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमांत					
(छ)	परिवहन का पूंजीगत लेखा					
5053-	नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय	12.97	5,36.10	3.42	5,39.52	(-73.63)
5054-	सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	38,43.01	2,62,48.24	36,74.33	2,99,22.58	(-4.39)
5055-	सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	9.56	91.40	9.20	1,00.60	(-3.77)
5075-	अन्य परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	5.00	6,30.83	0.00	6,30.83	(-100.00)
	जोड़ (छ) परिवहन का पूंजीगत लेखा	38,70.54	2,75,06.57	36,86.95	3,11,93.53	(-4.74)
(ज)	सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा					
5452-	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	99.37	5,23.89	44.46	5,68.35	(-55.26)
5465-	सामान्य वित्तीय एवं ट्रेडिंग संस्थाओं में निवेश	0.00	2.00	0.08	2.08	100.00
5475-	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	1.14	46.92	0.00	46.93	(-100.00)
	जोड़ (ज) सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा	1,00.51	5,72.81	44.54	6,17.36	(-55.69)
	जोड़ ग आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा	83,05.22	5,85,50.78	72,09.23	6,57,60.01	(-13.20)
	कुल जोड़	1,07,11.71	7,76,98.40	98,78.71	8,75,77.11	(-7.78)

5. प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण - क्रमांत

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

1. पूंजीगत परिव्यय का विस्तृत ब्योरा विवरण संख्या 16 में दिया गया है।
2. सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, संयुक्त पूंजी कम्पनियों, सहकारी बैंकों और समितियों में सरकारी निवेश का ब्योरा विवरण संख्या 19 में दिया गया है।
3. उत्तरवर्ती बिहार राज्य तथा झारखण्ड राज्य के बीच दिनांक 14.11.2000 तक के संयुक्त बिहार का पूंजीगत परिव्यय का बंटवारा नहीं हुआ है।
4. सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, संयुक्त पूंजी कम्पनियों, सहकारी बैंकों और संयुक्त बिहार के समितियों में सरकारी निवेश का बंटवारा उत्तरवर्ती बिहार राज्य और झारखण्ड के बीच नहीं हुआ है।
5. 2019-20 के दौरान सरकारी कम्पनियों, सहकारी बैंक समितियों एवं ग्रामीण बैंको में ₹ 15.08 करोड़ का सरकारी निवेश किया गया। वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 के अंत तक विभिन्न इकाईयों के हिस्सा पूंजी में सरकार का कुल निवेश क्रमशः ₹ 3,76.87 करोड़, ₹ 4,32.87 करोड़ एवं ₹ 4,47.95 करोड़ था, कृपया विवरण संख्या 19 में दिए गए विस्तृत विवरण देखें।
6. उपर्युक्त तीन वर्षों के दौरान लाभांश से संबंधित सूचना निम्नवत है।

वर्ष (₹ करोड़ में)

2017-18	0.00
2018-19	0.00*
2019-20	0.00

7. विभाग द्वारा संचालित सरकारी उपक्रमों के कार्यों के वित्तीय परिणामों एक सारांश जैसा कि नवीनतम उपलब्ध प्रोफार्मा लेखे द्वारा प्रकट हुआ :-

उपक्रमों/ योजनाओं के नाम	मुख्य शीर्ष जिसके अन्तर्गत लेखाकरण किया गया	लेखे का वर्ष	पूंजी लागत	लाभ (+) / हानि(-)		पूंजी लागत पर लाभ अथवा हानि का प्रतिशत
				(₹ करोड़ में)		
1	2	3	4	5	6	
राज्य सरकार से कोई भी सूचना अब तक प्राप्त नहीं हुआ है (अगस्त 2020)।						

* ₹ 15 हजार मात्र।

6. उधार एवं अन्य दायित्वों का विवरण

(i) लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों का विवरण¹

उधारों की प्रकृति	1 अप्रैल 2019 वर्ष के दौरान वर्ष के दौरान 31 मार्च 2020		निवल वृद्धि (+)/		कुल दायित्वों का प्रतिशत
	को शेष	प्राप्तियाँ	वापसियाँ	हास (-)	
(₹ करोड़ में)					
क- लोक ऋण					
6003 राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	5,84,36.19	91,67.14	40,57.86	6,35,45.47	8.74
बाजार कर्ज	3,71,10.75	75,00.00	18,44.00	4,27,66.75	15.24
भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम ²	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
बंध-पत्र	55,58.07	0.00	0.00	55,58.07	0.00
वित्तीय संस्थाओं से कर्ज	74,05.71	16,67.14	14,44.37	76,28.48	3.01
राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	83,25.87	0.00	7,69.49	75,56.38	(-9.24)
अन्य कर्ज	35.79	0.00	0.00	35.79	0.00
6004 केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	23,39.08	4,25.98	1,73.54	25,91.52	10.79
01 योजनेतर कर्ज	15.79	0.00	1.77	14.02	(-1.77)
02 राज्य/ संघ क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज	23,23.29	4,25.98	1,71.77	25,77.50	10.94
जोड़ क - लोक ऋण	6,07,75.27	95,93.12	42,31.40	6,61,36.99	8.82

¹ विस्तृत विवरणों के लिए कृपया खण्ड - II में विवरण संख्या - 17 देखें।

² राज्य सरकार द्वारा ₹14,72.13 करोड़ अर्थोपाय अग्रिम वर्ष 2019-20 में लिया गया था एवं इसी वित्तीय वर्ष के दौरान वापस कर दिया गया है। अर्थोपाय अग्रिम प्राप्त होने पर उसे शीर्ष 6003-110 के अंतर्गत जमा किया गया एवं पुनर्भुगतान करने के पश्चात् घटायें-जमा के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। इसलिए अर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत कोई राशि नहीं दिखाया गया।

6. उधार एवं अन्य दायित्वों का विवरण - क्रमशः

(i) लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों का विवरण¹

उधारों की प्रकृति	1 अप्रैल 2019 वर्ष के दौरान वर्ष के दौरान 31 मार्च 2020			निवल वृद्धि (+)/ ह्रास (-)		कुल दायित्वों का प्रतिशत
	को शेष	प्राप्तियाँ	वापसियाँ	को शेष	राशि	
(₹ करोड़ में)						
ख - अन्य दायित्व						
लोक लेखा						
अल्प बचत, भविष्य निधियाँ आदि	12,11.11	11,75.37	11,69.63	12,16.85	5.74	0.47
ब्याजदेय आरक्षित निधियाँ	19,30.09 ²	43,79.02	3,61.09	59,48.02	40,17.93	208.17
अब्याजदेय आरक्षित निधियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ब्याज सहित जमा	12.64	5,22.42	4,95.51	39.55	26.91	212.90
ब्याज रहित जमा	1,98,53.82 ³	1,53,10.42	1,40,99.05	2,10,65.19	12,11.37	6.10
कुल ख - अन्य दायित्व	2,30,07.66	2,13,87.23	1,61,25.28	2,82,69.61	52,61.95	22.87
जोड़ लोक ऋण और अन्य दायित्व	8,37,82.93	3,09,80.35	2,03,56.68	9,44,06.60	1,06,23.67	12.68

¹ परिशोधन की व्यवस्था, ऋण शोधन आदि के विस्तृत जानकारी के लिए इस विवरण के साथ व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ पृष्ठ 30 में देखें।

² पूर्णांकित करने के कारण ₹ 0.01 करोड़ की अथशेष में कमी की गई।

³ पूर्णांकित करने एवं विवरण सं. 17 एवं 21 की राशि को संबद्ध करने के कारण ₹ 0.02 करोड़ अथशेष में वृद्धि की गई।

6. उधार एवं अन्य दायित्वों का विवरण - क्रमशः

व्याख्यात्मक टिप्पणियां विवरण 6

1 परिशोधन की व्यवस्था :-

- (i) **खुला बाजार कर्जे**:- राज्य सरकार के द्वारा वर्ष 2019-20 तक 64 ब्याजदेय राज्य विकास ऋण /स्टॉक की उगाही की गई। इसके अलावा 10 परिपक्व राज्य विकास ऋण जो दावा रहित रहे तथा गैर ब्याज ऋण बन गए, भी बकाया पड़े थे। (31 मार्च 2020 को शेष ₹ 4,27,66.74 करोड़ था)।
- (ii) अन्य बंध पत्रों एवं ऋणों के परिशोधन हेतु कोई व्यवस्था नहीं की गई है।
- (iii) राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 के दौरान गारंटी परिशोधन कोष के सृजन किये जाने से सम्बंधित कोई सूचना इस कार्यालय को नहीं है।

2 **अल्प बचत निधि से कर्जे**:- डाकघरों में 'अल्प बचत योजनाओं' तथा 'लोक भविष्य निधि खाते' में संग्रहित राशि में से कर्जे राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार में 3:1 के अनुपात में वितरित किये जायेंगे। वर्ष 1999-2000 में लघु बचत संग्रहण में से कर्जे जारी करने के उद्देश्य से 'राष्ट्रीय लघु बचत निधि' के नाम से एक अलग निधि की स्थापना की गयी। वर्ष 2019-2020 के दौरान ₹ 7,69.49 करोड़ का पुनर्भुगतान किया गया था। वर्ष के अंत में ₹ 75,56.38 करोड़ की राशि का शेष बकाया था जो की राज्य सरकार के 31 मार्च 2020 को कुल लोक ऋण का 11.43 प्रतिशत था।

3 भारत सरकार से कर्ज एवं अग्रिम, बाजार कर्जे इत्यादि

(क) **भारत सरकार से कर्ज एवं अग्रिम** :- भारत सरकार से कर्ज के रूप में ₹ 4,25.98 करोड़ प्राप्त किया तथा राज्य सरकार ने ₹ 1,73.54 करोड़ वापस किया। भारत सरकार से प्राप्त कर्ज पर राज्य सरकार द्वारा ₹ 1,29.84 करोड़ का ब्याज भुगतान से संबंधित कोई बकाया नहीं है। विवरण संख्या 17 में बकाये ऋणों का विवरण दिया गया है।

(ख) **बाजार कर्जे** :- ये राज्य सरकार द्वारा खुले बाजार से लिए गए दीर्घकालीन ऋण (जो 12 महीने से अधिक चलने वाले) हैं। वर्ष के दौरान 6 (छः) झारखण्ड विकास ऋण उगाहे गए जो निम्न है :-

क्रम सं.	कर्ज की राशि (₹ करोड़ में)	ब्याज दर	विमोचन का माह एवं वर्ष	
			माह	वर्ष
1	15,00.00	7.60	जून	2027
2	5,00.00	7.26	दिसम्बर	2027
3	10,00.00	7.05	फरवरी	2030
4	15,00.00	6.99	मार्च	2030
5	15,00.00	7.37	मार्च	2031
6	15,00.00	8.10	मार्च	2032
कुल:	75,00.00			

6. उधार एवं अन्य दायित्वों का विवरण - क्रमांत

व्याख्यात्मक टिप्पणियां विवरण 6 - क्रमांत

4 ऋण शोधन:	लेन-देन की प्रकृति	2019-20	2018-19	निवल वृद्धि (+)/ हास (-)
				(₹ करोड़ में)
	(i) वर्ष के अंत में बकाया सकल ऋण और अन्य दायित्व			
	(क) लोक ऋण तथा अल्प बचत, भविष्य निधियां आदि	6,73,53.84	6,19,86.38	53,67.46
	(ख) अन्य दायित्व	2,70,52.76	2,17,96.55	52,56.21
	जोड़ (i)	9,44,06.60	8,37,82.93	1,06,23.67
	(ii) सरकार द्वारा भुगतान किया गया ब्याज :-			
	(क) लोक ऋण तथा अल्प बचत, भविष्य निधियां आदि पर	53,04.62	48,42.05	4,62.57
	(ख) अन्य दायित्व	3.09	9.92	(-)6.83
	जोड़ (ii)	53,07.71	48,51.97	4,55.74
	(iii) घटाए :-			
	(क) सरकार द्वारा दिए गए कर्जों और पेशगियों पर प्राप्त ब्याज	1,62.09	15.77	1,46.32
	(ख) रोकड़ शेष के निवेश पर प्राप्त ब्याज	1,47.42	31.43	1,15.99
	जोड़ (iii)	3,09.51	47.20	2,62.31
	(iv) ब्याज प्रभारों की निवल राशि	49,98.20	48,04.77	1,93.43
	(v) कुल राजस्व प्राप्तियों के मुकाबले में सकल ब्याज (मद (ii)) की प्रतिशतता	9.09	8.64	0.45
	(vi) कुल राजस्व प्राप्तियों के मुकाबले में निवल ब्याज (मद (iv)) की प्रतिशतता	8.56	8.57	(-)0.01

विवरण संख्या 7- सरकार द्वारा दिए गए कर्जे और पेशगियों का विवरण

खण्ड 1 कर्जे एवं पेशगियों का सारांश : ऋणी समुहवार

1	2	3	4	5	6	7	8
प्रक्षेत्र/ऋणी समूह ¹	01 अप्रैल 2019 को बकाया राशि ²	वर्ष के दौरान भुगतान की गई राशि	वर्ष के दौरान वापस की गई राशि	वर्ष के दौरान बकाया राशि	31 मार्च 2020 को बकाया राशि	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि/हास	वर्ष के दौरान ब्याज अदायगी
(₹ करोड़ में)							
सामाजिक सेवाएं :-							
(i) पंचायती राज संस्थाएँ	0.75	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00
(ii) नगरपालिकाएँ/नगर परिषद/नगर निगम	1,53.81	0.00	0.00	0.00	1,53.81	0.00	0.00
(iii) शहरी विकास प्राधिकरण	5,00.98	23.59	0.00	0.00	5,24.57	23.59	0.00
(iv) आवास बोर्ड	73.87	0.00	0.00	0.00	73.87	0.00	0.00
(v) अन्य ³	(-0.49)	0.00	0.00	0.00	(-0.49)	0.00	0.00
जोड़- सामाजिक सेवाएँ	7,28.92	23.59	0.00	0.00	7,52.51	23.59	0.00

¹ कृपया विस्तृत विवरण हेतु खण्ड II के विवरण संख्या 18 देखें।

² उत्तरवर्ती बिहार राज्य और झारखण्ड के बीच दिनांक 14.11.2000 तक के लिए संयुक्त बिहार राज्य के शेष का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है।

³ उत्तरवर्ती बिहार राज्य और झारखण्ड के बीच दिनांक 14.11.2000 तक के लिए संयुक्त बिहार राज्य के शेष का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है। अतः ऋणात्मक आंकड़े वहाँ शामिल हुए हैं जहाँ शेषों को स्थानान्तरित नहीं किया गया है, परन्तु वसूलियाँ प्राप्त हुई हैं (अगस्त 2020)।

विवरण संख्या 7- सरकार द्वारा दिए गए कर्जे और पेशगियों का विवरण - क्रमशः

खण्ड 1 कर्जे एवं पेशगियों का सारांश : ऋणी समूहवार

प्रक्षेत्र/ऋणी समूह ¹	01 अप्रैल 2019 वर्ष के दौरान		वर्ष के दौरान		31 मार्च		वर्ष के दौरान		वर्ष के दौरान
	राशि ²	राशि	राशि	गई राशि	बकाया राशि	2020 को	वृद्धि/हास	ब्याज	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	
(₹ करोड़ में)									
आर्थिक सेवाएँ									
(i) पंचायती राज संस्थाएँ	19.12	0.00	0.00	0.00	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii) नगरपालिकाएँ/नगर परिषद/नगर निगम	5.95	0.00	0.00	0.00	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii) सांविधिक निगम ³	1,97,72.09	89.32	0.00	0.00	1,98,61.41	89.32	0.00	0.00	0.00
(iv) सरकारी कम्पनियाँ	1,15.58	0.00	0.00	0.00	1,15.58	0.00	0.00	0.00	0.00
(v) सहकारी समितियाँ/सहकारी निगम/बैंक	64.13	0.00	0.42	0.00	63.71	(-0.42)	0.00	0.00	0.00
(vi) अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जोड़ - आर्थिक सेवाएँ	1,99,76.87	89.32	0.42	0.00	2,00,65.77	88.90	0.00	0.00	0.00
विविध प्रयोजन हेतु ऋण									
(i) सरकारी सेवकों	24.97	52.52	48.77	0.00	28.72	3.75	0.00	0.00	0.00
(ii) विविध प्रयोजन हेतु ऋण	(-0.77)	0.00	0.00	0.00	(-0.77) ⁴	0.00	0.00	0.00	0.00
जोड़ - विविध प्रयोजन हेतु ऋण	24.20	52.52	48.77	0.00	27.95	3.75	0.00	0.00	0.00
जोड़ - कर्जे एवं पेशगियाँ	2,07,29.99	1,65.43	49.19	0.00	2,08,46.23⁵	1,16.24	0.00	0.00	0.00

¹ कृपया विस्तृत विवरण हेतु खण्ड II के विवरण संख्या 18 देखें।

² उत्तरवर्ती बिहार राज्य और झारखण्ड के बीच दिनांक 14.11.2000 तक के लिए संयुक्त बिहार राज्य के शेष का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है।

³ इसमें जे.एस.इ.बी. के विरुद्ध ₹ 72,22.18 करोड़ की बकाया राशि शामिल है।

⁴ उत्तरवर्ती बिहार राज्य और झारखण्ड के बीच दिनांक 14.11.2000 तक के लिए संयुक्त बिहार राज्य के शेष का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है। अतः ऋणगतक आंकड़े वहाँ शामिल हुए हैं जहाँ शेषों को स्थानान्तरित नहीं किया गया है, परन्तु वसूलियाँ प्राप्त हुई हैं (अगस्त 2020)।

⁵ पूर्णिकित करने के कारण ₹ 0.01 करोड़ की वृद्धि हुई है विवरण संख्या 18 के अनुसार अथ शेष को पुनर्रिकित कर लिया गया है।

विवरण संख्या 7- सरकार द्वारा दिए गए कर्जे और पेशगियों का विवरण - क्रमशः
निम्नलिखित मामलों में राज्य सरकार द्वारा ऋण में स्थायित्व के रूप में ऋण स्वीकृत किया गया

क्रम संख्या	ऋण स्वत्व	स्वीकृति का वर्ष	स्वीकृति आदेश संख्या	राशि	व्याज दर
ऐसी सूचना उपलब्ध नहीं है					
खण्ड 2 ऋणों एवं पेशगियों का सारांश : समूहवार खण्ड					
खण्ड	1 अप्रैल 2019 को शेष	व्यय	वर्ष के दौरान अदायगियाँ	वर्ष के दौरान अप्राप्य ऋण एवं 31 मार्च 2020 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि/ बकाया ब्याज का भुगतान
1	2	3	4	5	6 7 8
(₹ करोड़ में)					
सामाजिक सेवाओं के लिए ऋण	7,28.91	23.59	0.00	0.00	7,52.50 23.59 0.00
आर्थिक सेवाओं के लिए ऋण	1,99,76.87	89.32	0.42	0.00	2,00,65.77 88.90 0.00
सरकारी सेवाओं के लिए ऋण	24.21	52.52	48.77	0.00	27.96 3.75 0.00
जोड़	2,07,29.99	1,65.43	49.19	0.00	2,08,46.23 1,16.24 0.00

विवरण संख्या 7-सरकार द्वारा दिए गए कर्जे और पेशगियों का विवरण-क्रमशः

खण्ड 3 ऋणी स्वत्व के बकाया भुगतान की विवरणी @*

1	2	3	4	5	6
ऋणी स्वत्व	मूलधन	सूद/ब्याज	कुल	बकाया जो कि पूर्व की अवधि से संबंधित	31 मार्च 2020 तक ऋणी के विरुद्ध बकाया कुल ऋण
(₹ करोड़ में)					
(i) सामाजिक सेवाओं के लिए ऋण :-					
जल पूर्ति एवं सफाई -					
आदित्यपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.61	3.79	4.40	2007-08	6.42
बासुकीनाथ अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.18	2.46	2.64	2007-08	2.88
बोकारो नगरपालिका	0.63	5.94	6.57	2007-08	6.64
बुंदू अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.29	3.02	3.31	2007-08	3.76
चाईबासा नगरपालिका	0.33	3.09	3.42	2007-08	5.08
चक्रधरपुर नगरपालिका	0.31	4.21	4.52	2007-08	5.08
छाताटांड अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.04	0.07	0.11	2007-08	1.92
चाकुलिया अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.23	2.67	2.90	2007-08	3.44
चास नगरपालिका	1.34	3.46	4.80	2007-08	12.84
चतरा नगरपालिका	1.38	2.49	3.87	2007-08	13.56
छतरपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.24	2.41	2.65	2007-08	3.52
चिरकुंडा अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.77	2.45	3.22	2007-08	7.76
डाल्टेनांग नगरपालिका	1.62	6.41	8.03	2007-08	15.04
देवघर नगरपालिका	0.97	5.84	6.81	2007-08	8.72
धनबाद नगरपालिका	1.27	7.38	8.65	2007-08	9.36
दुमका नगरपालिका	1.09	6.97	8.06	2007-08	9.84
फुसरो अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.71	3.30	4.01	2007-08	7.12

@ इस खण्ड में वैसे ऋणी स्वत्व का ब्योरा शामिल नहीं है जिनका मूलधन एवं ब्याज की अवधिगियों देय नहीं है।

* मूलधन और ब्याज (ऋणीवार) के बकाये पर राज्य सरकार की पुष्टि प्रतीक्षित है (अगस्त 2020)।

विवरण संख्या 7-सरकार द्वारा दिए गए कर्जे और पेशगियों का विवरण-क्रमशः

खण्ड 3 ऋणी स्वत्व के बकाया भुगतान की विवरणी - क्रमशः

1 ऋणी स्वत्व	2 मूलधन	3 सूद/ब्याज	4 कुल	5 बकाया जो कि पूर्व की अवधि से संबंधित	6 31 मार्च 2020 तक ऋणी के विरुद्ध बकाया कुल ऋण
लातेहार अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.56	3.71	4.27	2007-08	6.00
लोहरदगा नगरपालिका	0.61	5.18	5.79	2007-08	6.40
मधुपुर नगरपालिका	0.31	4.04	4.35	2007-08	4.00
मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.90	5.44	6.34	2007-08	8.64
मेदनीनगर नगरपालिका	0.46	3.67	4.13	2007-08	5.12
मिहिजाम अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.88	4.46	5.34	2007-08	6.53
पाकुड़ नगरपालिका	0.47	4.16	4.63	2007-08	5.20
क्षेत्रीय ग्रामीण विकास प्राधिकरण, रांची	0.08	4.28	4.36	2007-08	2.24
राजमहल अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.28	3.48	3.76	2007-08	3.76
रांची नगरपालिका	3.65	17.54	21.19	2007-08	28.40
साहेबगंज नगरपालिका	0.29	5.37	5.66	2007-08	3.84
सरायकेला नगरपालिका	0.83	3.80	4.63	2007-08	3.82
सिमडेगा अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.28	3.30	3.58	2007-08	3.68
सिंदरी अंचल नगरपालिका	0.23	3.95	4.18	2007-08	3.44
जोड़- जल पूर्ति एवं सफाई	31.72	2,15.50	2,47.22		2,93.95

विवरण संख्या 7-सरकार द्वारा दिए गए कर्जे और पेशगियों का विवरण-क्रमशः
 खण्ड 3 ऋणी स्वत्व के बकाया भुगतान की विवरणी - क्रमशः

ऋणी स्वत्व	1	2	3	4	5	6
	मूलधन	सूद/ब्याज	कुल	बकाया जो कि पूर्व की अवधि से संबंधित	31 मार्च 2020 तक ऋणी के विरुद्ध बकाया कुल ऋण	
(₹ करोड़ में)						
आवास						
झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड	2.80	6.31	9.11	2014-15	73.87	
जोड़ - आवास	2.80	6.31	9.11		73.87	
शहरी विकास						
आदित्यपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.53	2.06	2.59	2007-08	11.85	
बासुकीनाथ अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.37	1.26	1.63	2007-08	8.55	
बासुकीनाथ नगर पंचायत	0.00	0.02	0.02	2007-08	0.15	
बुंडू अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.27	0.19	0.46	2007-08	6.75	
चाईबासा नगरपालिका	0.32	0.77	1.09	2007-08	7.52	
चक्रधरपुर नगरपालिका	0.42	1.07	1.49	2007-08	7.69	
चाकुलिया अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.22	0.82	1.04	2007-08	5.50	
चास नगरपालिका	0.25	0.85	1.10	2007-08	6.18	
छतरपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.04	0.19	0.23	2007-08	3.72	
चतरा नगरपालिका	0.15	1.11	1.26	2007-08	4.46	
चिरकुंडा अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.03	0.77	0.80	2007-08	1.75	
डाल्टेनगंज नगरपालिका	1.62	1.12	2.74	2007-08	40.50	
देवघर नगरपालिका	0.55	1.26	1.81	2007-08	19.92	

विवरण संख्या 7-सरकार द्वारा दिए गए कर्जे और पेशगियों का विवरण-क्रमशः

खण्ड 3 ऋणी स्वत्व के बकाया भुगतान की विवरणी - क्रमशः

1	2	3	4	5	6
ऋणी स्वत्व	मूलधन	सूद/ब्याज	कुल	बकाया जो कि पूर्व की अवधि से संबंधित	31 मार्च 2020 तक ऋणी के विरुद्ध बकाया कुल ऋण
					(₹ करोड़ में)
धनबाद नगरपालिका	2.91	11.05	13.96	2007-08	73.23
दुमका नगरपालिका	0.40	1.18	1.58	2007-08	9.66
फुसरो अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.04	0.19	0.23	2007-08	1.27
फुसरो नगर परिषद	0.14	0.00	0.14	2007-08	1.83
गढ़वा नगरपालिका	0.86	0.70	1.56	2007-08	2.70
गिरिडीह नगरपालिका	0.12	1.81	1.93	2007-08	12.02
गोड्डा नगरपालिका	0.09	0.57	0.66	2007-08	2.36
गुमला नगरपालिका	0.11	0.51	0.62	2007-08	5.11
हजारीबाग नगरपालिका	0.62	1.95	2.57	2007-08	16.18
हुसैनाबाद अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.07	0.63	0.70	2007-08	1.79
हुसैनाबाद नगर पंचायत	0.00	0.07	0.07	2007-08	0.25
जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.53	0.78	1.31	2007-08	12.51
जामताड़ा अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.06	0.27	0.33	2007-08	1.56
जसीडीह अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.03	0.14	0.17	2007-08	0.75
झरिया अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.21	0.68	0.89	2007-08	5.25
झुमरीतिलैया नगरपालिका	0.18	0.78	0.96	2007-08	4.98
जुगसलाई नगरपालिका	0.28	0.89	1.17	2007-08	7.24

विवरण संख्या 7-सरकार द्वारा लिए गए कर्जों और पेशगियों का विवरण-क्रमशः

खण्ड 3 ऋणी स्वत्व के बकाया भुगतान की विवरणी - क्रमशः

ऋणी स्वत्व	1	2	3	4	5	6
						(₹ करोड़ में)
कतरास अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.03	0.16	0.19	2007-08	0.82	
खरसावाँ अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.07	0.35	0.42	2007-08	1.75	
खूंटी अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.06	0.47	0.53	2007-08	1.72	
कोडरमा अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.06	0.56	0.62	2007-08	1.96	
कोडरमा नगर पंचायत	0.00	0.08	0.08	2007-08	0.43	
लातेहार अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.07	1.03	1.10	2007-08	1.93	
लोहरदगा नगरपालिका	0.39	1.20	1.59	2007-08	7.64	
मधुपुर नगरपालिका	0.27	1.38	1.65	2007-08	5.28	
मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.21	1.10	1.31	2007-08	2.53	
मेदनीनगर नगरपालिका	0.23	0.58	0.81	2007-08	7.20	
मिहिजाम अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.07	0.29	0.36	2007-08	2.15	
मिहिजाम नगर परिषद	0.00	0.00	0.00	2007-08	1.07	
पाकुड़ नगरपालिका	0.20	1.18	1.38	2007-08	4.44	
क्षेत्रीय ग्रामीण विकास प्राधिकरण, राँची	0.01	0.25	0.26	2007-08	4.11	
राजमहल अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.05	0.22	0.27	2007-08	1.05	
राजमहल नगर पंचायत	0.02	0.01	0.03	2007-08	0.86	
रामगढ़ नगर परिषद	0.00	0.12	0.12	2007-08	1.09	
राँची नगरपालिका	1.95	8.20	10.15	2007-08	46.53	
साहेबगंज नगरपालिका	0.25	1.20	1.45	2007-08	3.94	
सरायकेला नगरपालिका	0.09	0.61	0.70	2007-08	0.47	

विवरण संख्या 7-सरकार द्वारा दिए गए कर्जे और पेशगियों का विवरण-क्रमशः

खण्ड 3 ऋणी स्वत्व के बकाया भुगतान की विवरणी - क्रमशः

ऋणी स्वत्व	1	2	3	4	5	6
	मूलधन	सूद/ब्याज	कुल	बकाया जो कि पूर्व की अवधि से संबंधित	31 मार्च 2020 तक ऋणी के विरुद्ध बकाया कुल ऋण	
					(₹ करोड़ में)	
सिमडेगा अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.12	0.69	0.81	2007-08	3.76	
सिंदरी अंचल नगरपालिका	0.05	0.97	1.02	2007-08	0.68	
जोड़- शहरी विकास	15.62	54.34	69.96		3,84.64	
सहकारिता-						
निबंधक सहकारी समितियाँ	8.65	7.48	16.13	2007-08	63.70	
जोड़- सहकारिता	8.65	7.48	16.13		63.70	
(ii) आर्थिक सेवाओं के लिये ऋण :-						
ग्रामीण विकास-						
बोकारो जिला परिषद	0.64	1.37	2.01	2007-08	3.17	
चतरा जिला परिषद	0.14	1.33	1.47	2007-08	0.39	
देवघर जिला परिषद	0.14	1.37	1.51	2007-08	0.84	
धनबाद जिला परिषद	0.48	0.98	1.46	2007-08	3.50	
दुमका जिला परिषद	0.54	1.11	1.65	2007-08	3.05	
गढ़वा जिला परिषद	0.20	0.72	0.92	2007-08	1.17	
गिरिडीह जिला परिषद	0.56	1.14	1.70	2007-08	1.85	
गोड्डा जिला परिषद	0.07	1.10	1.17	2007-08	0.37	
गुमला जिला परिषद	0.10	0.76	0.86	2007-08	0.47	
चाईबासा जिला परिषद	0.22	0.78	1.00	2011-12	4.86	
हजारीबाग जिला परिषद	0.28	0.95	1.23	2011-12	0.95	
जमशेदपुर जिला परिषद	0.34	1.49	1.83	2011-12	0.80	
जामताड़ा जिला परिषद	0.03	0.02	0.05	2008-09	0.42	

विवरण संख्या 7-सरकार द्वारा दिए गए कर्जों और पेशगियों का विवरण- क्रमांत
खण्ड 3 ऋणी स्वत्व के बकाया भुगतान की विवरणी - क्रमांत

1	2	3	4	5	6
ऋणी स्वत्व	मूलधन	सूद/ब्याज	कुल	बकाया जो कि पूर्व की अवधि से संबंधित	31 मार्च 2020 तक ऋणी के विरुद्ध बकाया कुल ऋण
				(₹ करोड़ में)	
कोडरमा जिला परिषद	0.02	1.37	1.39	2012-13	0.09
लातेहार जिला परिषद	0.30	0.74	1.04	2012-13	0.90
लोहरदगा जिला परिषद	0.22	0.71	0.93	2012-13	0.35
पाकुड़ जिला परिषद	0.15	0.14	0.29	2012-13	1.11
पलामू जिला परिषद	0.44	1.25	1.69	2012-13	1.18
राँची जिला परिषद	0.59	1.15	1.74	2012-13	1.89
साहेबगंज जिला परिषद	0.18	1.44	1.62	2012-13	0.49
जोड़- ग्रामीण विकास	5.62	19.93	25.54		27.85
खनिज एवं उद्योग					
झारखण्ड राज्य	5.42	5.17	10.59	2012-13	27.64
बिहार स्पंज लौह लिमिटेड	5.42	5.17	10.59		27.64
जोड़ - खनिज एवं उद्योग					
ऊर्जा					
झारखण्ड राज्य विद्युत् बोर्ड	3,11.17	5,23.53	8,34.70	2012-13	72,22.18
झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड	1,64.46	1,29.00	2,93.46	2016-17	88,57.23
झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड	10,40.36	3,77.33	14,17.69	2016-17	37,36.40
झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड	6.00	1.84	7.84	2016-17	50.00
तेनुघाट विद्युत् निगम लिमिटेड	55.69	72.40	1,28.09	2012-13	60.80
पतरातु थर्मल पावर	15.56	60.50	76.06	2012-13	20.00
जोड़- ऊर्जा	15,93.24	11,64.60	27,57.84		1,99,46.61
(iii) सरकारी कर्मचारियों को ऋण					
सरकारी कर्मचारियों को ऋण ⁶	0.00	0.00	0.00		27.97
जोड़ - सरकारी कर्मचारियों को ऋण	0.00	0.00	0.00		27.97
कुल जोड़	16,63.07	14,73.33	31,36.39		2,08,46.23

⁶ उत्तरवर्ती बिहार राज्य और झारखण्ड के बीच दिनांक 14.11.2000 तक के लिए संयुक्त बिहार राज्य के शेष का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है (आगस्त 2020)।

8. सरकार के निवेशों का विवरण
वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के लिए विभिन्न संस्थाओं का हिस्सा पूँजी में सरकारी निवेश का तुलनात्मक सार

संस्थाओं का नाम	2018-19		2019-20			
	संस्थाओं की संख्या	वर्ष के अंत तक निवेशित राशि	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश एवं ब्याज की राशि	संस्थाओं की संख्या	वर्ष के अंत तक निवेशित राशि	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश एवं ब्याज की राशि
1	2	3	4	5	6	7
						(₹ करोड़ में)
1. सांविधिक निगमों	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
2. ग्रामीण बैंक ¹	1	45.73	0.00	1	45.73	0.00
3. सरकारी कम्पनियाँ ^{1,2}	17	2,26.80	0.00	18	2,41.38	0.00
4. अन्य संयुक्त स्टॉक कम्पनियाँ एवं साझेदारियाँ	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
5. सहकारी संस्थाएँ एवं स्थानीय निकायें ^{1,3}	21	1,60.34	0.00	21	1,60.84	0.00
जोड़	39	4,32.87	0.00	40	4,47.95	0.00

¹ संस्थावार तथा मुख्य शीर्षवार निवेश की विस्तृत विवरण हेतु कृपया विवरण संख्या 19 देखें।

² वय शीर्ष (राजस्व लेख) में ₹ 58.35 करोड़ शामिल हैं।

³ वय शीर्ष (राजस्व लेख) में ₹ 61.17 करोड़ शामिल हैं।

9. सरकार द्वारा दिए गए गारंटियों का विवरण

(i) सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थानों द्वारा वर्ष के दौरान लिए गए ऋणों आदि की वापसी के लिए झारखण्ड सरकार द्वारा दी गई गारंटियां तथा 31 मार्च 2020 को विभिन्न खण्डों में बकाया गारंटीड के योग को नीचे दर्शाया गया है:-

खण्ड (गारंटियों की सं कोष्ठक में)	अधिकतम गारंटीड राशि	वर्ष 2019-20 के आरंभ में बकाया	वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि	वर्ष 2019-20 के दौरान विलोपित (याचित से भिन्न)	वर्ष 2019-20 के दौरान याचित		वर्ष 2019-20 के अंत में बकाया	गारंटी कमीशन अथवा फीस		अन्य वस्तुपरक विवरण
					भुगतान किया गया	भुगतान नहीं किया गया		प्राप्त किये जाने योग्य	प्राप्त किया गया	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(₹ करोड़ में)										
अधिक क्षेत्र (उर्जा)	6,07.15	6,07.15	0.00	0.00	0.00	0.00	6,07.15	0.00	0.00	0.00
1. झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड (विघटित 2013-14)	1,57.15	1,57.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,57.15	0.00	0.00	0.00
2. झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड	4,50.00	4,50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,50.00	0.00	0.00	0.00

(ii) सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्थानीय निकायों तथा वर्ष के दौरान लिए गए ऋणों आदि की वापसी के लिए झारखण्ड सरकार द्वारा दी गई गारंटियां तथा 31 मार्च 2020 को विभिन्न वर्गों में बकाया गारंटीड के योग को नीचे दर्शाया गया है :-

वर्ग एवं खण्ड	राज्य गारंटी का साख पत्र की संख्या	सुविधाजन्य पत्रों द्वारा जारी कुल राशि	याचनाओं का विवरण, यदि कोई हो	अन्य वस्तुपरक विवरण
1	2	3	4	5
(₹ करोड़ में)				
1. झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड (विघटित 2013-14)	डब्ल्यू. एण्ड एम. (13) 18/- 2012-64/ बजट दिनांक 07.02.2013	1,57.15	झारखण्ड सरकार द्वारा डी.भी.सी. से क्रय की जा रही विद्युत के विरुद्ध मासिक विपन्न के भुगतान हेतु, अतिरिक्त लेटर ऑफ क्रेडिट खोले जाने के लिए झारखण्ड विद्युत बोर्ड को गारंटी प्रदान की गई।	इसके अतिरिक्त लेटर ऑफ क्रेडिट खोले जाने हेतु प्रपत्र पर ऊर्जा विभाग के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के द्वारा राज्य गारंटर के रूप में हस्ताक्षर की जाएगी।
2. झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड	उर्जा विभाग, झारखण्ड सरकार अधिसूचना सं. ई.8/ऊ.वि.बोर्ड-02/17 -3072 दिनांक 20.12.2018	4,50.00	रियायती दर पर उधार लिए गए अल्पावधि ऋण के विरुद्ध झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को वर्तमान देनदारियों के पुनर्भुगतान के लिए राज्य गारंटी दी गई है।	राज्य गारंटी उस शर्त के साथ दिया गया है कि कर्ज का पुनर्भुगतान पूरी तरह से झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड में निहित होगा।

10. सरकार द्वारा दिए गए सहायक अनुदान का विवरण

अनुदानित संस्थाएं	(i) रोकड़ में भुगतान किए गए सहायक अनुदान				पूजी परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान	
	कुल निर्गत अनुदान			2018-19	2019-20	2018-19
	2019-20					
	राज्य निधि से व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रांश/केन्द्र प्रायोजित योजना सहित)	कुल	2018-19	2019-20	2018-19
1 पंचायती राज संस्थाएं						
(i) जिला परिषद्	1,68.15	23,29.55	24,97.70	29,37.69	87.50	23,16.28
(ii) पंचायत समितियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii) ग्राम पंचायत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 शहरी स्थानीय निकाय						
(i) नगर निगम	20.31	6,02.33	6,22.64	1,28.58	0.00	0.00
(ii) नगर पालिका / नगर परिषद्	23.91	8,58.90	8,82.81	13,68.76	0.00	0.00
(iii) अन्य	0.00	0.00	0.00	2,51.16	0.00	0.00
3 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम						
(i) सरकारी कम्पनियाँ	0.00	10,28.33	10,28.33	0.00	0.00	0.00
(ii) सांविधिक निगम	3,74.98	3,49.97	7,24.95	0.00	18.18	0.00

(₹ करोड़ में)

10. सरकार द्वारा दिए गए सहायक अनुदान का विवरण - क्रमशः

	(i) रोकड़ में भुगतान किए गए सहायक अनुदान - क्रमांत					पूँजी परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान	
	कुल निर्गत अनुदान			2018-19	2019-20	2018-19	2019-20
	2019-20		कुल				
अनुदानित संस्थाएं	राज्य निधि से व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रांश/केन्द्र प्रायोजित योजना सहित)		2019-20	कुल	2018-19	2019-20
4	स्वायत्तशासी निकाय						
(i)	विश्वविद्यालय	12,03.42	61.87	12,65.29	6,21.08	1,32.98	1,74.54
(ii)	विकास प्राधिकार	2,49.16	1,05,22.57	1,07,71.73	39,52.30	63,21.31	12,67.51
(iii)	सहकारी संस्थाएं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iv)	अन्य	49.97	13,48.04	13,98.01	42,79.87	5,19.42	11,93.91
5	गैर-सरकारी संगठन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	अन्य	0.00	0.00	0.00	44,36.37	0	34,94.58
	जोड़	20,89.90	1,71,01.56	1,91,91.46	1,79,75.81	70,79.39	84,46.82

(₹ करोड़ में)

10. सरकार द्वारा दिए गए सहायक अनुदान का विवरण - क्रमांत

अनुदानित संस्थाएं		कुल निर्गत अनुदान		पूँजी परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान		
		2019-20		2018-19	2019-20	2018-19
		राज्य निधि से व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रांश/केन्द्र प्रायोजित योजना सहित)			
1	पंचायती राज संस्थाएं (i) जिला परिषद् (ii) पंचायत समितियां (iii) ग्राम पंचायत					
2	शहरी स्थानीय निकाय (i) नगर निगम (ii) नगर पालिका / नगर परिषद् (iii) अन्य					
3	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (i) सरकारी कम्पनियाँ (ii) सांविधिक निगम					
4	स्वायत्तशासी निकाय (i) विश्वविद्यालय (ii) विकास प्राधिकार (iii) सहकारी संस्थाएं (iv) अन्य					
5	गैर-सरकारी संगठन					
6	अन्य					
जोड़						

(₹ करोड़ में)

राज्य सरकार से सूचना प्रतीक्षित है (अगस्त 2020)।

11. दत्तमत और प्रभारित व्यय का विवरण

व्यौरे	2019-20		2018-19		कुल जोड़
	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	
व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)	54,30.58	5,10,26.05	49,61.94	4,56,68.79	5,06,30.73
व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)	0.00	98,78.71	0.00	1,07,11.71	1,07,11.71
लोक ऋण, कर्ज तथा उधार, अन्तर्राज्यीय परिशोधन और आकस्मिकता निधि को स्थानांतरण ¹	42,31.40	1,65.43	30,60.10	14,85.59	45,45.69
जोड़	96,61.98	6,10,70.19	80,22.04	5,78,66.09	6,58,88.13
ड लोक ऋण					
राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण	40,57.86	0.00	28,93.42	0.00	28,93.42
केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	1,73.54	0.00	1,66.68	0.00	1,66.68
च कर्ज एवं पेशगियाँ ²					
सामान्य सेवाओं के लिए कर्ज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज	0.00	23.59	0.00	23.23	23.23
आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज	0.00	89.32	0.00	14,15.48	14,15.48
सरकारी सेवकों आदि को कर्ज	0.00	52.52	0.00	46.88	46.88
विविध उद्देश्यों के लिए कर्ज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
छ अन्तर्राज्यीय परिशोधन					
अन्तर्राज्यीय परिशोधन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ज आकस्मिकता निधि को स्थानांतरण					
आकस्मिकता निधि को स्थानांतरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

¹ विस्तृत लेखे खण्ड II के विवरण संख्या 18 एवं 21 में दिए गए हैं ।

² विस्तृत लेखे खण्ड II के विवरण संख्या 18 में दिए गए हैं ।

11. दत्तमत और प्रभारित व्यय का विवरण - क्रमांत

(i) वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान कुल व्यय के सापेक्ष प्रभारित व्यय और दत्तमत व्यय की प्रतिशतता निम्नवत थी।

वर्ष	कुल व्यय का प्रतिशत	
	प्रभारित	दत्तमत
2018-19	12.18	87.82
2019-20	13.66	86.34

12. राजस्व लेखे से भिन्न व्यय के लिए निधियों के स्रोतों एवं उपयोग का विवरण

	1 अप्रैल 2019 को	वर्ष 2019-20 के दौरान	31 मार्च 2020 को
पूँजी तथा अन्य व्यय			(₹ करोड़ में)
पूँजीगत व्यय (उप-खण्ड-वार)			
(i) सामान्य सेवाएं -			
अन्य राजकोषीय सेवाएं	1,94.98	62.79	2,57.77
पुलिस	20,65.27	8,06.63	28,71.90
लोक निर्माण कार्य	19,96.58	3,66.15	23,62.73
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	88.01	3.60	91.61
(ii) सामाजिक सेवाएं-			
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	26,21.74	2,58.13	28,79.87
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	29,39.66	3,47.69	32,87.35
जल पूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	60,29.11	6,31.57	66,60.68
सूचना तथा प्रचार	33.58	8.81	42.39
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	24,63.27	1,65.36	26,28.63
सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	5,95.31	0.87	5,96.18
अन्य सामाजिक सेवाएं	1,20.10	17.88	1,37.98

12. राजस्व लेखे से भिन्न व्यय के लिए निधियों के स्रोतों एवं उपयोग का विवरण - क्रमशः

	1 अप्रैल 2019 को	वर्ष 2019-20 के दौरान	31 मार्च 2020 को
			(₹ करोड़ में)
(iii) आर्थिक सेवाएं			
कृषि तथा संबद्ध कार्यकलाप	19,34.91	1,53.86	20,88.77
ग्राम विकास	1,76,22.67	19,91.11	1,96,13.78
सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	1,06,67.20	13,28.78	1,19,95.98
ऊर्जा	2,03.23	0.00	2,03.23
उद्योग तथा खनिज	43.38	4.00	47.38
परिवहन	2,75,06.57	36,86.94	3,11,93.51
सामान्य आर्थिक सेवाएं	5,72.83	44.54	6,17.37
जोड़ - पूंजीगत व्यय	7,76,98.40	98,78.71	8,75,77.11
पूंजीगत प्राप्ति	25.09	0.00	25.09
निवल पूंजीगत व्यय	7,76,73.31	98,78.71	8,75,52.02

12. राजस्व लेखे से भिन्न व्यय के लिए निधियों के स्रोतों एवं उपयोग का विवरण - क्रमशः

	1 अप्रैल 2019 को	वर्ष 2019-20 के दौरान	31 मार्च 2020 को
(₹ करोड़ में)			
कर्ज तथा उधार -			
विभिन्न सेवाओं के लिये कर्ज तथा उधार : -			
जल पूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	7,29.39	23.59	7,52.98
सामाजिक कल्याण तथा पोषण	(-)0.49	0.00	(-)0.49 ¹
कृषि तथा संबद्ध कार्यकालाप	64.10	(-)0.42	63.68
ग्राम विकास	27.85	0.00	27.85
ऊर्जा	1,98,57.29	89.32	1,99,46.61
उद्योग तथा खनिज	27.64	0.00	27.64
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	0.00	0.00	0.00
सरकारी कर्मचारियों को कर्ज	24.22	3.75	27.97
	जोड़- कर्ज तथा उधार	1,16.24	2,08,46.24
	जोड़- पूंजी तथा अन्य व्यय	99,94.95	10,83,98.26^(E)
अन्तर्राज्यीय परिशोधन	0.00	0.00 ²	0.00
	निवल-पूंजी तथा अन्य व्यय	99,94.95	10,83,98.26

¹ उत्तरवर्ती राज्यों, बिहार एवं झारखण्ड के बीच संयुक्त बिहार के शेषों का बंटवारा नहीं होने के कारण ऋणात्मक शेष है (अगस्त 2020)।

² अन्तर्राज्यीय परिशोधन में केवल ₹ 5,357.74 शामिल है।

12. राजस्व लेखे से भिन्न व्यय के लिए निधियों के स्रोतों एवं उपयोग का विवरण - क्रमशः

	1 अप्रैल 2019 को	वर्ष 2019-20 के दौरान	31 मार्च 2020 को
(₹ करोड़ में)			
निधियों के प्रमुख स्रोत			
ऋण			
राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	5,84,36.19	51,09.28	6,35,45.47
केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	23,39.08	2,52.44	25,91.52
लघु बचत, भविष्य निधि आदि	12,11.11	5.75	12,16.86
	6,19,86.38	53,67.47	6,73,53.85
अन्य दायित्व			
आकस्मिकता निधि को स्थानांतरण	5,00.00	0.00	5,00.00
आरक्षित निधि	19,30.09	40,17.93	59,48.02
जमा तथा अग्रिम	1,98,60.17	12,37.42	2,10,97.59
उचित तथा विविध (सरकारी लेखे एवं रोकड़ शेष निवेश लेखे में बंद राशि को छोड़कर)	(-)44.61	88.90	44.29
प्रेषण	99.27	(-)16.97	82.30
	2,23,44.92	53,27.28	2,76,72.20
	8,43,31.30	1,06,94.75	9,50,26.05
घटाएँ- रोकड़ शेष	1,88.30	(-)2,42.44	(-)54.14 ³
घटाएँ- (i) निवेश	1,67.90	29,02.72	30,70.62
(ii) एस.डी.आर.एफ. से निवेश	4,00.00	0.00	4,00.00
निधियों का निवल प्रावधान	8,35,75.10 ⁴	80,34.47	9,16,09.57 ^(a)
वर्ष के दौरान राजस्व अधिशेष (+) / घाटा (-)		19,60.51	
2019-20 के लिए निधियों का निवल प्रावधान		99,94.98	

³ कृपया खण्ड - II में विवरण संख्या 21 का पृष्ठ संख्या 439 में पाद टिप्पणी देखें।

⁴ अधिशेष में कुल प्रोग्रेसिव में सुधार किया गया है जो पिछले वर्ष इगोन्यूसली दर्शाया गया था।

12. राजस्व लेखे से भिन्न व्यय के लिए निधियों के स्रोतों एवं उपयोग का विवरण - क्रमांत

(ट) और (ठ) 31.03.2020 की निवल पूंजी एवं अन्य व्यय (ट) और निधियों का निवल प्रावधान (ठ) के बीच ₹ 1,67,88.69 करोड़ का अंतर था, जिसकी व्याख्या नीचे दी गई है :-

	(₹ करोड़ में)
(1) 31.03.2019 को संचित राजस्व अधिशेष (+) / घाटा (-)	2,17,47.51
(2) राजस्व अधिशेष (2019-20)	19,60.51
(3) आकस्मिकता निधि को विनियोजन	(-)5,00.00
(4) संयुक्त बिहार से पृथक हुए लोक ऋण	(-)59,61.94
(5) संयुक्त बिहार से पृथक हुए रोकड़ शेष	(-)28.72
(6) संयुक्त बिहार से पृथक हुए अन्तर्राज्यीय परिशोधन शेष 2008-09	(-)1,45.87
(7) संयुक्त बिहार से पृथक हुए अन्तर्राज्यीय परिशोधन शेष 2010-11	1.40
(8) संयुक्त बिहार से पृथक हुए अन्तर्राज्यीय परिशोधन शेष 2011-12	(-)75.41
(9) 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में के.प्रा.यो. तथा के.यो.यो. के कर्ज को अपलोखित किया गया	20.61
(10) 2012-13 के दौरान बिहार की पेंशन देयता के भुगतान से संबंधित अन्तर्राज्यीय परिशोधन	(-)1,00.00
(11) 2013-14 के दौरान बिहार की पेंशन देयता के भुगतान से संबंधित अन्तर्राज्यीय परिशोधन	(-)50.00
(12) बकाया कोषागार उचत के शेषों को समाप्त कर दिया गया	(-)9.49
(13) स्वर्णरेखा परियोजना पर उड़ीसा शेयर का समयोजन तथा लोक निर्माण कार्य एवं वन प्रेषण के बीच गलत वर्गीकरण के फलस्वरूप शीर्ष 8782-102 लोक निर्माण कार्य प्रेषण के अंतर्गत बकाया शेषों को झाप किया गया ।	(-)4,69.91
(14) राज्य आपदा मोचन निधि से निवेश	4,00.00
जोड़	1,67,88.69

**13. समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा
के अन्तर्गत शेषों का सारांश**

अ. 31 मार्च 2020 को शेष की स्थिति का सारांश निम्नानुसार है :-

नामे शेष	सामान्य लेखे का खण्ड	लेखे का नाम	जमा शेष
1	2	3	4
(₹ करोड़ में)			(₹ करोड़ में)
7,07,63.33	क से घ, छ, ज, और ठ का भाग	समेकित निधि सरकारी लेखा ¹	
	ड	लोक- ऋण	6,61,36.99
2,08,46.24	च	कर्ज तथा उधार	
		आकस्मिकता निधि	5,00.00
		लोक - लेखा	
	झ	लघु बचत, भविष्य निधि आदि	
		(ख) राज्य भविष्य निधियां	24,64.01
		(ग) अन्य लेखे	(-)12,47.16
	ञ	आरक्षित निधि	
		(क) आरक्षित निधि, ब्याज वाली जमा	59,48.02
		(ख) आरक्षित निधि, बिना ब्याज वाली जमा	0.00
		सकल शेष	
4,00.00		निवेश	

¹ "सरकारी लेखा" के अन्तर्गत यह आंकड़ा कैसे निकला गया इसे समझने के लिए पृष्ठ संख्या 57 पर कृपया "ब" देखें।

13. समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा
के अन्तर्गत शेषों का सारांश - क्रमशः

नाम शेष	सामान्य लेखे का खण्ड	लेखे का नाम	जमा शेष
1	2	3	4
(₹ करोड़ में)			(₹ करोड़ में)
		जमा तथा अग्रिम	
		(क) ब्याज वाली जमा	39.55
		(ख) बिना ब्याज वाली जमा	2,10,65.19
7.14		(ग) अग्रिम	
		उचत तथा विविध-	
		निवेश	
30,70.62		अन्य मदें (निवल)	44.29
		प्रेषण	82.30
(-)54.14		रोकड़ शेष (अन्त) ²	
9,50,33.19		जोड़	9,50,33.19

² रोकड़ शेष में सम्मिलित "रिजर्व बैंक के पास जमा" के संबंध में खाते में दिखाए गए आंकड़े और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त आंकड़े में अंतर है। भिन्नता समाधान के अन्तर्गत है। विस्तृत विवरण के लिए खण्ड- II के विवरण संख्या 21 का ढ - रोकड़ शेष के अन्तर्गत पाद टिप्पणी 5 का अवलोकन करें।

13. समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा के अन्तर्गत शेषों का सारांश - क्रमशः

ब. सरकारी लेखा - सरकारी लेखाओं में अनुसरित बही-खाता रखने की प्रणाली के अनुसार राजस्व और पूंजीगत शीर्षों के अन्तर्गत पुस्तकित राशियाँ तथा अन्य लेन-देन, जिनके शेष लेखे में वर्षानुवर्ष आगे नहीं लाये जाते एक ही शीर्ष में संवर्तित किए जाते हैं जिसे सरकारी लेखा कहा जाता है। इस शीर्ष का शेष ऐसे ही सभी लेन-देनों के संचयी परिणाम के घातक होता है।

इस शेष के साथ लोक- ऋण, कर्ज और पेशगियाँ, उचत और विविध (विविध सरकारी लेखा को छोड़कर), प्रेषण और आकस्मिकता निधि के शेषों को जोड़कर वर्ष के अंत में शेष निकाला और सिद्ध किया जा सके।

सारांश के अन्य शीर्षों में सरकारी पुस्तकों के उन सभी लेखा शीर्षों के शेष शामिल किये गये हैं, जिनमें सरकार पर प्राप्त किये गये धन को वापस करने का दायित्व होता है या जहाँ सरकार भुगतान की गई रकम वसूल करने का दावा रखती है और इसके साथ ही ऐसे लेखाओं के शीर्ष भी शामिल हैं, जो प्रेषण से संबंधित लेन-देन के समायोजन के लिए पुस्तकों में खोले जाते हैं।

यह समझ लेना आवश्यक है कि इन शेषों को झारखण्ड सरकार की वित्तीय स्थिति का पूरा अभिलेख नहीं माना जा सकता है, क्योंकि इनके अन्तर्गत भूमि, इमारतें, संचार व्यवस्था आदि जैसी राज्य की भौतिक परिसम्पत्तियों को शामिल नहीं किया जाता है और न इनमें ऐसी संचित देय राशियों का बकाया या देयताओं को शामिल किया जाता है, जिन्हें सरकार अनुसरण किए जाने वाले रोकड़ पद्धति के लेखे के अन्तर्गत हिसाब में नहीं लिया जाता है।

वर्ष के अंत में सरकारी लेखा में निवल नामे रकम इस प्रकार निकाली गई है :-

नामे	ब्योरे	जमा
(₹ करोड़ में)		(₹ करोड़ में)
6,28,45.13	क- 01 अप्रैल 2019 को सरकारी लेखे में डेबिट की राशि	
	ख- (i) प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा)	5,84,17.14
	(ii) प्राप्ति शीर्ष (पूंजीगत लेखा)	0.00
5,64,56.63	ग- व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)	
98,78.71	घ- व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा)	
0.00	ङ- अन्तराज्यीय परिशोधन	
0.00	च- आकस्मिकता निधि में अंतरण	
	छ- 31 मार्च 2020 को सरकारी लेखे में डेबिट की राशि	7,07,63.33
12,91,80.47	जोड़	12,91,80.47

13. समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा के अन्तर्गत शेषों का सारांश - क्रमांत

- (i) कई मामलों में “प्राप्तियां, सवितरण तथा आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा का विवरण” (विवरण संख्या 21) में दिखाये गये अंतशेषों और लेखा कार्यालयों/ विभागीय कार्यालयों में इस उद्देश्य से रखे जाने वाले अलग से रजिस्ट्रों अथवा अभिलेखों के अंतशेषों आसमधानिक अन्तर है। विसंगतियों के यथाशीघ्र निपटारे के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।
- (ii) शेषों के सत्यापन और उनकी स्वीकृति के लिये अधिकारियों को प्रतिवर्ष सूचित किया जाता है। बहुत से मामलों में ऐसी स्वीकृतियां प्राप्त नहीं हुई है।
- (iii) कुछ मामले में जहाँ बड़ी राशियों के शेषों का सत्यापन और उनकी स्वीकृति अप्राप्त रहे, परिशिष्ट VII में दर्शाये गये हैं ।
- (iv) वैसे मामले में जहाँ शेषों के सत्यापन के लिए पूरे ब्योरे अभिलेख अपेक्षित हैं, परिशिष्ट VII में दर्शाये गये हैं ।

लेखे पर टिप्पणियाँ

1. लेखाकरण नीतियों के अभिप्राय का सारांश:

(i) **विद्यमानता और लेखाकरण अवधि:** ये लेखे झारखण्ड सरकार के 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक के लेन-देनों को प्रस्तुत करता है तथा 26 जिला कोषागारों, 01 साइबर कोषागार, 06 उप कोषागारों, 288 लोक निर्माण-कार्य प्रमंडलों (नदी घाटी परियोजनाओं सहित), 113 वन प्रमंडलों द्वारा प्रेषित आरंभिक लेखे और भारतीय रिजर्व बैंक के एड्भाइसों के आधार पर तैयार किए गए हैं। मासिक लेखे के प्रेषण में विलम्ब नगण्य रहा तथा 31 मार्च 2020 को कोई भी लेखा असम्मिलित नहीं रहा।

(ii) **लेखाकरण का आधार :** कुछ खाता समायोजनों (अनुबंध 'क') को छोड़कर ये लेखे लेखा अवधि के दौरान हुए वास्तविक रोकड़ प्राप्तियों एवं सवितरणों को प्रस्तुत करता है। भौतिक परिसम्पत्तियों और वित्तीय सम्पत्तियों यथा निवेश इत्यादि को ऐतिहासिक मूल्यों पर दर्शाया गया है, जैसे कि अधिग्रहण/खरीदे जाने के वर्ष के मूल्य पर। भौतिक परिसम्पत्तियों का अवमूल्यन या परिशोधन नहीं किया गया है। भौतिक परिसम्पत्तियों के जीवनकाल के अंत में हुई हानियों को भी व्ययित या मान्यता नहीं दी गई है।

लेखा अवधि के दौरान वितरित सेवानिवृति हितलाभों को लेखे में दर्शाया गया है, परंतु सरकार के भविष्य में होने वाले पेंशन दायित्वों, जैसे कि अपने कर्मियों के विगत समय तथा वर्तमान सेवा के लिए सेवानिवृति हितलाभ के भुगतान के दायित्व को लेखे में शामिल नहीं किया गया है।

(iii) **मुद्रा जिसमें लेखे रखे जाते हैं :** झारखण्ड सरकार के लेखे भारतीय रूपया (₹) में संधारित किया जाता है।

(iv) **लेखे का फार्म :** संविधान के अनुच्छेद 150 के अंतर्गत, संघ तथा राज्यों के लेखे को वैसे फार्म में रखा जाता है, जिसे राष्ट्रपति एवं भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के सलाह पर निर्धारित किया जाता है। अनुच्छेद 150 में शब्द 'फार्म' का व्यापक अर्थ, लेखे को रखे जाने वाले विस्तृत फार्म का निर्धारण ही नहीं, बल्कि लेन-देनों के वर्गीकरण के तहत उचित शीर्षों के चुनाव के आधार के लिए भी व्यवहृत होता है।

(v) **लेखा मानकों का अनुपालन :** भारत सरकार के लेखा मानकों का अनुपालन संघ और राज्य सरकार के वित्तीय वक्तव्यों में प्रकटीकरण आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करता है। तीन आई.जी.ए.एस. को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है। इन आई.जी.ए.एस. के सम्बन्ध में अनुपालन की स्थिति निम्नानुसार है :-

आई.जी.ए.एस.-1 : सरकार द्वारा दी गई गारंटी : वित्त खाते में डिस्क्लोजर के बारे में आवश्यकताओं का उल्लेख वित्त खाते के विवरण 9 एवं 20 के साथ किया गया है, राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटी का विवरण बताती है।

आई.जी.ए.एस.-2 : सहायक अनुदानों का लेखा वर्गीकरण : राज्य सरकार द्वारा प्राप्त या दी गई अनुदान सहायता के लेखांकन और वर्गीकरण से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा किया गया है। विवरण 10 आई.जी.ए.एस. 2 की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किया गया है।

आई.जी.ए.एस.-3 : सरकार द्वारा लिए गए ऋण एवं अग्रिम : वित्त खाते में आवश्यक डिस्क्लोजर दिये जाते हैं। विवरण 7 एवं 18 आई.जी.ए.एस. 3 की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किया गया।

अप्राप्त ऋणों और अग्रिमों का पुनर्लेखन, ऋण के रूप में भुगतान को मंजूरी के रूप में स्वीकृत किया गया है और ऋण से संबंधित असाधारण लेन-देन की जानकारी राज्य सरकार द्वारा प्रदान नहीं की गई थी।

(vi) **राजस्व तथा पूंजी के बीच वर्गीकरण :**

(क) राजस्व व्यय, आवर्ती प्रकृति तथा राजस्व प्राप्ति के द्वारा किए जाने वाले व्यय को माना जाता है पूंजीगत व्यय निर्धारण वैसे व्यय से किया जाता है, जो कि बढ़ते हुए ठोस परिसम्पत्तियों तथा स्थायी प्रकृति का होता है।

(ख) सरकार द्वारा ₹ 0.40 करोड़ 'मुख्य कार्य' के रूप में राजस्व अनुभाग के अंतर्गत व्ययित किया गया, जैसा कि अनुबंध 'ख' में दर्शाया गया है।

2. लेखा की गुणवत्ता

(i) वस्तु एवं सेवा कर :

वर्ष 2019-20 में राज्य का जी.एस.टी. संग्रह वर्ष 2018-19 के ₹ 14,571.92 करोड़ की तुलना में ₹ 14,261.42 था जो ₹ 310.50 करोड़ (2.13 प्रतिशत) कम है। इसमें ₹ 69.12 करोड़ आई.जी.एस. टी. का अग्रिम विभाजन शामिल है। इसके अतिरिक्त 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार, राज्य को ₹ 5,843.70 करोड़, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर के राज्य के लिए कुल संग्रह में से प्राप्त हुआ। जी.एस.टी. के कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले राजस्व के नुकसान के मुआवजे के लिए राज्य सरकार को 2019-20 के दौरान ₹ 1,531.82 करोड़ मिले।

(ii) रोकड़ शेष :

31 मार्च 2020 तक राज्य का नकद शेष ₹ 54.14 करोड़ जमा था जिसमें निम्नलिखित शामिल है :

क ट्रेजरी में नकद	मुख्य शीर्ष 8999-101	₹ 0.00 करोड़
ख भा. रिजर्व बैंक के साथ जमा	मुख्य शीर्ष 8999-102	₹ (-) 54.14 करोड़
ग प्रेषण स्थानीय	मुख्य शीर्ष 8999-104	₹ 0.00 करोड़

जमा में प्रेषण भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा एक रिजर्व बैंक डिपॉजिट (राज्य) के संबंध में एक मासिक नकद शेष है जिसे मुख्य शीर्ष "8675- रिजर्व बैंक के साथ जमा" के तहत बुक किया गया है, जिसे अंततः हर महीने के अंत में "8999-कैश बैलेंस" में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

वर्ष 2019-20 के लिए पूरे महीने के हिसाब से नकदी संतुलन का विश्लेषण किया गया है जिसमें पता चला है कि दिसम्बर 2019 महीने के अलावा वर्ष के बाकी 11 महीनों में राज्य का नकारात्मक संतुलन रिजर्व बैंक जमा में था चूंकि राज्य का भुगतान प्राप्तियों से अधिक था।

मार्च 2020 के अंत में ₹ 41.69 करोड़ (जमा) का शुद्ध अंतर था जिसमें महालेखाकार की पुस्तक में {₹ 54.14 करोड़ (जमा)} प्रतिबिंबित आंकड़ों के बीच और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित {₹ 12.45 करोड़ (नामे)} शामिल है। प्रत्येक महीने की विसंगति का विवरण भारतीय रिजर्व बैंक, संबंधित एजेंसी बैंकों और राज्य सरकार को मिलान के लिए सूचित किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक से समायोजन प्रविष्टियों की प्राप्ति पर, इस कार्यालय की पुस्तकों में अंतर का निपटान किया जाएगा।

वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य सरकार द्वारा भारतीय स्टेट बैंक को ₹ 14,728.00 मात्र का ब्याज दंडस्वरूप लगाया गया और उसे सरकारी खातों में जमा किया गया। चालू लेखा वर्ष के अंतिम पांच वर्षों से पहले की अवधि के लिए अंतर रोकड़ शेष राशि और चालू लेखा वर्ष से पिछले पांच वर्षों की अवधि के रोकड़ शेष के आंकड़े को निम्नानुसार दिखाए गए हैं।

(₹ करोड़ में)

चालू लेखा वर्ष के अंतिम पांच वर्षों से पहले की अवधि	1975-76 से 2013-14 तक	2,87,22,675.98 नामे
पिछले पांच साल चालू लेखा वर्ष से पहले	2014-2015	34,72,16,882.50 जमा
	2015-2016	1,79,50,671.37 नामे
	2016-2017	87,92,575.42 जमा
	2017-2018	82,18,062.47 नामे
	2018-2019	55,16,08,773.22 जमा
चालू लेखा वर्ष	2019-2020	43,58,15,174.89 नामे
	कुल	41,69,11,646.43 जमा

(iii) मुख्य नियंत्री पदाधिकारियों एवं महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के बीच प्राप्तियों एवं व्ययों का मिलान:

झारखंड वित्तीय नियमावली के नियम 475 (viii) के अंतर्गत, सभी नियंत्री पदाधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे महालेखाकार (लेखा एवं हक०) द्वारा लेखांकित आंकड़ों के साथ सरकार की प्राप्ति एवं व्यय का मिलान करें।

वर्ष 2019-20 में, राज्य सरकार के ₹ 70,732.17 करोड़ के कुल व्यय में केवल 74.45 प्रतिशत (₹ 52,663.19 करोड़) का मिलान किया गया। इसी प्रकार, ₹ 68,059.45 करोड़ के कुल प्राप्तियों में से 97.33 प्रतिशत (₹ 66,243.77 करोड़) का ही ऑनलाइन मिलान किया गया।

मिलान नहीं करने के कारण वार्षिक लेखे में प्राप्तियों तथा व्यय के आँकड़ों के शुद्धता तथा आश्वासनों को सीमित करता है।

(iv) विनियोग लेखे के अनुसार अधिक व्यय एवं बचत :

ग्यारह विभिन्न लेखाशीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय हुआ था। इसमें से ₹ 2.02 करोड़ का अधिक व्यय मुख्य शीर्ष 2075 विविध सामान्य सेवाएं के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा बजट उपबंध नहीं करने के कारण हुआ। शेष मुख्य शीर्ष '2013', '2049', '2059', '2070', '2071', '2220', '4059', '4515', '4702' एवं '6004' के अंतर्गत अधिक व्यय हुआ।

राज्य सरकार को उपर्युक्त अधिक व्यय को नियमित करने के लिए सूचित किया गया है।

(v) व्यय का प्रवाह :

वर्ष के दौरान किए गए कुल व्यय ₹ 70,732.17 करोड़ में से 31.59 प्रतिशत ₹ 22,344.94 करोड़ 2019-20 अंतिम तिमाही के दौरान व्यय हुआ। इसी प्रकार वर्ष के दौरान कुल प्राप्तियाँ ₹ 68,059.45 करोड़ में से 31.87 प्रतिशत ₹ 21,692.71 करोड़ अंतिम तिमाही के दौरान प्राप्त हुआ। प्राप्ति के अनुरूप व्यय का अन्तिम तिमाही (जनवरी 2020 से मार्च 2020) का माहवार तुलना निम्न है:

माह	प्राप्ति	व्यय	कुल प्राप्ति का प्रतिशत	कुल व्यय का प्रतिशत
जनवरी 2020	5,342.82	4,774.35	7.85	6.75
फरवरी 2020	2,248.24	5,923.64	3.30	8.37
मार्च 2020	14,101.65	11,646.95	20.72	16.47
कुल	21,692.71	22,344.94	31.87	31.59

हालांकि, पिछले वर्ष (जनवरी से मार्च 2019), इस अवधि के दौरान कुल व्यय (₹ 65,888.13 करोड़) का 35.49 प्रतिशत (₹ 23,383.38 करोड़) था। 2019-20 के दौरान मुख्य शीर्ष के अधीन हुए व्यय की विवरण अनुबंध 'ग' में दिया गया है।

अप्रतिबद्ध देयताओं के संबंध में व्यय का प्रवाह : कुल राजस्व व्यय ₹ 26,325.00 करोड़ (प्रतिबद्ध व्यय को छोड़कर) में से ₹ 5,429.06 करोड़ (प्रतिबद्ध व्यय जैसे वेतन, मजदूरी, ब्याज भुगतान, सेवानिवृत्त दायित्व, सब्सिडी, सहायक अनुदान को छोड़कर) का राजस्व व्यय 20.62 प्रतिशत मार्च 2020 में किया गया था। इसी प्रकार कुल पूंजीगत व्यय ₹ 9,878.71 करोड़ में से ₹ 1,262.88 करोड़ का पूंजीगत व्यय 12.78 प्रतिशत मार्च 2020 में हुआ था। राजस्व व्यय का ₹ 1,373.34 करोड़ एवं पूंजीगत व्यय का ₹ 115.06 करोड़ (राजस्व एवं पूंजीगत व्यय का 2.43 प्रतिशत एवं 1.16 प्रतिशत क्रमशः) मार्च 2020 का अंतिम दिन व्यय हुआ।

(vi) असमायोजित संक्षिप्त आकस्मिक (ए०सी०) विपत्र:

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र के माध्यम से अदृश्य व्यय हेतु सेवा शीर्ष से राशि की निकासी के लिए प्राधिकृत है एवं ऐसे समग्र मामले में विस्तृत आकस्मिक विपत्र, व्यय के सब वाउचरों सहित आकस्मिक विपत्र की निकासी के छः माह के भीतर महालेखाकार (लेखा एवं हक०) कार्यालय में प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है।

वर्ष के दौरान ₹ 1,207.06 करोड़ का 415 डी.सी. विपत्र प्राप्त हुआ। हालाँकि, वर्ष 2000-01 से 2019-20 तक ₹ 6,644.44 करोड़ के कुल 18,219 ए०सी० विपत्र 31 मार्च 2020 तक लम्बित है। विलम्बित विस्तृत आकस्मिक विपत्रों का प्रेषण, आकस्मिक विपत्रों के द्वारा किए गए व्यय को अनियमित एवं अप्रमाणित बनाता है। विस्तृत विवरण नीचे दिए गए हैं :-

1 : संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों (ए०सी०) की सारणी

वर्ष	लम्बित विस्तृत आकस्मिक विपत्रों (डी०सी०) की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
2017-18 तक	17,728	4,475.74
2018-19	191	361.36
2019-20	300	1,607.34
योग	18,219	6,444.44

मुख्य चूककर्ता विभाग जिन्होंने विस्तृत आकस्मिक विपत्र प्रस्तुत नहीं है, वे निम्नवत है

विभाग/संस्था	ए०सी० विपत्रों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	ए०सी० विपत्र की कुल बकाया राशि का प्रतिशत
ग्रामीण विकास विभाग - ग्रामीण विकास प्रभाग	2,614	1,447.43	22.46
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग	451	1,032.88	16.03
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	1,387	498.79	7.74
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग - गृह प्रभाग	323	412.75	6.40
विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग - उच्च शिक्षा प्रभाग	388	319.98	4.97
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	990	316.11	4.91
कल्याण विभाग - कल्याण प्रभाग	1,509	203.33	3.16
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग - राजभाषा प्रभाग	841	198.67	3.08
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग - विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग	172	187.73	2.91
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	564	170.85	2.65

वर्ष 2019-20 में आकस्मिक विपत्रों द्वारा निकासी की गई ₹ 2,168 करोड़ में से केवल मार्च 2020 में ₹ 263.68 करोड़ (12.16 प्रतिशत) की निकासी की गई, जिसमें से वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन ₹ 117.26 करोड़ (5.41 प्रतिशत) की निकासी आकस्मिक विपत्रों द्वारा की गई। मार्च माह में आकस्मिक विपत्रों के विरुद्ध किये गये महत्वपूर्ण व्यय दर्शाता है कि यह निकासी केवल बजट प्रावधान को खर्च करने के लिए ही की गई तथा यह बजट पर नियंत्रण की न्यूनता को भी उद्घाटित करता है।

(vii) राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत सहायक अनुदानों के विरूद्ध बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र:

झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 2016 के नियम 261 के तहत सक्षम स्वीकृति प्राधिकारी के प्राधिकार अधीन स्वीकृत राशि को छोड़कर सरकार द्वारा स्वीकृत सहायक अनुदान, अंशदान इत्यादि की राशि को कोषागार में संवितरित नहीं किया जा सकेगा। आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा विगत वित्तीय वर्ष के पूर्व के वर्ष में आहरित राशि के लिए लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही संस्वीकृति प्राधिकारी को स्वीकृत्यादेश निर्गत करना चाहिए। निर्धारित अवधि के उपरांत बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र के लिए, निहित उद्देश्यों के लिए अनुदान की उपयोगिता पर आश्वासन नहीं प्रदान किया जा सकता। बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की स्थिति नीचे अंकित है:-

2: बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र की सारणी

वर्ष ¹	प्रतीक्षित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
2017-18 तक	20,878	33,329.90
2018-19	3,997	18,937.65
2019-20	4,483	17,435.44
योग	29,358	69,702.99

¹ उपर वर्णित वर्ष 'बकाया वर्ष' से संबंधित है।

इस मामले को बार-बार राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है।

मुख्य चूककर्ता विभाग जिन्होंने बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया है, वे निम्नवत है

विभाग/संस्था	बकाया यू०सी० की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र कि कुल बकाया राशि का प्रतिशत
ग्रामीण विकास विभाग	2,468	20,861.54	29.93
शहरी विकास एवं आवास विभाग	7,959	15,167.62	21.76
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	3,942	14,920.86	21.41
ऊर्जा विभाग	82	7,437.84	10.67
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	610	5,462.37	7.84
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग	1,099	1,538.39	2.21
कल्याण विभाग	2,816	1,082.86	1.55
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	6,542	1,053.10	1.51
प्रौद्योगिकी विभाग	1,331	658.59	0.94
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग	59	495.91	0.71

(viii) लघु शीर्ष "800" - 'अन्य प्राप्तियाँ' तथा 'अन्य व्यय' के अंतर्गत दर्ज आँकड़ें

राजस्व, पूँजी तथा ऋण एवं अग्रिम के अन्तर्गत ₹ 526.35 करोड़ की राशि को लघु शीर्ष "800-अन्य व्यय" के अन्तर्गत दर्ज किया गया था। वैसे उदाहरण जिनमें उल्लेखित अनुपात (10 प्रतिशत या अधिक) जो लघु शीर्ष "800-अन्य व्यय" के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है, को अनुबन्ध 'घ' में सूचीबद्ध किया गया है। इसी तरह, प्राप्त पक्ष में 46 राजस्व लेखा मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 1,401.43 करोड़ संबंधित मुख्य शीर्षों के लघु शीर्ष "800-अन्य प्राप्तियाँ" के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया था। लघुशीर्ष 800 के नियमित संचालन को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे लेखे की अपारदर्शिता को बढ़ावा मिलता है। वैसे उदाहरण जिनमें प्राप्तियों का उल्लेखित अनुपात (10 प्रतिशत या अधिक) जो लघु शीर्ष "800-अन्य प्राप्तियाँ" के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है, को अनुबन्ध 'ड' में सूचीबद्ध किया गया है।

(ix) अव्ययित शेषों का त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण :

₹ 1,800 करोड़ की सहायता अनुदान अव्ययित शेष जो पिछले वर्षों से संबंधित था, वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य सरकार द्वारा व्यय शीर्ष के लेखा में व्यय में कमी के बदले प्राप्त के लेखाशीर्ष के अन्तर्गत लघुशीर्ष 913- सहायता अनुदान के अत्यधिक शेष की वसूली के अन्तर्गत जमा किया गया, जो लेखांकन नियमों के विपरीत था। राज्य सरकार के डिजिटल डेटा में विवरण उपलब्ध नहीं होने के कारण केन्द्र प्रायोजित योजनाओं और राज्य योजनाओं के बीच का अव्ययित शेषों का विभाजन नहीं किया जा सका।

(x) केन्द्रीय सड़क निधि (सी०आर०एफ०) से संबंधित लेनदेनों का त्रुटिपूर्ण लेखाकरण :

केन्द्रीय सड़क निधि से संबंधित लेखाकरण प्रक्रिया यह निर्धारित करता है कि भारत सरकार द्वारा प्राप्त सहायक अनुदानों की प्राप्तियों को पहले लेखे के राजस्व अनुभाग (मुख्य शीर्ष 1601) में दर्ज किया जाना है, तत्पश्चात् निधि का स्थानांतरण लोक लेखे (मुख्य शीर्ष-8449 अन्य जमा-103 केन्द्रीय सड़क निधि द्वारा उपभेदन) के अंतर्गत राजस्व व्यय (मुख्य शीर्ष 3054-सड़क तथा सेतु) को नामे करके किया जाना चाहिए। यह इस सिद्धान्त का पालन करता है कि सहायता अनुदानों को उद्देश्यों (पूँजीगत या राजस्व) से असंबंधित रूप से राजस्व अनुभाग में दर्ज किया जाना चाहिए तथा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि राज्य सरकार के राजस्व आधिक्य में, अनुदान के कारण त्रुटिपूर्ण विचलन न हो सके। इसी को, मुख्य शीर्ष 3054/5054 लघु शीर्ष 902 को संबंधित ऋणात्मक नामे के द्वारा "शीर्ष 8449-अन्य जमा" को नामे कर लेखाकरण किया जाना चाहिए। तथापि, राज्य सरकार द्वारा इस प्रक्रिया का विचलन किया गया तथा लोक लेखे के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 8449-103 का परिचालन नहीं किया गया। भारत सरकार से सहायक अनुदान के रूप में प्राप्त ₹ 137.67 करोड़ को राजस्व प्राप्त के मुख्य शीर्ष-1601-08-108 के अन्तर्गत पुस्तान्कित किया गया था। चूँकि यह राशि लोक लेखे के माध्यम से भेजा नहीं गया इसलिए सहायक अनुदान के रूप में प्राप्त किये गये राशि की वास्तविक उपयोगिता के लिए कोई आश्वासन प्राप्त नहीं हुआ।

नियमित पत्राचार के बावजूद राज्य सरकार ने 2016-17 से सी.आर.एफ. के लिए बजट प्रावधान किया है, लेकिन मार्च 2020 तक निधि में कोई राशि हस्तांतरित नहीं की गयी है। इस कार्यालय के पत्र सं. बुक सी. आर.एफ.-137, 390 एवं डी.ओ. संख्या 96 दिनांक 18/06/2019, 24/02/2020 एवं 13/07/2020 के द्वारा इस संबंध में नवीनतम पत्राचार किया गया था।

3. अन्य मद

(i) लेगसी मुद्दे :

(क) पेंशन दायित्वों एवं अन्य सेवानिवृति हितलाभों का बंटवारा :

बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के आठवें अनुसूची की धारा 53 के शर्तों के अनुसार 15 नवंबर 2000 (बिहार एवं झारखंड राज्य के बंटवारे की तिथि) से 31 मार्च 2001 तक एवं प्रत्येक उत्तरवर्ती वित्तीय वर्ष में उत्तरवर्ती राज्यों

बिहार एवं झारखंड के कर्मचारियों के पेंशन दायित्वों का बंटवारा कर्मचारियों की संख्या के अनुपात में उत्तरवर्ती राज्यों बिहार एवं झारखंड के बीच किया जाना चाहिए। बिहार सरकार द्वारा किये गये दावे एवं झारखंड सरकार द्वारा किये गये भुगतान का विवरण इस प्रकार है -

(₹ करोड़ में)

बिहार सरकार द्वारा किया गया दावा		झारखंड सरकार द्वारा किया गया भुगतान		
वर्ष	राशि	वर्ष	पत्र संख्या एवं दिनांक	राशि
15.11.2000 से 31.03.2011	2,584.09 ¹	2011-12	725 दिनांक 30.03.2012	50.00
2011-12 से 2012-13	771.37	2012-13	778 दिनांक 30.03.2013	100.00
2013-14 से 2015-16	816.02	2013-14	1324 दिनांक 28.05.2013 162 दिनांक 20.01.2014	100.00 298.17
		2015-16	989 दिनांक 30.03.2016	175.00
2016-17	337.54	2016-17	1739 दिनांक 15.06.2016	13.65
2017-18	296.73	2017-18	306 दिनांक 08.02.2018	200.00
2018-19	अभी तक सूचित नहीं किया गया है	2018-19	275 दिनांक 30.01.2019	557.13
कुल	4,805.75			1,493.95

¹झारखंड सरकार ने मई 2012 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मूल सूट संख्या 1/2012 को दायर किया है, जो बिहार सरकार द्वारा दावा की गयी पेंशन देयता के भुगतान को चुनौती देती है, जो अभी भी उप-न्याय के अधीन है।

उपरोक्त तालिका से विदित होता है कि झारखंड सरकार ने तदर्थ आधार पर भुगतान किया है। बिहार सरकार ने वर्ष 2018-19 के लिए कोई भी मांग का दावा प्रस्तुत नहीं किया। पेंशन देयता के कारण झारखण्ड राज्य ने 2019-20 के दौरान बिहार सरकार को कोई राशि नहीं दी है। इसीलिए, शीर्ष "2071" के अंतर्गत आँकड़े उस सीमा तक कम हो जाते हैं।

प्रधान सचिव, वित्त विभाग बिहार पटना, अपर मुख्य सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची, प्रधान महालेखाकार (ले. एवं हक), झारखण्ड, राँची एवं उप महालेखाकार, महालेखाकार (ले. एवं हक) बिहार, पटना का कार्यालय के बीच उपरोक्त मुद्दे पर एवं भविष्य की कार्रवाई पर निर्णय के लिए दिनांक 06.06.2019 को बैठक हुई थी। इस संबंध में दोनों सरकारों से अग्रेतर कार्रवाई की प्रतीक्षा है।

(ख) राज्यों के पुनर्गठन के फलस्वरूप शेषों का बंटवारा :

बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 में यह प्रावधानित है कि उत्तरवर्ती बिहार तथा झारखण्ड राज्यों के शेषों का बंटवारा 15 नवम्बर 2000 (बिहार तथा झारखण्ड राज्यों के विभाजन की तिथि) से किस प्रकार किया जाये। पूंजी अनुभाग (मुख्य शीर्ष '4059' से '5475'), कर्ज एवं अग्रिम (मुख्य शीर्ष '6202' से '7615') के अन्तर्गत 14 नवम्बर 2000 तक का प्रगामी व्यय तथा रिजर्व बैंक के साथ जमा के अतिरिक्त भाग - III लोक लेखा के अन्तर्गत शेषों को 15 नवम्बर 2000 से 31 मार्च 2001 तक की अवधि का बिहार सरकार के वित्त लेखे में आरम्भिक शेषों के रूप में स्थानान्तरित किया गया था। 15 नवम्बर 2000 से 31 मार्च 2001 तक की अवधि का झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे में इन शीर्षों के लिये आरम्भिक शेषों को शून्य के रूप में लिया गया था।

पेंशन दायित्वों के बंटवारे के साथ-साथ कुछ परिषदों, निगमों, स्थानीय निकायों आदि के स्वामित्व के लिये झारखण्ड सरकार ने वैधिक आश्रय लिया है।

सार में, लोक ऋण एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुरक्षित रोकड़ शेष के अन्तर्गत शेषों का बंटवारा किया जा चुका है, जबकि पूंजी अनुभाग (₹ 11,935.23 करोड़), कर्ज एवं अग्रिम (₹ 6,583.36 करोड़) एवं लोक लेखा (₹ 7,443.90 करोड़) के अन्तर्गत शेषों का बंटवारा नहीं किया गया है। विस्तृत विवरण वित्त लेखे 2019-20 के परिशिष्ट-XIII में दिया गया है।

शेषों का बंटवारा के लिए मदवार विस्तृत विवरण तैयार किया गया है और संबंधित महालेखाकारों द्वारा दोनों सरकारों को सितम्बर 2014 में सहमति हेतु भेजा गया है। उसके बाद इस मसले पर पत्राचारों एवं बैठकों द्वारा नियमित रूप से प्रयासरत है। पत्र सं. 155 दिनांक 03.09.2020 द्वारा इस मामले को वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के साथ उठाया गया था। इस मामले पर दोनों सरकारों की सहमति अबतक प्रतिक्षित है।

(ग) झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड (जे.एस.इ.बी) के विघटन के पूर्व असमायोजित बकाया ऋण:

झारखण्ड सरकार ने अपने ज्ञापांक सं. 1538 दिनांक 06.06.2013 के द्वारा संकल्प पारित किया और जे.एस.इ.बी. के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप निम्नलिखित कॉरपोरेट संस्थाओं के गठन का निर्णय लिया गया है -

कम्पनी का स्वरूप	कम्पनी का नाम
नियंत्रक कम्पनी	झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड
उत्पादन कम्पनी	झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड
संचरण कम्पनी	झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड
वितरण कम्पनी	झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड

झारखण्ड राज्य विद्युत सुधार हस्तांतरण योजना 2013 की अनुसूची ई की अनुसार ऊर्जा विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा अधिसूचना सं. 18 दिनांक 6 जनवरी 2014 को जारी किया गया। बोर्ड द्वारा देय राज्य सरकार के बकाये ऋण एवं उस पर ब्याज की राशि को राज्य सरकार के खाते में बोर्ड से वसूलनीय दिखाया जायेगा जबतक कि बोर्ड एवं राज्य सरकार के बीच इसका अन्तिम समायोजन न हो जाए। बोर्ड के विघटन से पहले वर्ष 2013-14 तक बोर्ड के विरुद्ध ₹ 7,222.18 करोड़ ऋण की राशि बकाया है, जो वित्त लेखे के विवरण संख्या - 18 में अभी दिखाया जा रहा है।

राज्य सरकार के पत्र सं० 580 दिनांक 14.10.2019 एवं 585 दिनांक 17.10.2019 के द्वारा इस मुद्दे पर नवीनतम प्रगति देने का आग्रह किया गया था। जे.एस.इ.बी. के विरुद्ध बकाया ऋण के अंतिम समायोजन से कोई भी सूचना राज्य सरकार से अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

(ii) राज्य सरकार द्वारा प्रमुख प्रकार के लगाए गए शेष

(क) श्रम सेस :

भारत सरकार ने भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों (रोजगार या सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 को अधिनियमित किया जो निर्माण कार्यों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए “राज्य भवन और अन्य निर्माण कार्य कल्याण बोर्ड” के गठन का प्रावधान करता है बोर्ड के संसाधनों को बढ़ाने के लिए, केन्द्र सरकार ने भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 और भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों के कल्याण उपकर नियम, 1988 को अधिनियमित किया है। उपकर अधिनियम की धारा-3 में उपकर की दर दो प्रतिशत से अधिक नहीं है, लेकिन परियोजनाओं के निर्माण की कुल लागत के एक प्रतिशत से कम नहीं है। यह उपकर सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होगा, चाहे केन्द्र सरकार या राज्य सरकार की प्रतिनियुक्ति/संगठन या अर्ध-सरकारी या निजी संगठन।

झारखण्ड सरकार ने झारखण्ड भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों (रोजगार का नियमन और सेवा की शर्त) नियम 2006 को अधिसूचित किया। झारखण्ड भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड” का गठन और उपरोक्त नियमों के तहत भवन और अन्य श्रमिकों के कल्याण के उपायों को भी ध्यान में रखा गया है। बोर्ड ने “झारखण्ड

भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण निधि'' नामक एक कोष का गठन किया, जिसे अनुदान या ऋण या अग्रिम लाभार्थियों के योगदान और बोर्ड द्वारा प्राप्त ऐसे सभी स्रोतों से प्राप्त किया जाएगा जो केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा तय किए जा सकते हैं। इस प्रयोजन के लिए खोले गए बोर्ड के बैंक खाते में शुल्क के रूप में एकत्रित राशि को हस्तांतरित किया जाएगा।

वर्ष 2008-09 से 2019-20 तक कॉन्ट्रैक्ट लेबर (विनियम और उन्मूलन नियम) के अन्तर्गत सेस के रूप में ₹ 550.18 करोड़ एकत्र किए गए थे। इस राशि को श्रमिकों के कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु श्रम कल्याण बोर्ड को स्थानांतरित किया जाना अपेक्षित था। राज्य सरकार ने बोर्ड के खाता में सेस निधि के हस्तांतरण की पुष्टि नहीं किया गया है।

(ख) **भूमि राजस्व पर सेस** : 2008-09 से 2018-19 तक ₹ 78.48 करोड़, शिक्षा सेस, रोड सेस और अन्य सेस के रूप में शीर्ष 0029-103 के अन्तर्गत जमा हुआ था। झारखण्ड कोषागार कोड, 2016 के नियम 349 एवं 350 के अनुसार, जिले में एकत्रित उपकर की पूरी राशि (बकाया राशि संग्रह पर ब्याज सहित) संग्रह की वास्तविक लागत में कटौती के बाद (तौजी और प्रमाण पत्र स्थापना की लागत के आनुपातिक शेषों सहित) जिला कोष में जमा की जाएगी। महीने के अंत में उपर्युक्त रसीदें और शुल्क भूमि राजस्व के लिए रसीद अनुसूची में उपकर ज्ञापन में लायी जानी चाहिए और निधि के लिए देय निवल राशि और विविध बिल में भुगतान किया गया, जो क्रेडिट ट्रांसफर द्वारा जिला निधि में योगदान के रूप में भुगतान किया गया है। राज्य सरकार द्वारा राशि जिला निधि में स्थानान्तर के संबंध में सूचना नहीं दी गई है।

(iii) **पी.डी. खाता :**

झारखण्ड ट्रेजरी कोड (जेटीसी), 2016 के नियम 328-330 के प्रावधानों के अनुसार एक सरकारी कर्मचारी वित्त विभाग के सहमति के ट्रेजरी में एक व्यक्तिगत जमा खाता (पी.डी.ए.) खोल सकता है जिसे महालेखाकार (ए.जी.) द्वारा सरकार के पक्ष में इन जमाओं का प्रबंधन करने हेतु अधिकृत किया जाता है। पी.डी.ए को विशिष्ट उद्देश्यों के लिए खोला जाता है और जैसा कि वित्त विभाग द्वारा एक निर्दिष्ट अवधि के लिए अधिकृत किया जाता है। ऐसी अवधि की समाप्ति पर कोषागार पदाधिकारी वित्त विभाग के साथ-साथ महालेखाकार की पूर्व अनुमति से इस तरह के खाते को बंद कर देगा। झारखण्ड ट्रेजरी कोड, 2016 के नियम 331 से 334 के पीडीए से निधि को जमा तथा आहरण से संबंधित प्रक्रिया को लागू किया गया है। 31 मार्च 2020 तक राज्य में 22 पीडी खाते चालू थे। आगे, उक्त नियम 329 के तहत, समेकित निधि के अलावा अन्य निधि के हस्तांतरण द्वारा खोले गए पीडी खातों को प्रत्येक वर्ष समीक्षा की जानी चाहिए तथा जो खाते दो से अधिक पूर्ण लेखा वर्ष से निष्क्रिय हैं, उन्हें बंद कर दिया जाना चाहिए एवं ऐसे खातों में पड़े हुए शेषों को सरकारी खातों में जमा किया जाना चाहिए। 31 मार्च 2020 के अंत तक कोई निष्क्रिय पी.डी. खाता नहीं था।

31 मार्च 2020 तक पी.डी. खातों की स्थिति नीचे दी गई है :-

(₹ करोड़ में)

समेकित निधि के अलावा खोले गए पी. डी. खाता	अथशेष		वर्ष के दौरान जोड़		वर्ष के दौरान बंद		अंतशेष	
	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि
शून्य	0.00	22	1,520.74	शून्य	0.00	22	1,155.66	
कुल	शून्य	0.00	22	1,520.74	शून्य	0.00	22	1,155.66

(iv) आरक्षित निधियाँ एवं जमा:

(क) ब्याज दायित्वों को विमुक्त नहीं किया जाना: लोक लेखा के क्रमशः खण्ड (ज) एवं ट के अंतर्गत ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ तथा ब्याज वाली जमा से संबंधित ब्याज दायित्व वार्षिक दायित्व हैं जिसे राज्य सरकार द्वारा विमुक्त किया जाना अपेक्षित है। 1 अप्रैल 2019 को वैसे आरक्षित निधियाँ एवं जमा में शेषों के बावजूद राज्य सरकार द्वारा ब्याज के भुगतान हेतु कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया है, जिसका विस्तृत विवरण निम्न है -

आरक्षित निधियाँ एवं जमा पर ब्याज दायित्व के लिए सारणी :

(₹ करोड़ में)

खण्ड	उप खण्ड	ब्याज दर	2019-20 का आरंभिक शेष	बकाया ब्याज
ज-आरक्षित निधियाँ	(क) ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ (रा०आ०मो०नि०)	7.34 प्रतिशत (अर्थोपाय अग्रिम ब्याज दर की औसत)	1,930.09	141.67
ट-जमा एवं अग्रिम	(क) ब्याज वाली जमा (अंशदान पेंशन योजना)	7.93 प्रतिशत (सामान्य भविष्य निधि के शेषों पर देय ब्याज दर)	12.64	1.00
योग				142.67

(ख) ब्याज देय आरक्षित निधियाँ

(i) राज्य आपदा मोचन निधि : 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार राज्य सरकार ने अपने वर्तमान आपदा राहत निधि को पुनः स्थापित करते हुए वर्ष 2010-11 से “राज्य आपदा मोचन निधि” का प्रचालन प्रारंभ किया। दिशा-निर्देशों के शर्तों के अनुसार, इस निधि में केंद्र तथा राज्य सरकारों को 75:25 के अनुपात में अंशदान करना है। निधि का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है -

(₹ करोड़ में)

01.04.2019 को अथशेष	वर्ष के दौरान प्राप्त केन्द्रांश	वर्ष के दौरान प्राप्त राज्यांश	वर्ष के दौरान एस.डी.आर. एफ. में कुल स्थानांतरित राशि	वर्ष के दौरान प्राप्त निधि से व्यय	31.03.2020 का निधि का अंतशेष
1,930.09	165.75	55.25	221.00	214.10	1,936.99

(ii) राज्य क्षतिपूरक वनरोपण कोष

सी.ए.एफ. (लेखा प्रक्रिया) नियमावली, 2018 के अनुसार, उपयोगकर्ता एजेंसियों से प्राप्त सभी धनराशियों को पहली बार मूल्य शीर्ष 8336- सिविल जमा के नीचे लघुशीर्ष “103- राज्य क्षतिपूरक वनरोपण जमा” के अंतर्गत जमा किये जाने की आवश्यकता है। इसके पश्चात् 90 प्रतिशत मुख्य शीर्ष 8121- सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियों के अंतर्गत नीचे लघुशीर्ष “129- राज्य क्षतिपूरक वनरोपण कोष के अंतर्गत स्थानांतरित किया जाएगा। शेष 10 प्रतिशत मुख्य शीर्ष “8336- सिविल जमा-11 झारखण्ड के अंतर्गत लघु शीर्ष 102- राष्ट्रीय क्षतिपूरक वनरोपण जमा” को क्रेडिट करते हुए मासिक आधार पर राष्ट्रीय कोष में स्थानान्तरित किया जाएगा। इसके अलावा, एडहॉक ऑथोरिटी (एकमुश्त उपाय) से राज्य का 90 प्रतिशत हिस्सा प्राप्त करने पर मुख्य शीर्ष “8121- सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियाँ के नीचे लघु शीर्ष 129- राज्य क्षतिपूरक वनरोपण कोष” को भी क्रेडिट किया।

वर्ष 2019-20 के दौरान, राज्य सरकार ₹ 4,158.02 करोड़ (7 फरवरी 2019 तक मिलाया गया राशि) एडहॉक ऑथोरिटी के पास जमा कर 90 प्रतिशत हिस्सा ₹ 220.13 करोड़ ब्याज सहित केन्द्र सरकार से प्राप्त किया एवं झारखण्ड क्षतिपूरक वनरोपण कोष में जमा किया गया। इसके अलावा, लाभार्थियों से प्राप्त ₹ 568.73 करोड़ (8 फरवरी 2019 से 31 मार्च 2020 तक) की राशि का 90 प्रतिशत राशि को जे.सी.ए.एफ में एवं शेष 10 प्रतिशत को केन्द्रीय निधि में जमा करने के स्थान पर सीधे केन्द्रीय कोष में प्रेषित किया गया। वर्ष के दौरान निधि से किया गया व्यय ₹ 146.99 करोड़ था, जबकि 31 मार्च 2020 तक जे.सी.ए.एफ में कुल शेष राशि ₹ 4,011.03 करोड़ था।

(ग) अदेय आरक्षित निधियाँ :

- (i) **समेकित निक्षेप निधि :** 12वीं वित्त आयोग ने अनुशंसा की है कि राज्यों द्वारा सभी ऋणों के परिशोधन हेतु निक्षेप निधि का गठन किया जाना चाहिए तथा ऋणों के क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त इन निधियों का किसी अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक (भा०रि०बैं०) के दिशा-निर्देशों, के अनुसार वर्ष के प्रारंभ में बकाया दायित्वों का 0.50 प्रतिशत न्यूनतम वार्षिक अंशदान निर्धारित है तथा यह निधि के संचालन के लिए भी उत्तरदायी है। राज्य सरकार के पास ₹ 83,782.93 करोड़ की राशि बकाया कर्ज के रूप में है जिसके लिए एक न्यूनतम राशि ₹ 418.91 करोड़ (बकाया दायित्वों का 0.50 प्रतिशत की दर से) निक्षेप में योगदान के लिए थी। वर्ष 2016-17 के दौरान झारखण्ड सरकार द्वारा दायित्वों के परिशोधन के लिए निक्षेप निधि का सृजन किया गया है। यद्यपि 2016-17, 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान क्रमशः ₹ 200 करोड़, ₹ 230 करोड़, ₹ 255 करोड़ के बजट प्रावधान (पुनरीक्षित प्रावधान ₹ 62 करोड़) एवं ₹ 280.16 करोड़ किये गये थे लेकिन राज्य सरकार द्वारा आरंभ से वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंत तक कोई भी राशि निक्षेप निधि में स्थानांतरित नहीं की गई थी।

राज्य सरकार से पत्र संख्या 389 दिनांक 24.02.2020 एवं डी.ओ. पत्र संख्या 109 दिनांक 22.07.2020 के द्वारा इस मुद्दे पर नवीनतम प्रगति प्रेषित करने का आग्रह किया गया था, लेकिन अभी तक कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ। राज्य सरकार ने वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 100 करोड़ की राशि समेकित निक्षेप के हस्तांतरित की गई है।

- (ii) **गारंटी विमोचन निधि :** 12वें वित्त आयोग के अनुसार राज्य सरकार द्वारा एक गारंटी विमोचन निधि का गठन अपेक्षित है, जिसका उपयोग सरकार द्वारा निर्गत किये गये गारंटियों से उत्पन्न देयताओं के भुगतान को पूरा करने के लिये किया जायेगा। निधि का संचालन राज्य सरकार के लेखे से बाहर किया जाता है तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इसका प्रचालन किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा गारंटी विमोचन निधि का सृजन नहीं किया गया है। यद्यपि दिनांक 1 अप्रैल 2019 का ₹ 607.15 करोड़ के बकाया बैंक गारंटियाँ था।

समेकित निक्षेप निधि तथा गारंटी विमोचन निधि इस राज्य में अबतक निष्क्रिय है।

(v) (क) सेवा निवृत्त हितलाभों पर दायित्व

2019-20 के दौरान राज्य सरकार का 30.11.2004 का या उससे पहले के बहाल कर्मियों को पेंशन तथा अन्य सेवनिवृत्ति हितलाभ में शीर्ष 2071-117 के अन्तर्गत कर्मचारियों को अंशदान ₹ 496.27 करोड़ को छोड़कर ₹ 5,508.33 करोड़ व्यय हुआ (कुल राजस्व व्यय का 9.76 प्रतिशत)।

(ख) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन.पी.एस.) :

राज्य सरकार द्वारा 01.12.2004 से प्रभावित भर्तियों को नई पेंशन योजना के अनुसार मान्यता दी गई, जिसे 2009 में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के रूप में परिभाषित किया गया। नई योजना के अनुसार, कर्मी अपने मासिक वेतन तथा महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत अंशदान करेंगे, जिसमें राज्य सरकार का समान योगदान होगा तथा सम्पूर्ण राशि को नेशनल सिक्युरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल./ट्रस्टी बैंक) के माध्यम से पदधारी निधि प्रबंधक कर स्थानांतरित किया जाएगा।

वर्ष 2019-20 के दौरान नियोक्ताओं ओर कर्मचारियों का योगदान क्रमशः ₹ 496.27 करोड़ ओर ₹ 522.43 करोड़ था जिसमें से ₹ 496.27 करोड़ नियोक्ता अंशदान और ₹ 495.51 करोड़ कर्मचारियों के अंशदान को एन.एस.डी.एल (पदधारी निधि प्रबंधक) को हस्तांतरित किया गया है।

31 मार्च 2020 तक, ₹ 39.55 करोड़ कर्मचारियों का अंशदान मुख्य शीर्ष 8342 अन्य जमा -117 सरकारी परिभाषित अंशदायी योजना में कर्मचारी अंशदान में शेष रहा और इसे एन.एस.डी.एल. में स्थानांतरित नहीं किया गया।

(vi) आकस्मिकता निधि :

झारखण्ड आकस्मिकता निधि (संशोधित) अधिनियम, 2015 के अनुसार वर्ष 2018-2019 के दौरान झारखण्ड आकस्मिकता निधि की कुल राशि ₹ 500.00 करोड़ है। वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार ने वर्ष के दौरान कुल ₹ 894 करोड़ की राशि का 86 स्वीकृत्यादेश निर्गत किया, जिसकी प्रतिपूर्ति, अनुपूरक बजट के माध्यम से, वर्ष के दौरान निधि की कुल राशि को अक्षुण्ण रखते हुए की गई।

(vii) राज्य सरकार के कर्ज तथा अग्रिम :

कर्ज तथा अग्रिम हेतु भारतीय सरकारी लेखाकरण मानक (भा.स.ले.मा.) 3 के अधीन जैसा कि अपेक्षित है वित्त लेखे 2019-20 के विवरण सं० 18 में उपलब्ध सूचना अपूर्ण है, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा इसे सम्पुष्ट नहीं किया गया है। कर्ज तथा अग्रिम से संबंधित अतिदेय मूलधन तथा ब्याज का विस्तृत जानकारी जिसका लेखा राज्य सरकार द्वारा संधारित किया जाता है, प्रतिक्षित है क्योंकि 31 मार्च 2020 तक के शेषों पर राज्य सरकार से सम्पुष्ट अप्राप्त है। वैसे ऋणों, जिसका विस्तृत लेखा महालेखाकार (लेखा एवं हक०) द्वारा संधारित किया जाता है उन मामलों में भी राज्य सरकार से व्यक्तिगत कर्जधारकों के शेषों की स्थिति प्रतीक्षित है। इस वित्त लेखे 2019-20 के परिशिष्ट-VII-1- शेषों की स्वीकार्यता में दर्शाया गया है।

राज्य सरकार से यह अनुरोध किय गया था कि राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों की अतिदेय प्रिंसिपल और ब्याज के बारे में जानकारी 31.03.2020 तक दी जाए, लेकिन राज्य सरकार द्वारा कोई सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुआ।

(viii) राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटियाँ

वित्त लेखे के विवरण सं० 9, वर्ष के दौरान, सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थानों द्वारा उगाहे गए ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए, राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटियों तथा वर्ष के अंत में दी गई गारंटी के बकाया राशि को दर्शाता है। वर्ष 2019-20 तक सरकार द्वारा कोई गारंटी नीति एवं गारंटी विमोचन निधि का आकलन/गठन नहीं किया गया है।

दामोदर घाटी निगम से खरीदी गई बिजली के मासिक बिल के भुगतान के लिए भूतपूर्व झारखंड राज्य बिजली बोर्ड, राँची की तरफ से इलाहाबाद बैंक, राँची को ₹ 157.15 करोड़ की राज्य गारंटी दी गई है। इसकी अवधि, नियम एवं शर्तें, जिसके आधार पर गारंटी दी गई थी, की जानकारी राज्य सरकार द्वारा नहीं दी गई है।

ऊर्जा विभाग, झारखण्ड सरकार के अधिसूचना ए.ई./ऊ.वि. बोर्ड 02/17-3072 दिनांक 20.12.2018 के द्वारा झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को ₹ 450.00 करोड़ की राज्य गारंटी 31.03.2020 तक के लिए इस शर्त के साथ दी गई है कि कर्ज का पुनर्भुगतान पुरी तरह से झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के निहित होगा। राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त पत्र के गारंटी कमीशन पर कोई प्रावधान नहीं किया गया है इसलिए कम्पनी से कोई गारंटी कमीशन प्राप्त नहीं हुआ है। झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड के विरुद्ध पूर्व में दी गई गारंटी ₹ 157.15 करोड़ को रद्द करने/वापस लेने से संबंधित कोई सूचना प्राप्त नहीं हुआ है।

(ix) निवेश :

वित्त लेखे विवरण सं० 8, सांविधिक निगमों में हिस्सा पूँजी, ग्रामीण बैंकों, सरकारी कम्पनियों, कम्पनियों के संयुक्त स्टॉक तथा सहकारिता संस्थानों एवं स्थानीय निकायों में वर्ष 2019-20 के दौरान तथा अंत में किए गए निवेश के तुलनात्मक सारांश को दर्शाता है। विस्तृत निकाय-वार निवेश, वित्त लेखे के विवरण सं० 19 में दिया गया है। ₹ 447.95 करोड़ के कुल निवेश, में से ₹ 119.52 करोड़ (26.68 प्रतिशत) का निवेश राजस्व लेखे से किया गया है।

(x) **केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं (के.प्रा.यो.)/अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए.सी.ए.-ब्लॉक अनुदान रहित) का पुनर्संरचना :**

नीति आयोग ने मौजूदा 66 छाता योजनाओं को 28 छाता योजनाओं में तर्कसंगत बनाया है। 28 छाता योजनाओं में से 6 योजनाओं को मुख्य योजनाओं के मूल रूप में वर्गीकृत किया गया है, 20 योजनाओं को मूल योजनाओं के रूप में और शेष दो को वैकल्पिक योजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यदि आवश्यक हो, तो संबंधित योजनाओं को राज्यों को राज्य विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप स्वीकार्य घटकों को संचालित करने के लिए लचीलेपन के साथ “छाता योजनाओं” के रूप में विलय और कार्यान्वित किया जा सकता है। मूल योजनाओं के राज्यों द्वारा भागीदारी अनिवार्य होगी, जबकि वैकल्पिक योजनाओं के भागीदारी पसंद से होगी।

वर्ष 2019-20 के दौरान 24 छाता योजनाओं के लिए झारखण्ड सरकार की राज्य योजनाओं को केन्द्रीय सहायता के रूप में ₹ 7,339.05 करोड़ की राशि प्राप्त हुई, जिसमें 52 सी.एस.एस./ए.सी.ए./फ्लैगशिप योजनाएं शामिल हैं। भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय लेखा अनुभाग, नागपुर द्वारा क्लियरेंस मेमो तथा भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों द्वारा ₹ 7,339.05 करोड़ से संबंधित सहयोगी स्वीकृत्यादेश प्राप्त हुए एवं राज्य सरकार के लेखे के मुख्य शीर्ष ‘1601-केन्द्रीय सरकार से सहायक अनुदान’ के अंतर्गत उचित रूप में दर्ज किया चूँकि राज्य सरकार द्वारा योजना व्यय को वर्तमान वर्गीकरण ढाँचे के रूप में दर्शाया जाना जरूरी है, फ्लैगशिप योजनाओं पर व्यय, जिसे भारत द्वारा निर्गत राशि से किया गया, के विस्तृत ब्यौरे का आकलन संभव हुआ था तथा जिसे वित्त लेखे 2019-20 के विवरण सं. 15 के अनुबंध II में दर्शाया गया है।

(xi) **राज्य में क्रियान्वयन करने वाले अभिकरणों द्वारा भारत सरकार सी.एस.एस/सी.ए. योजनाओं के लिए राज्य बजट के बाहर सीधे भारत सरकार से अनुदान प्राप्त करना :**

पी.एफ.एम.एस. पोर्टल में दर्शाया गया है कि भारत सरकार ने 2019-20 के दौरान झारखण्ड के कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे ₹ 235.71 करोड़ रुपये निर्गत किया गया है। 2018-19 में यह ₹ 304.19 करोड़ था। विस्तृत विवरण वित्त लेखे 2019-20 के परिशिष्ट VI में दिए गए हैं।

(xii) **झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन (एफ०आर०बी०एम०) अधिनियम, 2007 में प्रकटीकरण:**

झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2007 के साथ पठित झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम 2012 के द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्यों, 13वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित अधिसीमाओं तथा वर्ष 2019-20 के लेखे के अनुसार उपलब्धियों को नीचे दर्शाया गया है :-

2 : एफ०आर०बी०एम० अधिनियम के अधीन लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ की सारणी

क्रम सं०	लक्ष्य	उपलब्धियाँ
1	वर्ष 2011-12 से राजस्व घाटे में शून्य तक की कमी करना	राज्य सरकार राजस्व अधिशेष के रूप में वर्ष 2019-20 में ₹ 1,960.51 करोड़ की उपलब्धि हासिल की।
2	वर्ष 2011-12 से राजकोषीय घाटा/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स०रा०घ०उ०) ³ में 3 प्रतिशत तक की कमी करना	वर्ष 2019-20 में राजकोषीय घाटा/स०रा०घ०उ० ³ का अनुपात 2.34 प्रतिशत था जो कि पिछले वर्ष के अनुपात में 2.31 प्रतिशत से ज्यादा है।

³स्रोत : वर्ष 2019-20 के लिए आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय योजना-सह-वित्त विभाग झारखण्ड सरकार के अनुसार स०घ०रा०उ० का आँकड़ा ₹ 3,43,125.69 करोड़ था।

(xiii) **वचनबद्ध देयताएँ :**

12वीं वित्त आयोग की अनुशांषा के आलोक में, जब लेखाकरण की वास्तविकी आधारित व्यवस्था के तहत बदलाव को पसंद किया जा रहा है, केन्द्रीय सरकार के द्वारा लेखाकरण को वास्तविकी आधारित बनाने की

ओर कुछ प्रयास की पहल की गई है। यद्यपि, लेखाकरण को वास्तविकी आधारित व्यवस्था के तहत बदलाव के लिए, गमन चरणों में होगा, इसे और अधिक सूचना निर्णायक बनाने हेतु, विवरणों के रूप में कुछ अतिरिक्त सूचनाओं को वर्तमान के रोकड़ लेखाकरण व्यवस्था में जोड़ा जाना चाहिए। इसमें, अन्य के अलावा, जैसे वर्ष के दौरान सरकार द्वारा लिए गए मुख्य नीतियों को कार्यान्वयन अथवा भविष्य में रोकड़ प्रवाह के लिए बजट में प्रस्तावित नई योजनाओं से संबंधित भविष्य में वचनबद्ध देयताओं का आँकड़ा शामिल है।

राज्य सरकार के द्वारा भेजे गए ब्यौरे को आधार मानकर सरकार के वचनबद्ध देयताएं पर वित्त लेखे 2019-20 का परिशिष्ट XII तैयार किया गया है, क्योंकि राज्य सरकार के द्वारा पूर्ण सूचनाओं को प्रेषण नहीं किया गया है इसलिए, इस सीमा तक परिशिष्ट अपूर्ण है।

(xiv) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं (राज्यांश) एवं राज्य योजनाओं का कार्यान्वयन :

राज्य सरकार द्वारा राज्य/जिला स्तरीय स्वशासी निकायों एवं प्राधिकरणों, समितियों, गैर-सरकारी संगठनों इत्यादि को केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं (राज्यांश) एवं राज्य योजनाओं के कार्यान्वय हेतु निधि उपलब्ध करायी जाती है। चूँकि सामान्यतः क्रियान्वयन करने वाले अभिकरणों द्वारा उसी वित्तीय वर्ष में पूर्णतः व्यय नहीं की जाती है, जिसके फलस्वरूप वर्ष के अन्त में क्रियान्वयन करने वाले अभिकरणों के बैंक खातों में अव्ययित शेष पड़े रह जाते हैं। क्रियान्वयन करने वाले अभिकरणों के बैंक खाते में अव्ययित कुल शेषों, जिसे सरकारी लेखे के बाहर रखा जाता है, को आसानी से पता नहीं लगाया जा सकता है। अतः लेखे में प्रतिबिम्बित सरकार के व्यय को उस सीमा तक अंतिम नहीं माना जा सकता है।

(xv) गुप्त सेवा निधि के लिए “पर्याप्त वास्तविक प्रशासनिक लेखापरीक्षा” के बकाया प्रमाण-पत्र:

झारखंड वित्तीय नियमावली के परिशिष्ट-V का अनुबंध 4 के अनुसार, गुप्त सेवा निधि से हुए व्यय का, सरकार के द्वारा नियुक्त नियंत्री पदाधिकारी के द्वारा, एक पर्याप्त वास्तविक प्रशासनिक लेखापरीक्षा का संचालन किया जाना है तथा इस संबंध में एक प्रमाण-पत्र महालेखाकार (ले० एवं हक०) को निर्धारित प्रपत्र में व्यय से संबंधित वर्ष से अगले वर्ष के 31 अगस्त तक प्रेषित किया जाना चाहिए। नियंत्री पदाधिकारियों के विरुद्ध निम्नलिखित प्रत्येक वर्षों से संबंधित प्रमाण-पत्र जिन्हें महालेखाकार (ले० एवं हक०) को 31 मार्च 2020 तक प्रेषित नहीं किया गया है :-

3 : गुप्त सेवा निधि का बकाया प्रमाण-पत्र के लिए सारणी

वर्ष	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	राशि (₹ करोड़ में)	प्रमाण-पत्र उपस्थापन की नियत तिथि
2005-06	आरक्षी महानिदेशक एवं महानिरीक्षक	8.30	31 अगस्त 2006 को या उससे पहले
2007-08	अतिरिक्त आरक्षी महानिदेशक (विशेष शाखा)	4.50	31 अगस्त 2008 को या उससे पहले
2008-09	अतिरिक्त आरक्षी महानिदेशक (विशेष शाखा)	2.50	31 अगस्त 2009 को या उससे पहले
2012-13	अतिरिक्त आरक्षी महानिदेशक (विशेष शाखा)	2.50	31 अगस्त 2013 को या उससे पहले
2013-14	अतिरिक्त आरक्षी महानिदेशक (विशेष शाखा)	2.50	31 अगस्त 2014 को या उससे पहले
2014-15	अतिरिक्त आरक्षी महानिदेशक (विशेष शाखा)	2.50	31 अगस्त 2015 को या उससे पहले
2015-16	अतिरिक्त आरक्षी महानिदेशक (विशेष शाखा)	3.00	31 अगस्त 2016 को या उससे पहले
2016-17	अतिरिक्त आरक्षी महानिदेशक (विशेष शाखा)	3.10	31 अगस्त 2017 को या उससे पहले
2017-18	अतिरिक्त आरक्षी महानिदेशक (विशेष शाखा)	3.50	31 अगस्त 2018 को या उससे पहले
2018-19	अतिरिक्त आरक्षी महानिदेशक (विशेष शाखा)	4.20	31 अगस्त 2019 को या उससे पहले

(xvi) उचंत एवं प्रेषण शेष

वित्त लेखे, उचंत एवं प्रेषण शीर्षों के निवल शेषों को दर्शाता है। इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेषों के विभिन्न शीर्षों में बकाया ‘नामे’ एवं बकाया ‘जमा’ शेषों को पृथक रूप से निकाल कर किया जाता है। विगत तीन वर्षों के अंतर्गत कुछ मुख्य उचंत शीर्षों एवं प्रेषण शीर्षों के सकल आंकड़ों की स्थिति अनुबंध ‘च’ में दर्शाई गई है।

(xvii) उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) :

भारत सरकार ने एक नई योजना - उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) की स्वीकृति वित्तीय बदलाव एवं बिजली वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम) के पुनरूद्धार हेतु दी है, जो महत्वपूर्ण रूप से समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करता है। झारखण्ड सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में उदय के अन्तर्गत सहायता के रूप में कुल ₹ 6,136.37 करोड़ की राशि वितरण कम्पनियों को प्रदान किया गया, जिसमें से भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से सहभागी/ऋणदि बैंको को जारी नॉन एस.डी.एल. बॉन्ड्स के द्वारा ₹ 5,553.37 करोड़ की राशि उगाही की गई जबकि राज्य के संचित निधि से ₹ 583.00 करोड़ की राशि दी गई। ₹ 6,136.37 करोड़ की सम्पूर्ण राशि झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को कर्ज के रूप में दिया गया। 25 सितंबर 2015 को विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, झारखण्ड सरकार और जे.बी.वी.एन.एल. के बीच एम.ओ.यू. के अनुसार ऋण की राशि को अनुदान (75 प्रतिशत) और इक्विटी (25 प्रतिशत) में परिवर्तित किया जाना था। ऋण को ग्रांट और इक्विटी में अब तक परिवर्तित नहीं किया गया है, जो कम्पनी के नवीनतम खातों से स्पष्ट है।

(xviii) पाँच वर्ष एवं उससे अधिक अधूरे परियोजना :

पाँच वर्ष एवं उससे अधिक अधूरे परियोजनाओं की संख्या 49 (उनचास) है, जो अनुबंध 'छ' में दिखाया गया है। परियोजनाओं/कार्यों के पूरा होने में देरी के कारण अनुमानित लागत में वृद्धि को राज्य सरकार के द्वारा सूचित/अनुमानित नहीं किया गया है।

(xix) व्यपगत और अव्यपगत निधि :

राजस्व जमा, व्यक्तिगत जमा एवं कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम के तहत जमा राशि, यदि निर्दिष्ट अवधि के अन्दर दावा रहित है तो झारखण्ड कोषागार कोड, 2016 को नियम 322, 330(ख) एवं 338 के अन्तर्गत व्यपगत योग्य है यद्यपि व्यक्तिगत जमा खाता एवं कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम राज्य में परिचालन में नहीं है। इसके अलावा, कोर्ट जमा, लोकल फंड जमा एवं जिला बोर्ड निधि अव्यपगत है। ये फंड राज्य में परिचालन में हैं। उपरोक्त व्यपगत और व्यपगत निधि का लेखांकन, संचालन और रखरखाव की कार्यप्रणाली जो राज्य में प्रचलित है, इस उद्देश्य के लिए निर्धारित मौजूद वित्तीय नियमों/कोडल प्रावधान के संदर्भ में जाँच किया गया है और देखा गया है कि राज्य कोषागार पदाधिकारियों द्वारा महालेखाकार कार्यालय को व्यपगत जमा का विवरण जमा करने के अलावा इन फंडों के प्रचालन और लेखांकन में कोई विचलन नहीं है, जिसका पालन राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है।

(xx) राजस्व अधिशेष/राजकोषीय घाटे पर प्रभाव :

राज्य सरकार के राजस्व अधिशेष/राजकोषीय घाटे पर प्रभाव (विस्तृत ब्यौरा पूर्ववर्ती कंडिकाओं में दिया गया है) निम्न प्रकार से है -

राजस्व अधिशेष तथा राजकोषीय घाटे पर प्रभाव की सारणी

(₹ करोड़ों में)

अनुच्छेद सं०	मद	राजस्व घाटा पर प्रभाव		राजकोषीय घाटे पर प्रभाव	
		अधिकथन	न्यूनकथन	अधिकथन	न्यूनकथन
3 (iv) (क)	ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ एवं जमा के अन्तर्गत ब्याज जमा नहीं किया जाना	142.67	-	-	142.67
3 (iv) (ग) (i)	समेकित निक्षेप निधि में अंशदान नहीं किया जाना	418.91	-	-	418.91
3 (iv) (ग) (ii)	गारंटी विमोचन निधि में अंशदान नहीं किया जाना	3.04	-	-	3.04
योग (निवल) अधिकथन/ न्यूनकथन		564.62		564.62	

(xxi) राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.यू.) को दिए जानेवाले अनुदान/ऋण, खातों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है :

वर्तमान में 33 (तैतीस) (कार्यरत-30/गैर-कार्यरत-03) राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पी.एस.यू.) है, जिनके खाते में बकाया है। इन पी.एस.यू. की विवरणी नीचे तालिका में दी गई है -

7 : राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.यू.) को दिए जानेवाले अनुदान/ऋण, खातों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है :

क्रम सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का नाम	वर्ष तक प्राप्त लेखे	वर्ष तक पूरा हुआ लेखा परीक्षा	बकाया लेखे
1	झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	2016-17	2016-17	3
2	झारखण्ड पहाड़ी क्षेत्र उद्ग्रह सिंचाई निगम लिमिटेड	2013-14	2013-14	6
3	झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2009-10	2009-10	10
4	झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड	2015-16	2015-16	4
5	झारखण्ड औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	2018-19	2018-19	1
6	झारखण्ड राज्य वेबरेज निगम लिमिटेड	2015-16	2015-16	4
7	तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड	2014-15	2014-15	5
8	झारखण्ड राज्य खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	2010-2011 से बकाया	शून्य	9
9	झारखण्ड अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम लिमिटेड	2015-16	2015-16	4
10	झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड	2018-19	2018-19	1
11	झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड	2016-17	2016-17	3
12	झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	2014-15	2014-15	5
13	झारखण्ड चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अवसंरचना विकास तथा संग्रहण निगम लिमिटेड	2013-14 स्थापना से लंबित	शून्य	6
14	झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड	2018-19	2018-19	1
15	झारखण्ड कोलियरी लिमिटेड - गैर-कार्यरत	2018-19	2018-19	1
16	झारखण्ड राज्य कृषि विकास निगम	2017-18	2017-18	2
17	झारखण्ड संचार नेटवर्क लिमिटेड	2017-18 से लंबित	शून्य	2
18	झारखण्ड प्लास्टिक पार्क लिमिटेड	2018-19	2018-19	1

क्रम सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का नाम	वर्ष तक प्राप्त लेखे	वर्ष तक पूरा हुआ लेखा परीक्षा	बकाया लेखे
19	आदित्यपुर इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण कलस्टर लिमिटेड	2016-17 से लंबित	शून्य	3
20	झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड	2018-19	2018-19	1
21	ग्रेटर राँची डेवलपमेंट ऑथोरिटी	2018-19	2018-19	1
22	झारखण्ड सिल्क कपड़ा और हस्तशिल्प डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	2018-19	2018-19	1
23	कर्णपूरा एनर्जी लिमिटेड - गैर कार्यरत	2018-19	2017-18	1
24	पतरातू एनर्जी लिमिटेड - गैर कार्यरत	2018-19	2018-19	1
25	झारखण्ड शहरी अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	2017-18	2017-18	2
26	झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड	2017-18	2017-18	2
27	झारखण्ड अर्बन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड	2017-18	2017-18	2
28	झारखण्ड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	2018-19	2018-19	1
29	अटल बिहारी इनोवेशन लैब	2018-19 से लंबित	शून्य	1
30	झारखण्ड फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	2016-17 से लंबित	शून्य	3
31	झारखण्ड स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड	2016-17 से लंबित	शून्य	3
32	झारखण्ड राज्य विद्युत विनियामक आयोग	2013-14	2013-14	6
33	झारखण्ड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी	2001-02	शून्य	18

वर्ष 2019-20 के दौरान, राज्य सरकार ने ₹ 76.70 करोड़ की राशि 06 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.यू.) को (ऋण ₹ 61.62 करोड़ एवं हिस्सा पूंजी ₹ 15.08 करोड़) निर्गत किया गया।

(xxii) अपलेखित केन्द्रीय ऋणों के विरुद्ध किए गए अधिक पुनर्भुगतान का समायोजन

13वें वित्त आयोग के अनुशांसा के आलोक में वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) का स्वीकृत्यादेश संख्या - 13/2011-12 दिनांक 29 फरवरी 2012 के भारत सरकार के निर्णय के अनुसार केन्द्रीय योजनागत योजनाओं एवं केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत, मंत्रालयों (वित्त मंत्रालय के अलावे) द्वारा राज्य सरकार को दिए गए अग्रिमों का 31 मार्च 2010 को बकाया केन्द्रीय योजनाओं का अपलेखन किया गया। इन अपलेखित ऋणों के विरुद्ध 31 मार्च 2010 के पश्चात् राज्य द्वारा किए गए कर्ज एवं ब्याज का पुनर्भुगतान, यदि कोई हो, को वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), भारत सरकार से चालू ऋणों के विरुद्ध राज्यों से देय ऋणों के पुनर्भुगतान के विरुद्ध समायोजित किया जाना था। आज की तारीख में राज्य सरकार ने मूलधन एवं ब्याज पर

₹ 2.28 करोड़ की राशि का अधिक भुगतान पांच मंत्रालयों के पक्ष में (शहरी मंत्रालय ₹ 89,387.00, सड़क और राजमार्ग ₹ 71,593.00, कृषि मंत्रालय ₹ 1,48,60,746.00, निर्माण और आवास ₹ 59,467.00, ऊर्जा ₹ 28,862.00 एवं जल संसाधन ₹ 76,54,567.00, कुल ₹ 2,27,64,622.00) किया गया, जो अभी भी वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के साथ समायोजन के लिए लंबित है।

(xxiii) मुख्यशीर्ष 3435 के अन्तर्गत परिस्थितिकी और पर्यावरण पर व्यय

राष्ट्रीय पर्यावरण नीति (एन.ई.पी.) 2006 का उद्देश्य पर्यावरण संबंधी सभी निर्माण गतिविधियों को मुख्य धारा में लाना है। एन.ई.पी. का मुख्य उद्देश्य महत्वपूर्ण परिस्थितिक प्रणालियों और संसाधनों का संरक्षण, प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभावों आदि को कम करना है।

राज्य सरकार द्वारा मुख्य शीर्ष 3435-परिस्थितिकी और पर्यावरण के अन्तर्गत कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया है और न ही 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए पिछले तीन वित्तीय वर्ष के दौरान कोई खर्च किया गया है।

अनुबंध-क

(लेखे पर टिप्पणियाँ के पैरा 1 (ii) से संदर्भित)

महालेखाकार के द्वारा आवधिक समायोजन तथा राज्य सरकार के द्वारा अन्य समायोजन को दर्शाने वाला विवरण

क. महालेखाकार के द्वारा किए गए आवधिक समायोजन						
क्रम सं०	खाता समायोजन	लेखे का शीर्ष				राशि (₹ करोड़ में)
		से	को			
1	राज्य आपदा दायित्व निधि में केन्द्रांश तथा राज्यांश का स्थानांतरण	2245	प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	8121	सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियाँ	221.00
2	प्राकृतिक विपत्ति के कारण राज्य आपदा मोचन निधि से व्यय की प्रतिपूर्ति	8121	सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियाँ	2245	प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	214.10
3	सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज का समायोजन	2049	ब्याज अदायगियाँ	8009	राज्य भविष्य निधियाँ	238.15
4	राज्य क्षतिपूरक वनरोपण कोष में राशि का स्थानांतरण	2406	वानिकी तथा वन्य प्राणी	8121	सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियाँ	4,158.02
5	राज्य क्षतिपूरक वनरोपण कोष से हुए व्यय की प्रतिपूर्ति	8121	सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियाँ	2406	वानिकी तथा वन्य प्राणी	146.99

अनुबंध-क-क्रमशः

(लेखे पर टिप्पणियाँ के पैरा 1 (ii) से संदर्भित)

महालेखाकार के द्वारा आवधिक समायोजन तथा राज्य सरकार के द्वारा अन्य समायोजन को दर्शाने वाला विवरण

ख. राज्य सरकार के द्वारा किए गए अन्य समायोजन						
क्रम सं०	खाता समायोजन	लेखे का शीर्ष				राशि (₹ करोड़ में)
		से	को			
1	लोक निर्माण कार्य जमा निधि में स्थानांतरण	2053	जिला प्रशासन	8443	सिविल जमा-108 लोक निर्माण कार्य जमा	167.36
2	लोक निर्माण कार्य जमा निधि में स्थानांतरण	2225	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण	8443	सिविल जमा-108 लोक निर्माण कार्य जमा	46.57
3	लोक निर्माण कार्य जमा निधि में स्थानांतरण	4047	अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	8443	सिविल जमा-108 लोक निर्माण कार्य जमा	49.48
4	लोक निर्माण कार्य जमा निधि में स्थानांतरण	4055	पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	8443	सिविल जमा-108 लोक निर्माण कार्य जमा	29.31
5	लोक निर्माण कार्य जमा निधि में स्थानांतरण	4202	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	8443	सिविल जमा-108 लोक निर्माण कार्य जमा	10.12
6	लोक निर्माण कार्य जमा निधि में स्थानांतरण	4210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	8443	सिविल जमा-108 लोक निर्माण कार्य जमा	21.71
7	लोक निर्माण कार्य जमा निधि में स्थानांतरण	4225	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों पर पूंजीगत परिव्यय	8443	सिविल जमा-108 लोक निर्माण कार्य जमा	51.95

अनुबंध-क-क्रमशः

(लेखे पर टिप्पणियाँ के पैरा 1 (ii) से संदर्भित)

महालेखाकार के द्वारा आवधिक समायोजन तथा राज्य सरकार के द्वारा अन्य समायोजन को दर्शाने वाला विवरण

ख. राज्य सरकार के द्वारा किए गए अन्य समायोजन						
क्रम सं०	खाता समायोजन	लेखे का शीर्ष				राशि (₹ करोड़ में)
		से			को	
8	लोक निर्माण कार्य जमा निधि में स्थानांतरण	4515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	8443	सिविल जमा-108 लोक निर्माण कार्य जमा	174.68
9	लोक निर्माण कार्य जमा निधि में स्थानांतरण	5054	सड़कों एवं पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	8443	सिविल जमा-108 लोक निर्माण कार्य जमा	23.98
10	लोक निर्माण कार्य जमा निधि में स्थानांतरण	5452	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	8443	सिविल जमा-108 लोक निर्माण कार्य जमा	27.59
11	नगर निगम/नगरपालिका के पी०एल० खाता में स्थानान्तरण	2053	जिला प्रशासन	8448	स्थानीय निधियों में जमा-109 पंचायत निकायों की निधियां	50.23
12	नगर निगम/नगरपालिका के पी०एल० खाता में स्थानान्तरण	2053	जिला प्रशासन	8448	स्थानीय निधियों को जमा-101 जिला निधियां	21.63
13	नगर निगम/नगरपालिका के पी०एल० खाता में स्थानान्तरण	2056	जेल	8448	स्थानीय निधियों को जमा-120 अन्य निधियां	46.00
14	नगर निगम/नगरपालिका के पी०एल० खाता में स्थानान्तरण	2202	सामान्य शिक्षा	8448	स्थानीय निधियों को जमा-120 अन्य निधियां	271.25
15	नगर निगम/नगरपालिका के पी०एल० खाता में स्थानान्तरण	2203	तकनीकी शिक्षा	8448	स्थानीय निधियों को जमा-120 अन्य निधियां	307.37

अनुबंध-क-क्रमशः

(लेखे पर टिप्पणियाँ के पैरा 1 (ii) से संदर्भित)

महालेखाकार के द्वारा आवधिक समायोजन तथा राज्य सरकार के द्वारा अन्य समायोजन को दर्शाने वाला विवरण

ख. राज्य सरकार के द्वारा किए गए अन्य समायोजन						
क्रम सं०	खाता समायोजन	लेखे का शीर्ष				राशि (₹ करोड़ में)
		से	को			
16	नगर निगम/नगरपालिका के पी०एल० खाता में स्थानान्तरण	2204	खेलकूद तथा युवा सेवाएं	8448	स्थानीय निधियों को जमा-120 अन्य निधियां	11.85
17	नगर निगम/नगरपालिका के पी०एल० खाता में स्थानान्तरण	2210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	8448	स्थानीय निधियों को जमा-111 चिकित्सा तथा दान योग्य निधियां	349.73
18	नगर निगम/नगरपालिका के पी०एल० खाता में स्थानान्तरण	2210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	8448	स्थानीय निधियों को जमा-120 अन्य निधियां	316.25
19	नगर निगम/नगरपालिका के पी०एल० खाता में स्थानान्तरण	2215	पेयजल आपूर्ति तथा स्वच्छता	8448	स्थानीय निधियों को जमा-102 नगरपालिका निधि	13.36
20	नगर निगम/नगरपालिका के पी०एल० खाता में स्थानान्तरण	2216	आवास	8448	स्थानीय निधियों को जमा-120 अन्य निधियां	11.36
21	नगर निगम/नगरपालिका के पी०एल० खाता में स्थानान्तरण	2217	शहरी विकास	8448	स्थानीय निधियों को जमा-102 नगरपालिका निधि	791.48
22	नगर निगम/नगरपालिका के पी०एल० खाता में स्थानान्तरण	2217	शहरी विकास	8448	स्थानीय निधियों को जमा-120 अन्य निधियां	321.17
23	नगर निगम/नगरपालिका के पी०एल० खाता में स्थानान्तरण	2217	शहरी विकास	8448	स्थानीय निधियों को जमा-109 पंचायत निकायों की निधियां	13.18

अनुबंध-क-क्रमशः

(लेखे पर टिप्पणियाँ के पैरा 1 (ii) से संदर्भित)

महालेखाकार के द्वारा आवधिक समायोजन तथा राज्य सरकार के द्वारा अन्य समायोजन को दर्शाने वाला विवरण

ख. राज्य सरकार के द्वारा किए गए अन्य समायोजन						
क्रम सं०	खाता समायोजन	लेखे का शीर्ष				राशि (₹ करोड़ में)
		से	को			
24	नगर निगम/नगरपालिका के पी०एल० खाता में स्थानान्तरण	2217	शहरी विकास	8448	स्थानीय निधियों को जमा-101 जिला निधि	10.29
25	नगर निगम/नगरपालिका के पी०एल० खाता में स्थानान्तरण	2225	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण	8448	स्थानीय निधियों को जमा-120 अन्य निधियां	177.22
26	नगर निगम/नगरपालिका के पी०एल० खाता में स्थानान्तरण	2235	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	8448	स्थानीय निधियों को जमा-120 अन्य निधियां	27.22
27	नगर निगम/नगरपालिका के पी०एल० खाता में स्थानान्तरण	2401	फसल कृषि कार्य	8448	स्थानीय निधियों को जमा-120 अन्य निधियां	46.00
28	नगर निगम/नगरपालिका के पी०एल० खाता में स्थानान्तरण	2402	मृदा एवं जल संरक्षण	8448	स्थानीय निधियों को जमा-120 अन्य निधियां	21.58
29	नगर निगम/नगरपालिका के पी०एल० खाता में स्थानान्तरण	2404	डेयरी विकास	8448	स्थानीय निधियों को जमा-120 अन्य निधियां	64.55
30	नगर निगम/नगरपालिका के पी०एल० खाता में स्थानान्तरण	2415	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	8448	स्थानीय निधियों को जमा-120 अन्य निधियां	162.00
31	नगर निगम/नगरपालिका के पी०एल० खाता में स्थानान्तरण	2515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	8448	स्थानीय निधियों को जमा-109 पंचायत निकायों की निधियां	33.19

अनुबंध-क-क्रमशः

(लेखे पर टिप्पणियाँ के पैरा 1 (ii) से संदर्भित)

महालेखाकार के द्वारा आवधिक समायोजन तथा राज्य सरकार के द्वारा अन्य समायोजन को दर्शाने वाला विवरण

ख. राज्य सरकार के द्वारा किए गए अन्य समायोजन						
क्रम सं०	खाता समायोजन	लेखे का शीर्ष				राशि (₹ करोड़ में)
		से		को		
32	नगर निगम/नगरपालिका के पी०एल० खाता में स्थानान्तरण	2515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	8448	स्थानीय निधियों को जमा-101 जिला निधियां	16.69
33	नगर निगम/नगरपालिका के पी०एल० खाता में स्थानान्तरण	2801	ऊर्जा	8448	स्थानीय निधियों को जमा-107 राज्य विद्युत बोर्ड कार्यकारी	2,489.24
34	नगर निगम/नगरपालिका के पी०एल० खाता में स्थानान्तरण	2810	नया अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत	8448	स्थानीय निधियों को जमा-120 अन्य निधियां	199.99
35	नगर निगम/नगरपालिका के पी०एल० खाता में स्थानान्तरण	2851	ग्राम तथा लघु उद्योग	8448	स्थानीय निधियों को जमा-120 अन्य निधियां	50.73
36	नगर निगम/नगरपालिका के पी०एल० खाता में स्थानान्तरण	2852	उद्योग	8448	स्थानीय निधियों को जमा-120 अन्य निधियां	45.73
37	नगर निगम/नगरपालिका के पी०एल० खाता में स्थानान्तरण	3452	पर्यटन	8448	स्थानीय निधियों को जमा-120 अन्य निधियां	25.55
38	नगर निगम/नगरपालिका के पी०एल० खाता में स्थानान्तरण	4055	पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	8448	स्थानीय निधियों को जमा-120 अन्य निधियां	126.59
39	नगर निगम/नगरपालिका के पी०एल० खाता में स्थानान्तरण	4202	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	8448	स्थानीय निधियों को जमा-120 अन्य निधियां	24.62
40	नगर निगम/नगरपालिका के पी०एल० खाता में स्थानान्तरण	4210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	8448	स्थानीय निधियों को जमा-120 अन्य निधियां	223.72

अनुबंध-क-क्रमांत

(लेखे पर टिप्पणियाँ के पैरा 1 (ii) से संदर्भित)

महालेखाकार के द्वारा आवधिक समायोजन तथा राज्य सरकार के द्वारा अन्य समायोजन को दर्शाने वाला विवरण

ख. राज्य सरकार के द्वारा किए गए अन्य समायोजन						
क्रम सं०	खाता समायोजन	लेखे का शीर्ष				राशि (₹ करोड़ में)
		से			को	
41	नगर निगम/नगरपालिका के पी०एल० खाता में स्थानान्तरण	4225	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	8448	स्थानीय निधियों को जमा-120 अन्य निधियां	218.72
42	नगर निगम/नगरपालिका के पी०एल० खाता में स्थानान्तरण	4402	मृदा एवं जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय	8448	स्थानीय निधियों को जमा-120 अन्य निधियां	28.40
43	नगर निगम/नगरपालिका के पी०एल० खाता में स्थानान्तरण	4402	मृदा एवं जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय	8448	स्थानीय निधियों को जमा-102 नगर निगम निधियां	17.00
44	नगर निगम/नगरपालिका के पी०एल० खाता में स्थानान्तरण	4425	सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय	8448	स्थानीय निधियों को जमा-120 अन्य निधियां	14.92
45	नगर निगम/नगरपालिका के पी०एल० खाता में स्थानान्तरण	4702	लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	8448	स्थानीय निधियों को जमा-120 अन्य निधियां	10.79
46	नगर निगम/नगरपालिका के पी०एल० खाता में स्थानान्तरण	5452	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	8448	स्थानीय निधियों को जमा-120 अन्य निधियां	59.75
47	नगर निगम/नगरपालिका के पी०एल० खाता में स्थानान्तरण	6217	शहरी विकास पर ऋण	8448	स्थानीय निधियों को जमा-102 नगर निगम निधियां	22.99
					कुल	7,245.09

अनुबंध - ख
(लेखे पर टिप्पणियाँ के पैरा 1 (vi) (ख) से संदर्भित)
राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत मुख्य निर्माण कार्य

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप शीर्ष	विवरण	विस्तृत शीर्ष	राशि
2202	03	796	12	उच्च शिक्षा निदेशालय के अन्तर्गत प्रस्तावित विधि विश्वविद्यालय	0545	0.40
कुल						0.40

अनुबंध - ग
(लेखे पर टिप्पणियाँ के पैरा 2 (v) से संदर्भित)
व्यय का प्रवाह

(₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	मुख्य शीर्ष	2019-20 के दौरान व्यय	मार्च 2020 में व्यय	व्यय का प्रतिशत
1	3055	0.03	0.03	100.00
2	3604	1.22	1.22	100.00
3	4401	0.08	0.08	100.00
4	4885	4.00	4.00	100.00
5	5465	0.08	0.08	100.00
6	5452	44.46	43.73	98.36
7	4403	5.07	4.60	90.73
8	4250	17.88	12.25	68.51

अनुबंध - घ

(लेखे पर टिप्पणियाँ के पैरा 2 (viii) से संदर्भित)

“800 अन्य व्यय” के रूप में वर्गीकृत व्ययों को विस्तृत रूप से दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	मुख्य शीर्ष	नामकरण	"800" के अंतर्गत दर्ज राशि	कुल व्यय	कुल व्यय पर "800" के अंतर्गत दर्ज राशि की प्रतिशतता
1	4047	अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	42.66	62.79	67.94
2	4701	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	386.99	749.34	51.64
3	2053	जिला प्रशासन	65.00	395.67	16.43
		कुल	494.65	1,207.80	

टिप्पणी: वर्ष के दौरान 7 मुख्य शीर्षों में “अन्य व्यय” के अंतर्गत ₹ 526.35 करोड़ दर्ज किया गया है। “800 अन्य व्यय” के अंतर्गत दर्ज 10 प्रतिशत से अधिक के कुल व्ययों को इस अनुबंध में दिखाया गया है)

अनुबंध - ड

(लेखे पर टिप्पणियाँ के पैरा 2 (viii) से संदर्भित)

“800 अन्य प्राप्तियाँ” के रूप में वर्गीकृत प्राप्तियों को विस्तृत रूप से दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	मुख्य शीर्ष	नामकरण	"800" के अंतर्गत दर्ज राशि	कुल प्राप्तियां	कुल प्राप्तियों पर "800" के अंतर्गत दर्ज राशि की प्रतिशतता
1	0801	ऊर्जा	83.15	83.15	100.00
2	1054	सड़क तथा सेतु	106.49	106.49	100.00
3	0702	लघु सिंचाई	2.42	2.42	100.00
4	0220	सूचना तथा प्रसार	0.01	0.01	100.00
5	0059	लोक निर्माण कार्य	5.76	5.78	99.74
6	0852	उद्योग	1.46	1.47	99.31
7	0701	मध्यम सिंचाई	28.25	30.52	92.58
8	0215	पेयजल आपूर्ति तथा स्वच्छता	9.12	11.89	76.67
9	1456	सिविल पूर्ति	296.06	419.74	70.53
10	0070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	54.91	89.28	61.50
11	0210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	4.19	8.75	47.84
12	0071	पेंशन एवं अन्य सेवानिवृति लाभों हेतु अंशदान तथा वसूलियां	2.76	5.99	46.15
13	0515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	13.52	30.38	44.49
14	0041	वाहनों पर कर	367.45	1128.98	32.55
15	0425	सहकारिता	4.87	16.40	29.71
16	0406	वानिकी तथा वन्य प्राणी	3.67	17.59	20.88
17	0056	जेल	0.55	2.87	19.30
18	0029	भू-राजस्व	64.51	337.98	19.09
19	0700	वृहद सिंचाई	80.29	423.73	18.95
20	0049	ब्याज प्राप्तियां	38.85	309.51	12.55
21	0057	आपूर्ति एवं निस्तारण	0.01	0.05	11.93
		कुल	1,168.30	3,032.99	

टिप्पणी: वर्ष के दौरान 46 मुख्य शीर्षों में “अन्य प्राप्तियाँ” के अंतर्गत ₹ 1,401.43 करोड़ दर्ज किया गया है। “800 अन्य प्राप्तियाँ” के अंतर्गत 10 प्रतिशत से अधिक के कुल प्राप्तियों को इस अनुबंध में दिखाया गया है।

अनुबंध - च
(लेखे पर टिप्पणियाँ के पैरा 3 (xvi) से संदर्भित)
उचंत एवं प्रेषण शेष

(₹ करोड़ में)

8658 – उचंत लेखा						
लघु शीर्ष का नाम	2017-2018		2018-2019		2019-2020	
	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा
101 वेतन तथा लेखा कार्यालय उचंत	70.90	45.38	150.67	138.66	307.17	309.99
निवल	नामे 25.52		नामे 12.01		जमा 2.85	
102 उचंत लेखा (सिविल)	196.54	17.27	28.67	23.33	34.22	26.72
निवल	नामे 179.27		नामे 5.34		नामे 7.50	
109 रिजर्व बैंक उचंत (मुख्यालय)	(-) 0.76	(-) 0.27	(-) 0.82	0.22	(-) 0.13	(-) 0.27
निवल	नामे (-) 0.49		नामे (-) 1.04		जमा (-) 0.14	
110 रिजर्व बैंक उचंत (केन्द्रीय लेखा कार्यालय)	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00	62.09
निवल	जमा 0.51		0.00		जमा 62.09	
112 स्रोत पर कर कटौती	731.86	804.43	731.86	743.81	731.86	767.04
निवल	जमा 72.57		जमा 11.95		जमा 35.18	
123 अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों का समूह बीमा	1.01	0.09	1.18	0.12	1.37	0.19
निवल	नामे 0.92		नामे 1.06		नामे 1.18	
8782 – उसी लेखा अधिकारी को लेखा भेजने वाले अधिकारियों के बीच नकद प्रेषण तथा समायोजन						
102 लोक निर्माण प्रेषण	26,822.84	26,889.20	37,102.27	37,220.48	47,673.35	47,785.76
निवल	जमा 66.36		जमा 118.21		जमा 112.41	
103 वन प्रेषण	974.89	975.36	1,291.04	1,291.68	1,831.09	1,832.93
निवल	जमा 0.47		जमा 0.64		जमा 1.84	

अनुबंध - छ
(लेखे पर टिप्पणियाँ के पैरा 3 (xviii) से संदर्भित)
पाँच वर्ष या उससे अधिक समय से अधूरे परियोजना

क्र. सं.	परियोजना/कार्यों के नाम	कार्य की अनुमानित लागत	स्वीकृति की तिथि	कार्य प्रारम्भ करने का वर्ष	पूरा करने का निर्धारित वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अन्त तक प्रगामी व्यय	बकाया भुगतान	(₹ करोड़ में)	
										पुनरीक्षित लागत यदि कोई हो/ पुनरावृत्ति की तिथि	11
1	गम्हरिया-दाजियाघाट (गाँजियाघाट) - गाविन्दपुर पथ (लम्बाई 26.160 कि०मी०) का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य।	4,762.11	03.03.2014	2014	2015	92	23.53	4,605.71	821.34		अनुपलब्ध
2	खरसावाँ-हुडांगडा-रायजामा-कांढरबूँटी (रंगामटी)-रङ्गाव पथ के कि०मी० 0.00 से कि०मी० 29.407 तक के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य।	4,971.54	25.03.2013	2013	2015	80	500.00	4,705.36	266.18		अनुपलब्ध
3	सरायकेला-खरसावाँ पथ के 7वें कि०मी० में संजय नदी पर उच्चस्तरीय आर०सी०सी० पुल का निर्माण कार्य।	692.864	27.11.2012	2013	2014	90	0.00	736.93	482.19		अनुपलब्ध
4	विष्णुगढ़ नरकी पथ के 3.00 कि०मी० पर जमुनिया नाला पर उच्च स्तरीय सेतु का निर्माण कार्य।	186.28	10.01.2013	2013	2014	87	26.44	176.75	9.53		अनुपलब्ध
5	रानीपुर चौक से पुचाईबड़ा पैम रोड भाया गोकुलपुर, डोंगापाड़ा तक पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य।	4,830.09	03.03.2014	2014	2016	97	0.00	4,338.22	491.87		अनुपलब्ध

अनुबंध - छ
(लेखे पर टिप्पणियाँ के पैरा 3 (xviii) से संबंधित)
पाँच वर्ष या उससे अधिक समय से अधूरे परियोजना

क्र. सं.	परियोजना/कार्यों के नाम	कार्य की अनुमानित लागत	स्वीकृति की तिथि	कार्य प्रारम्भ करने का वर्ष	पूरा करने का निर्धारित वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अन्त तक प्रगामी व्यय	बकाया भुगतान	पुनरीक्षित लागत यदि कोई हो/ पुनरावृत्ति की तिथि
6	जामताड़ा-करमाटाँड-लहर जोरी पथ के कि०मी० 0.00 से 29.175 तक चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य।	9,014.47	26.12.2014	2014	2016	75	1,581.58	5,653.70	3,360.77	अनुपलब्ध
7	धोतला मोड़ से नाला पथ के कि०मी० 0.00 से 19.950 तक चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य।	3,708.37	01.09.2014	2014	2016	91	393.47	2,965.86	742.50	अनुपलब्ध
8	अंगुठियाँ मोड़ से बाबुपुर पथ के कि०मी० 0.00 से 19.880 तक चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य।	4,882.85	12.09.2014	2014	2016	83	1,095.10	3,119.44	1,763.41	अनुपलब्ध
9	कोचेडेगा-रामरेखा धाम छत्तीसगढ़ सीमा तक पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य।	6,735.98	15.05.2014	2014	2016	98	2,200.00	6,570.90	165.08	अनुपलब्ध
10	खूँटी-बेड़ो पथ के कि०मी० 0.00 से 44.00 तक पुनर्निर्माण कार्य।	6,008.58	22.08.2013	2014	2016	70	576.60	3,901.51	2,107.08	अनुपलब्ध
11	सिस्ई लापुंग डोरमा पथ के कि०मी० 0.00 से 43.40 तक चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य।	5,455.46	08.02.2012	2014	2016	87	1,155.71	4,563.05	892.40	अनुपलब्ध
12	मुरहू तपकरा तोरपा पथ के कि०मी० 0.00 से 27.07 तक का पुनर्निर्माण कार्य।	4,250.41	01.03.2013	2013	2015	94	250.00	3,475.12	775.28	अनुपलब्ध

अनुबंध - छ
(लेखे पर टिप्पणियाँ के पैरा 3 (xviii) से संदर्भित)
पाँच वर्ष या उससे अधिक समय से अधूरे परियोजना

क्र. सं.	परियोजना/कार्यों के नाम	कार्य की अनुमानित लागत	स्वीकृति की तिथि	कार्य प्रारम्भ करने का वर्ष	पूरा करने का निर्धारित वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अन्त तक प्रगामी व्यय	बकाया भुगतान	पुनरीक्षित लागत यदि कोई हो/ पुनरावृत्ति की तिथि
13	सोनाहातु जामुदाग पथ से सरयाद भाया शत्रुधनडीह तक पथ निर्माण कार्य।	277.41	04.01.2011	2011	2012	90	1.31	14.64	262.77	अनुपलब्ध
14	बाड़ाबान्दी से गोमियाडीह तक पथ निर्माण कार्य।	279.91	13.12.2010	2012	2013	80	0.00	235.05	44.86	अनुपलब्ध
15	भोरगाडीह से हुमटा भाया जरिया रोड तक पथ निर्माण कार्य।	113.61	03.02.2014	2014	2015	60	0.00	7.93	105.68	अनुपलब्ध
16	जोरी-कुरखेता से जोलडीहा तक पथ निर्माण कार्य।	286.15	11.09.2009	2010	2011	30	0.00	53.27	232.88	अनुपलब्ध
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग										
17	सुन्दरपहाड़ी जलापूर्ति योजना निर्माण कार्य।	418.40	15.03.2013	2013	2015	90	101.30	324.93	93.47	अनुपलब्ध
18	टर्न-की आधार पर शुरू जलाशय योजना का निर्माण कार्य।	9,635.32	30.03.2011	2013	2017	45	0.58	5,301.40	4,333.92	अनुपलब्ध
19	कांची सिंचाई परियोजना के कमांड एरिया सर्वे का कार्य।	1,330.80	10.05.2011	2011	2011	95	0.00	163.34	1,167.46	अनुपलब्ध

अनुबंध - छ
(लेखे पर टिप्पणियाँ के पैरा 3 (xviii) से संबंधित)
पाँच वर्ष या उससे अधिक समय से अधूरे परियोजना

क्र. सं.	परियोजना/कार्यों के नाम	कार्य की अनुमानित लागत	स्वीकृति की तिथि	कार्य प्रारम्भ करने का वर्ष	पूरा करने का निर्धारित वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अन्त तक प्रगामी व्यय	बकाया भुगतान	पुनरीक्षित लागत यदि कोई हो/ पुनरावृत्ति की तिथि
20	पुनासी जलाशय योजना के स्पीलवे-सह-गेट निर्माण कार्य।	4,303.94	10.06.2010	2010	2012	33	183.09	1,211.53	3,092.41	अनुपलब्ध
21	बिन्दासरजाम नाला, डुकरी नाला, एवं कुरुमुण्डा नाला पर 03 अदद चेकडैम का निर्माण कार्य।	113.01	25.05.2013	2014	2015	98	0.00	104.76	8.25	अनुपलब्ध
22	इचा दाई मुख्य नहर की पोटका डिस्ट्रीब्यूटरी की लघु जलवाहों का तथा सभी संरचना के साथ निर्माण के लिए व्यापक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करना।	227.57	19.05.2014	2014	2015	88	0.00	171.65	55.92	अनुपलब्ध
23	कोनार नहर प्रमण्डल, बनसो अन्तर्गत कोनार मुख्य नहर के एप्रोच चैनल, इटेक संरचना एवं टनेल, कट एवं कभर, का अवशेष एवं डिसिल्टिंग कार्य तथा कट एवं कभर में मिट्टी भराई का कार्य।	5,460.75	07.06.2012	2013	2018	99	188.28	8,184.44	302.45	अनुपलब्ध

अनुबंध - छ
(लेखे पर टिप्पणियाँ के पैरा 3 (xviii) से संदर्भित)
पाँच वर्ष या उससे अधिक समय से अधूरे परियोजना

क्र. सं.	परियोजना/कार्यों के नाम	कार्य की अनुमानित लागत	स्वीकृति की तिथि	कार्य प्रारम्भ करने का वर्ष	पूरा करने का निर्धारित वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अन्त तक प्रगामी व्यय	बकाया भुगतान	पुनरीक्षित लागत यदि कोई हो/ पुनरावृत्ति की तिथि
24	चाडिल बाई मुख्य नहर के गोविन्दपुर माईनर (ओ०आर०-26) के डब्ल्यू०सी० के लाईनिंग एवं मिट्टी संरचना का अवशेष कार्य।	1,014.58	12.10.2010	2013	2015	86	8.53	1,045.97	183.32	अनुपलब्ध
25	गालुडीह बाँयी मुख्य नहर के कि०मी० 42.60 से 49.30 तक नहर, मिट्टी संरचना, डब्ल्यू०बी०एम० रोड एवं कन्क्रीट लाईनिंग निर्माण कार्य।	3,873.06	01.11.2014	2014	2019	82	0.00	3,339.53	752.21	अनुपलब्ध
26	गालुडीह बाँयी मुख्य नहर के कि०मी० 49.30 से 56.00 तक नहर, मिट्टी संरचना, डब्ल्यू०बी०एम० रोड एवं कन्क्रीट लाईनिंग निर्माण कार्य।	4,677.30	01.10.2014	2014	2018	96	0.84	4,092.14	181.67	अनुपलब्ध
27	गालुडीह दाँया मुख्य नहर के कि०मी० 47.155 (पीएल-5) से निःसृत समानान्तर नाला का निर्माण कार्य। (0.00 से 6.92 कि०मी०)	687.62	13.12.2006	2007	2015	98	0.00	681.35	6.27	अनुपलब्ध
28	गालुडीह दाँयी मुख्य नहर के पीएल-5 से निःसृत अंगारपाड़ा माईनर के मिट्टी एवं लाईनिंग का कार्य।	1,005.50	19.02.2014	2014	2015	70	41.04	702.79	302.71	अनुपलब्ध

अनुबंध - छ
(लेखे पर टिप्पणियाँ के पैरा 3 (xviii) से संबंधित)
पाँच वर्ष या उससे अधिक समय से अधूरे परियोजना

क्र. सं.	परियोजना/कार्यों के नाम	कार्य की अनुमानित लागत	स्वीकृति की तिथि	कार्य प्रारम्भ करने का वर्ष	पूरा करने का निर्धारित वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अन्त तक प्रगामी व्यय	बकाया भुगतान	पुनरीक्षित लागत यदि कोई हो/ पुनरावृत्ति की तिथि
29	चांडिल बाँयी मुख्य नहर के कि०मी० 78.567 से निःसृत बाराजूरी (ओ०आर०-35) लघु नहर का अवशेष कार्य।	1,480.00	09.01.2007	2007	2015	00	0.00	0.03	1,479.97	अनुपलब्ध
30	चांडिल बाँयी मुख्य नहर के कि०मी० 64.94 से कि०मी० 94.20 तक डब्लू०बी०एम० मेटल सेवा पथ का निर्माण कार्य।	840.39	21.05.2011	2011	2018	92	0.38	772.76	67.63	अनुपलब्ध
31	कालिकापुर वितरणी के कि०मी० 0.00 से 27.180 तक में मिट्टी एवं पी०सी०सी० लाइनिंग का निर्माण तथा मिट्टी कार्य।	9,215.14	03.01.2014	2014	2016	62	772.87	5,671.12	3,544.02	अनुपलब्ध
32	गालूडीह बाँयी मुख्य नहर के कि०मी० 7.02 से 10.23 तक के बीच मिट्टी, लाइनिंग, संरचना निर्माण कार्य।	6,393.92	21.01.2014	2014	2016	06	0.00	1,676.00	4,717.92	अनुपलब्ध

अनुबंध - छ
(लेखे पर टिप्पणियाँ के पैरा 3 (xviii) से संदर्भित)
पाँच वर्ष या उससे अधिक समय से अधूरे परियोजना

क्र सं.	परियोजना/कार्यों के नाम	कार्य की अनुमानित लागत	स्वीकृति की तिथि	कार्य प्रारम्भ करने का वर्ष	पूरा करने का निर्धारित वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अन्त तक प्रगामी व्यय	बकाया भुगतान	पुनरीक्षित लागत यदि कोई हो/ पुनरावृत्ति की तिथि
33	गालूडीह बाँयी मुख्य नहर के कि०मी० 18.36 से 23.40 तक के बीच मिट्टी, लाईनिंग, संरचना निर्माण कार्य।	4,237.71	20.01.2014	2014	2016	08	0.00	635.97	3,601.74	अनुपलब्ध
34	गालूडीह बाँयी मुख्य नहर के कि०मी० 23.40 से 29.36 तक के बीच मिट्टी, लाईनिंग, संरचना निर्माण कार्य।	4,256.44	20.01.2014	2014	2016	08	0.00	597.02	3,659.42	अनुपलब्ध
35	खरकई दौया मुख्य नहर के कि०मी० 13.480 से 17.220 तक मिट्टी, लाईनिंग का निर्माण कार्य।	166.46	03.01.2014	2014	2016	70.55	548.85	1,081.73	451.49	अनुपलब्ध
36	सतनाला बाँध से निःसृत कपाली लघु नहर का मिट्टी एवं रेखांकन कार्य।	980.00	16.12.2013	2013	2019	91	158.06	901.49	243.51	अनुपलब्ध
37	कपाली लघु नहर से निःसृत गौरी लघु नहर का मिट्टी एवं रेखांकन कार्य।	880.46	16.12.2013	2013	2019	57	10.00	408.25	472.21	अनुपलब्ध

अनुबंध - छ
(लेखे पर टिप्पणियाँ के पैरा 3 (xviii) से संबंधित)
पाँच वर्ष या उससे अधिक समय से अधूरे परियोजना

क्र सं.	परियोजना/कार्यों के नाम	कार्य की अनुमानित लागत	स्वीकृति की तिथि	कार्य प्रारम्भ करने का वर्ष	पूरा करने का निर्धारित वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अन्त तक प्रगामी व्यय	बकाया भुगतान	पुनरीक्षित लागत यदि कोई हो/ पुनरावृत्ति की तिथि
38	कनहर बराज परियोजना का डी०पी०आर० तैयार करना।	995.30	22.05.2014	2014	2015	97	0.00	968.39	26.91	अनुपलब्ध
39	ईचा दौया मुख्य नहर के राजनगर वितरणी पर मिट्टी एवं लाईनिंग निर्माण कार्य।	1,115.18	20.02.2014	2014	2016	93	0.75	1,063.68	51.50	अनुपलब्ध
40	ईचा दौया मुख्य नहर के राजनगर वितरणी पर एक पथीय सेतु सह फॉल का निर्माण कार्य।	253.97	20.02.2014	2014	2015	86	0.00	242.76	11.21	अनुपलब्ध
41	बटाने डैम बराज के गेटों का विनिर्माण, संविचरण, खड़ा करना, टेस्ट करना, तथा संचालित करना एवं कंट्रोल रूम का निर्माण कार्य।	828.74	11.03.2011	2011	2012	57	0.00	474.77	353.97	अनुपलब्ध
42	गम्हरिया प्रखण्ड अन्तर्गत आसंगी से ईटागढ़ के बीच खरकई नदी पर सेतु का निर्माण।	746.80	16.05.2012	2013	2015	85	12.37	591.37	155.43	अनुपलब्ध

अनुबंध - छ - क्रमांत
(लेखे पर टिप्पणियाँ के पैरा 3 (xviii) से संदर्भित)
पाँच वर्ष या उससे अधिक समय से अधूरे परियोजना

क्र सं.	परियोजना/कार्यों के नाम	कार्य की अनुमानित लागत	स्वीकृति की तिथि	कार्य प्रारम्भ करने का वर्ष	पूरा करने का निर्धारित वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अन्त तक प्रगामी व्यय	बकाया भुगतान	पुनरीक्षित लागत यदि कोई हो/ पुनरावृत्ति की तिथि
43	तिल्हाटोली से रंगारी पथ एवं बारडीह से खुबसुता पथ में उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य।	783.83	04.04.2011	2011	2013	77	0.00	539.12	244.71	अनुपलब्ध
44	गुमला जिला अन्तर्गत तगर-नीमडीह पथ में लावा नदी पर पुल निर्माण कार्य I (102.70 मी०)	337.00	25.03.2013	2014	2015	85	0.00	254.38	82.62	अनुपलब्ध
45	दुमका जिला के मसलिया प्रखण्ड में शीला नदी में बास्कीडीह पंचायत के कुरूवा एवं जोगीडीह गाँव के बीच पुल निर्माण।	291.20	19.02.2014	2014	2015	99	0.00	298.17	0.00	अनुपलब्ध
46	दुमका जिला अन्तर्गत भोक्तानडीह और पाटोसिमल के बीच नदी पर पुल निर्माण।	250.20	05.02.2014	2014	2016	99	0.00	232.55	17.65	अनुपलब्ध

अनुबंध - छ
(लेखे पर टिप्पणियाँ के पैरा 3 (xviii) से संदर्भित)
पाँच वर्ष या उससे अधिक समय से अधूरे परियोजना

क्र सं.	परियोजना/कार्यों के नाम	कार्य की अनुमानित लागत	स्वीकृति की तिथि	कार्य प्रारम्भ करने का वर्ष	पूरा करने का निर्धारित वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अन्त तक प्रगामी व्यय	बकाया भुगतान	पुनरीक्षित लागत यदि कोई हो/ पुनरावृत्ति की तिथि
47	दुमका जिला अन्तर्गत शिकारीपाड़ा में प्रखण्ड भवन एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल पदाधिकारी के आवासीय भवन का निर्माण कार्य।	541.87	29.05.2012	2013	2015	99	0.00	0.00	541.87	अनुपलब्ध
48	दुमका जिला के मसलिया प्रखण्ड में शीला नदी में बास्कीडीह पंचायत के कुरूवा एवं जोगीडीह गाँव के बीच पुल निर्माण।	291.20	19.02.2014	2014	2015	99	0.00	0.00	291.20	अनुपलब्ध
49	पाकुड़ जिलान्तर्गत बालकोघाट और पाराघाट के बीच त्रिपतिया नदी पर पुल निर्माण।	355.25	17.04.2013	2014	2016	92	0.00	271.80	83.45	अनुपलब्ध

टिप्पणी : राज्य सरकार के प्राधिकारियों द्वारा सूचना प्रदान की गई है।

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

2020

www.cag.gov.in

<https://cag.gov.in/ae/jharkhand/en>